डबवाली अग्नि त्रासदी पीड़ित संघ बनाम भारत संघ एवम अन्य
(टी.एस. ठाकुर, मुख्य न्यायमूर्ति)

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति *टी.एस. ठाकुर और*
न्यायमूर्ति *कंवलजीत सिंह अहलूवालिया* के समक्ष

डबवाली अग्नि त्रासदी पीड़ित संघ — *याचिकाकर्ता*

बनाम

भारत संघ एवम अन्य — *उत्तरदातागण*

***1996 की* C.W.P. संख्या 13214**

9 नवंबर. 2009

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226— आग त्रासदी - एक स्कूल का वार्षिक अवॉर्ड वितरण - स्थल - एक मैरिज पैलेस— पंडाल में लगी आग— एक ही निकास बिंदु से मची भगदड़— एक मैन कमीशन ने पैलेस के मालिकों को लापरवाही का दोषी पाया, जिससे आग लगने की घटना हुई— आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को लापरवाही, चूक और कमीशन* के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी पाया— बिजली बोर्ड और नगर समिति के अधिकारियों को भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही पाई गई।—एम.सी. के अधिकारियों द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं का पालन न करना.— आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष— *क्या* वह किसी त्रुटि या विकृति से *पीड़ित है* — *अभिनिर्धारित किया गया,* नहीं— आयोग ने स्कूल और मैरिज पैलेस को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने में पूरी तरह से उचित *किया*—मुआवजे की राशि— क्या दावेदार आयोग द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि में वृद्धि की मांग करने के हकदार हैं— *अभिनिर्धारित किया गया,* हाँ— दावेदारों के बीच बढ़ी हुई राशि का विभाजन आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपात में किया जाता है—जलने की चोटों के कारण पीड़ितों को विकलांगता का सामना करना पड़ा— आयोग *ने,* जहां विकलांगता 1% से 10% के बीच है, एक समान आधार पर मुआवजा *दिया* — क्या 1% से 10% विकलांगता के पीड़ितों को समान मुआवजा देना उचित और *न्यायसंगत* है— *अभिनिर्धारित किया गया,* नहीं — पीड़ितों को 1% से 5% और 6% से 10% विकलांगता से पीड़ित दो समूहों में वर्गीकृत *करना* उचित *होगा* - आयोग द्वारा दी गई राशि में संशोधन करते हुए मुआवजे के भुगतान के निर्देश जारी - दावेदारों को आयोग के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज के भुगतान का भी हकदार *अभिनिर्धारित किया गया गया।

अभिनिर्धारित किया गया, कि

1) इस निर्णय के मुख्य भाग में संदर्भित प्रत्येक मामले में निर्धारित राशि दावेदारों के पक्ष में वन मैन आयोग के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दी जाती है।

2) प्रत्येक दावेदार को देय कुल राशि में से, हरियाणा राज्य हमारे द्वारा निपटाए गए प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे की कुल राशि का 45% भुगतान करेगा, साथ ही प्रत्येक राशि का 15% दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और नगर पालिका, डबवाली से वसूल करने की स्वतंत्रता होगी। राशि का शेष 55% का उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 9 द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान किया जाएगा।

3) दावेदारों के बीच मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का बंटवारा उसी अनुपात में होगा जैसा कि वन मैन कमीशन द्वारा अनुशंसित है, केवल इस निर्णय के मुख्य भाग में हमारे द्वारा बताए गए संशोधनों और/या आगे के निर्देशों के अधीन होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन मामलों में हमने नाबालिग दावेदारों के नाम पर मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया है, उन्हें पहले से ही वयस्क होने की स्थिति में दावेदारों को वितरित किया जाएगा।

4) हमारे द्वारा दी गई राशि ब्याज सहित उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त पैरा 2 में दर्शाए गए अनुपात में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), डबवाली के पास आज से 4 महीने की अवधि के भीतर दावेदारों के बीच वितरण के लिए जमा की जाएगी। ऐसा न करने पर देय मूल राशि पर

हमारे द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर 4 महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 6% से बढ़ाकर 10% प्रति वर्ष कर दी जाएगी।

5) भुगतान करने में उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में, दावेदार न केवल इस न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, बल्कि बकाया राशि की वसूली के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), डबवाली से भी संपर्क कर सकते हैं।

6) अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), डबवाली, ऐसी किसी भी स्थिति में, अवैतनिक शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करेगा जैसे कि वह जुर्माना और/या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य थी। वह बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित कलेक्टर को प्रमाण पत्र और निर्देश जारी करने में सक्षम होगा।

7) घायल पीड़ितों को जलने से लगी चोट का उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यदि यह हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, तो निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा सरकार की संतुष्टि पर कि ऐसा उपचार आवश्यक है लेकिन राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में प्रदान नहीं किया जा सकता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्रीमती अंजू अरोड़ा, अधिवक्ता और श्रीमती अदिति गिरधर, अधिवक्ता, याचिकार्त के लिए।
ओंकार सिंह बटालवी, अधिवक्ता, केंद्रीय सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल, उत्तरदाता नंबर 1 के लिए।
एच एस हुड्डा, महाअधिवक्ता, हरियाणा और रणधीर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा, उत्तरदाता नंबर 2 और 3 के लिए।
राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुनील बिंदलेश तथा सुभाष गुप्ता, अधिवक्ता, उत्तरदाता नंबर 4 और 5 के लिए।
गिरीश अग्निहोत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता और अरविंद सेट, अधिवक्ता, उत्तरदाता नंबर 6 के लिए।
महावीर संधु, अधिवक्ता, उत्तरदाता नंबर 7 के लिए।
उत्तरदाता नंबर 8 के लिए कोई भी नही।
गौरव मोहंता, अधिवक्ता, उत्तरदाता नंबर 9 के लिए।

टी.एस. ठाकुर, मुख्य न्यायमूर्ति

1. देश के इस हिस्से में अब तक की सबसे भीषण अग्नि त्रासदी में चार सौ छियालीस बहुमूल्य जिंदगियाँ नष्ट हो गईं, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएँ थीं। मरने वालों के अलावा, लगभग 200 लोग झुलस गए, जिससे उनमें से कुछ की पहचान करना मुश्किल हो गया। जब तक कि सभी संबंधित लोग ऐसी त्रासदियों के कारणों की पहचान करने के लिए कुछ आत्मनिरीक्षण न करें और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाते तब तक जो लोग बच गए या जो नहीं बचे उनके निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान कभी भी उनके घावों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है और न ही जमीनी हकीकत में कोई महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदियाँ अक्सर देखभाल और सावधानी की कमी के कारण होती हैं, जितना कि सार्वजनिक प्राधिकरणों की वैधानिक या अन्यथा अपने कार्यों और कर्तव्यों के उचित और मुनासिब निर्वहन में चौतरफा विफलता के कारण होती हैं, विशेष रूप से सुरक्षा उपाय के प्रवर्तन से संबंधित ।

2. डी.ए.वी. सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, मंडी डबवाली हरियाणा राज्य के जिला सिरसा में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाना जाता था। यह स्कूल डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली के प्रबंधन के तहत छह सौ पचास अन्य कॉलेजों और संस्थानों में से एक था। वार्षिक अवॉर्ड वितरण समारोह के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल ने उस स्थान को चुना है जिसे चौटाला चौक, मंडी, डबवाली में स्थित राजीव मैरिज पैलेस के नाम से जाना जाता था, जहां स्कूल के बच्चों, उनके माता-पिता और शिक्षकों को

आमंत्रित किया गया था। स्कूल के प्रधानाचार्य और डीएवी प्रबंध समिति के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आमंत्रितों को भेजे गए निमंत्रण कार्ड में घोषणा की गई कि श्री एम.पी.बिडलान, आईएएस, उपायुक्त, सिरसा मुख्य अतिथि होंगे और श्री एस.एन.कम्बोज, एसडीएम डबवाली अतिथि होंगे। सम्मान समारोह 23 दिसंबर 1995 सुबह 11 बजे शुरू होना था । ऐसा प्रतीत होता है कि दोपहर करीब 1.40 बजे जिस पंडाल के नीचे बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रित लोग बैठे थे, उसमें आग लग गई है। समारोह में भाग लेने आए लोगों का दुर्भाग्य था कि आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। आग ने 446 लोगों की जान ले ली और 200 अन्य लोग झुलस गए। मौत का कारण आग लगना और भागने के रास्ते के अभाव में पंडाल के अंदर मची भगदड़ थी, क्योंकि एकमात्र निकास बिंदु इतना छोटा था कि पंडाल के नीचे मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित नहीं भाग सके ।

3. घटना के लगभग नौ महीने बाद जब अंत्येष्टि चिताएँ और अंत्येष्टि स्थल ठंडा हो गया था, याचिकाकर्ता-संघ द्वारा 1996 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13214 दायर किया गया था, जिसमें त्रासदी से प्रभावित लोगों के हित में कई राहतें और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए पर्याप्त मुआवजे का दावा किया गया था। उक्त रिट याचिका में समय-समय पर कई निर्देश जारी किए गए थे, जिसे अंततः 28/29.01.2003 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया, जिसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीपी गर्ग को घटना से जुड़े लोगों की लापरवाही और पीड़ितों या उनके परिजनों को देय मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में एक सदस्यीय आयोग ने आम जनता से दावा याचिकाएं आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित किया, जिसके जवाब में पीड़ित संघ ने कुल 493 याचिकाएं दायर कीं, जिनमें से 405 मामले मृत्यु के मामलों में मुआवजे से संबंधित थे जबकि शेष 88 मामले दावेदारों को लगी जली हुई चोटों से संबंधित। भारत संघ, हरियाणा राज्य, डीएवी प्रबंध समिति, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, नगर परिषद, मंडी डबवाली और राजीव मैरिज पैलेस सहित नौ उत्तरदाताओं को नोटिस भी भेजे गए थे।

5. अपनी दावा याचिकाओं में, दावेदारों ने आरोप लगाया कि डीएवी प्रबंध समिति और स्कूल अधिकारियों ने समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के संबंध में एक विवेकपूर्ण व्यक्ति से अपेक्षित उचित देखभाल और सावधानी बरते बिना एक मैरिज पैलेस में दुर्भाग्यपूर्ण समारोह का आयोजन किया था। स्कूल प्राधिकारियों ने लापरवाही का कार्य किया है, खासकर तब जब मैरिज पैलेस और पंडाल जिसके तहत समारोह आयोजित किया गया था, नगरपालिका समिति द्वारा स्वीकृत भवन योजना की अवहेलना में बनाया गया था और पंडाल ढीले तारों के साथ स्वीकृत विद्युत भार से दोगुने से अधिक था। अग्निशमन उपकरणों की अनुपस्थिति और उचित निकास के अभाव ने शांति को किसी भी दुर्घटना के प्रति संवेदनशील बना दिया, जिससे बहुमूल्य मानव जीवन की हानि हुई। दावा याचिकाओं में मुआवजे के भुगतान के अलावा कई राहतों की मांग की गई।

6. दावा याचिकाओं पर उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब में, इस आरोप से इनकार किया गया कि उनकी ओर से कोई लापरवाही हुई थी या उनके खिलाफ कोई कानूनी दायित्व उत्पन्न हुआ था। उत्तरदाताओं नंबर 1 से 3 द्वारा दायर जवाब में अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया कि राज्य सरकार इस दुखद घटना से सदमे में है और उपचारात्मक उपायों और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के अलावा घटना की तथ्यान्वेषी जांच भी शुरू की है। पुलिस स्टेशन, डबवाली में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत 1995 की एफआईआर संख्या 397 को बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 ने आगे दलील दी कि सरकार ने प्रत्येक मृत्यु के लिए 1,00,000/- रुपये और प्रत्येक चोट के मामले के लिए 50,000/- रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी, जो राशि संबंधित व्यक्तियों को वितरित की गई थी। घायलों को चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति भी उन राहतों में से एक थी, जो राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष पीड़ितों को दी थी। उत्तरदाताओं 1 से 3 ने आरोप लगाया कि यह घटना उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 9 की लापरवाही के कारण हुई, जिन्होंने समारोह का आयोजन किया था और उनके अदूरदर्शी, लापरवाह और लालची दृष्टिकोण के कारण, जो कि कोने को काटने और पैसे बचाने के लिए था। समारोह में आमंत्रित छात्रों, अभिभावकों और अतिथियों की सुरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि यह घटना पंडाल को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री और उससे

निकास बिंदुओं की अपर्याप्त संख्या के कारण हुई थी। उत्तरदाताओं के अनुसार, सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, अंबाला द्वारा केवल कृष्ण, राजिंदर कुमार और देवी दयाल की सजा में परिणत हुआ।

7. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने भी इसी तरह दावा याचिकाओं में दिए गए कथनों का खंडन किया था और दावा किया था कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार प्रतिवादी संख्या 9 थे, जो उचित व्यवस्था करने और ऐसी परिस्थितियाँ में सभी कदम उठाने में विफल रहे जो आवश्यक थे। यह भी दावा किया गया कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कोई दावा कायम नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त प्रतिवादी एक न्यायिक व्यक्ति नहीं था। यह भी आरोप लगाया गया कि समारोह का आयोजन डीएवी प्रबंध समिति द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए इस त्रासदी के लिए कोई भी लापरवाही या दोष उक्त समिति को नहीं दिया जा सकता। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि डीएवी संगठन ने इस त्रासदी को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में लिया था और इस मामले में पीड़ितों को मुफ्त शिक्षा, दवाएं और यहां तक कि वित्तीय सहायता दिलाने में मदद करने जैसे कई कदम उठाए थे। उत्तरदाता संख्या 4 और 5 के अनुसार, छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 9 की थी, जो समारोह आयोजित करने में लगा हुआ था, न कि स्कूल अधिकारियों या डीएवी प्रबंध समिति की। स्कूल के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 9 से समारोह में आमंत्रित छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और मेहमानों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई थी।

8. उत्तरदाताओं संख्या 6 और 7, एचएसईबी और नगरपालिका समिति, डबवाली ने भी क्रमशः अपनी देनदारियों पर विवाद किया और इस बात से इनकार किया कि वे किसी भी तरह की लापरवाही के दोषी थे। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 8, श्री. एमपी बिडलान, तत्कालीन डी.सी. सिरसा ने अपने दायित्व से इनकार किया और मामले में पूरी तरह से निर्दोष होने का अनुरोध किया।

9. प्रतिवादी नंबर 9-राजीव मैरिज पैलेस ने भी अन्य बातों के साथ-साथ एक जवाब दायर किया, जिसमें कहा गया कि घटना होने तक कार्यक्रम स्थल का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया था और यह केवल इसलिए था क्योंकि स्कूल एक सामाजिक उद्देश्य की सेवा कर रहा था, जिसके लिए उन्हें यह स्थान देने की पेशकश की गई थी और उसके प्रतिफल के रूप में एक पैसा वसूल नहीं किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि मेहमानों के बैठने और बिजली और पानी आदि के प्रावधान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उत्तरदाता संख्या 4 और 5 की थी। आरोप है कि वे बिजली के स्वीकृत भार से अधिक का उपयोग कर रहे थे। चारों ओर लटके ढीले तारों से भी उन्होंने इंकार किया। प्रतिवादी नंबर 9 के अनुसार, पंडाल मैसर्स सुख चैन सिंह माखन सिंह एंड कंपनी गांधी चौक, अबोहर से खरीदे गए शुद्ध सूती कपड़े से बना था। प्रतिवादी नंबर 9 के अनुसार बिजली, पानी, सुरक्षा, खाने-पीने की चीजें और बैठने आदि की अन्य सभी व्यवस्थाएं स्कूल द्वारा ही की जानी थीं।

10. आयोग ने पक्षों को अपने संबंधित मामलों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया। परिणामस्वरूप, चार वर्षों की अवधि में दावेदारों की ओर से 393 डॉक्टरों सहित 1084 गवाहों से पूछताछ की गई। खंडन में, उत्तरदाताओं ने अपनी ओर से 29 गवाहों से पूछताछ की, जबकि आयोग ने अपनी ओर से 30 गवाहों से पूछताछ की। यह उल्लेखनीय है कि जांच कार्यवाही के दौरान लगभग 2800 दस्तावेज़ तैयार किए गए, चिह्नित किए गए और प्रदर्शित किए गए। आयोग के समक्ष दायर दावा याचिकाओं की सुनवाई 29.8.2006 को शुरू हुई और 24.12.2007 को पूरी हुई। आयोग ने रिपोर्ट का पहला भाग 19.8.2008 को प्रस्तुत किया जिसमें उसने मृत्यु के मामलों में दावेदारों को देय मुआवजे की राशि निर्धारित की। आयोग द्वारा 10.12.2008 को प्रस्तुत रिपोर्ट का दूसरा भाग चोट के मामलों में पीड़ितों को देय मुआवजे की राशि से संबंधित है। 16.3.2009 को प्रस्तुत रिपोर्ट के तीसरे और अंतिम भाग में उत्तरदाताओं की लापरवाही और उनके बीच मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व के बंटवारे का निर्धारण किया गया।

11. उत्तरदाताओं की लापरवाही के सवाल से निपटते हुए, आयोग ने इस आशय का एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि हालांकि स्कूल जिस समारोह का आयोजन कर रहा था, उसे आयोजित करने के लिए स्कूल भवन में आवास की व्यवस्था निश्चित रूप से अपर्याप्त थी, लेकिन इससे दोषमुक्त नहीं हुआ। उपयुक्त विकल्प तलाशने की जिम्मेदारी स्कूल की है। आयोग ने यह विचार किया कि यह उत्तरदाताओं नंबर 4 और 5 की जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि जिस मैरिज पैलेस में वे अपना वार्षिक समारोह आयोजित कर रहे थे वह

सुरक्षित था और उसमें बड़ी संख्या में आमंत्रित लोगों को शामिल करने की क्षमता थी। यह सुनिश्चित करना भी उक्त उत्तरदाताओं की जिम्मेदारी थी कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद थी और ऐसी किसी भी स्थिति में बचने के लिए पर्याप्त संख्या में निकास थे। स्कूल से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि मैरिज पैलेस के मालिक के पास स्कूल द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह के आयोजन के लिए नगर समिति, डबवाली से आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुमति हो। आयोग ने यह विचार किया कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5, अपनी चिंता और अति उत्साह में, सुरक्षा के इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने और ध्यान देने में विफल रहे, तब भी जब समारोह में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होने वाले थे। आयोग ने कहा:-

> "उपरोक्त परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं नंबर 4 और 5, जिनसे यह देखने की उम्मीद की गई थी कि मैरिज पैलेस जहां वे अपना वार्षिक समारोह आयोजित कर रहे थे, सुरक्षित और मजबूत था और इसमें लगभग 1500 व्यक्तियों/आमंत्रितों को समायोजित करने की क्षमता थी; कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरण और पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी और आपातकालीन स्थिति में भागने और बाहर जाने के लिए पर्याप्त संख्या में निकास और खुले स्थान थे और यह भी कि मैरिज पैलेस के मालिकों के पास इस तरह का कोई भी समारोह आयोजित करने से पहले, नगर पालिका, डबवाली से पूरा होने का प्रमाण पत्र था, लेकिन अपनी चिंता और अति-उत्साह में उन्होंने ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की परवाह नहीं की।"

12. आयोग ने उत्तरदाताओं नंबर 4 और 5 द्वारा आग्रह किए गए तर्क को खारिज कर दिया कि समारोह की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रतिवादी नंबर 9, मैरिज पैलेस के मालिक, की थी या बच्चों सहित मेहमानों की सुरक्षा समारोह में भाग लेना एक ऐसा मामला था जो मैरिज पैलेस या उसके मालिकों पर निर्भर करता था। आयोग ने देखा:

> "हालांकि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने आरोप लगाया है कि बैंक्वेट हॉल मालिकों को बैठने, बिजली, प्रकाश और तम्बू आदि सहित सभी व्यवस्थाएं करनी थीं, लेकिन उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। उनके अपने गवाह: श्रीमती नीलम वाधवा स्कूल की अध्यापिका और स्कूल के प्रधानाचार्य श्री वी.के.मित्तल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजीव मैरिज पैलेस में प्रवेश और निकास का केवल एक ही द्वार था और उनके अनुमान के अनुसार उस द्वार की चौड़ाई लगभग 10 X 12 फीट थी। प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने अपनी दलील के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है कि उनके 'एजेंट' प्रतिवादी संख्या 9 ने बैठने, प्रकाश व्यवस्था, बिजली और तम्बू व्यवस्था के संबंध में लापरवाही बरती थी। उनके गवाहों ने बताया है कि किसी भी आपात स्थिति, या वर्तमान जैसी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए समारोह के आयोजकों यानी प्रतिवादी नंबर 4 और 5 द्वारा क्या कदम उठाए गए थे और क्या व्यवस्था की गई थी। माना जाता है कि बैंक्वेट हॉल में एकमात्र प्रवेश और निकास गेट का आकार केवल 10 X 12 फीट थी। इस प्रकार, जब आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया, तो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए निकास के एकल द्वार से तेजी से बाहर आना असंभव था।

13. उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज करते हुए कि उन्होंने मैरिज पैलेस के किराया शुल्क के लिए 6,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया था और इसलिए, बच्चों और अन्य मेहमानों की सुरक्षा के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आयोग ने कहा:-

> "भले ही तर्क के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि प्रतिवादी नंबर 9 को 6,000/- रुपये के बदले में ये सभी व्यवस्थाएं करनी थीं, लेकिन प्रतिवादी नंबर 9 (आरडब्ल्यू19/1-डीएफटी), के मालिकों में से एक, केवल कृष्ण के बयान के अनुसार उन्होंने स्कूल अधिकारियों को उनके प्रचार के लिए मैरिज पैलेस मुफ्त में देने की पेशकश की; कुर्सियों, पर्दों और अन्य स्थापनाओं के संबंध में पूरी व्यवस्था स्कूल अधिकारियों द्वारा की गई थी, जिनके साथ उनका कोई लेना देना नही था। उन्होंने यह भी कहा है कि स्कूल अधिकारियों द्वारा दो जनरेटर उपलब्ध कराए गए थे और जिन्हें गली में मैरिज पैलेस के बाहर रखा गया था। इस प्रकार सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भले ही राजीव मैरिज पैलेस को एक 6,000/- रुपये की राशि के लिए किराए पर लिया गया था लेकिन केवल कृष्ण

के बयान के अनुसार, उन्होंने केवल बैंक्वेट हॉल की पेशकश की थी, जबकि अन्य सभी व्यवस्थाएं स्कूल अधिकारियों द्वारा की जानी थीं। यह भी सामान्य अवलोकन का विषय है कि ऐसे समारोहों में, बैठक , प्रकाश व्यवस्था तथा इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाएँ हमेशा आयोजकों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं की जाती हैं। इसलिए, अब यह कहना कि बैठने, रोशनी, तंबू आदि जैसी सभी व्यवस्थाएं प्रतिवादी नंबर 9 द्वारा की जानी थीं, इसलिए, तर्क संगत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9 केवल उत्तरदाता संख्या 4 और 5 का एक 'एजेंट' था और उसने जो कुछ भी किया, वह उसकी एजेंसी के दौरान किया गया था।"

14. प्रतिवादी नंबर 9, मैरिज पैलेस के मालिक, के दायित्व की जांच करते समय, आयोग ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि मैरिज पैलेस का निर्माण पूरा होने के बाद मालिकों ने पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया था और न ही उन्होंने मैरिज पैलेस संचालन हेतु समिति नगर निगम से कोई लाइसेंस प्राप्त किया था। आयोग ने आगे एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी नंबर 9 ने समारोह के दौरान उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति की स्थिति में फायर-ब्रिगेड और/या एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की थी। आयोग ने प्रतिवादी नंबर 9, मैरिज पैलेस के मालिक द्वारा किए गए दावे को स्वीकार कर लिया कि मैरिज पैलेस केवल प्रतिष्ठान के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रतिवादी नंबर 4 और 5 को किसी भी शुल्क से मुक्त करने की पेशकश की गई थी। श्री वी.के. मित्तल, स्कूल के प्रिंसिपल और श्री जगदीश देवल, अपर डिवीजन क्लर्क, को प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा बचाव गवाह के रूप में पेश किया गए, के बयान का विश्लेषण करते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैरिज पैलेस को 6,000/- रुपये का भुगतान स्थापित नहीं किया गया था। उक्त भुगतान दर्शाने वाली रसीद प्रस्तुत नहीं की गई थी। आयोग ने कहा:-

"श्री वी.के.मित्तल के साक्ष्य से, यह पता चलता है कि ऐसी कोई रसीद मौजूद नहीं थी जो प्रतिवादी नंबर 9 को 6000/- रुपये के कथित भुगतान को दर्शाती हो। यदि ऐसी कोई रसीद होती, तो श्री वी.के. मित्तल या डी.ए.वी. कॉलेज प्रबंध समिति के प्रधान कार्यालय के अपर डिविजन क्लर्क श्री जगदीश देवल ने इसे पेश किया होता, लेकिन इसे उन कारणों से आयोग के समक्ष नही रखा गया जो उन्हें सबसे अच्छे से ज्ञात हैं। श्री जगदीश देवल ने कहीं भी डी.ए.वी. स्कूल, डबवाली से 6-000/- रुपये की ऐसी कोई रसीद अन्य रिकॉर्ड के साथ जैसा कि श्री वी.के.मित्तल ने आरोप लगाया है प्राप्त होने के बारे में नहीं बताया है। इसके अलावा, भले ही ऐसी कोई रसीद थी जैसा कि श्री वी.के.मित्तल द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसका कोई कारण नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 4 और 5 इसे आयोग से क्यों छुपाएंगे"।

15. इस प्रकार, मैरिज पैलेस के मालिकों को आग की घटना के लिए लापरवाही का दोषी पाया गया, आयोग ने यह अभिनीधारित किया कि एक तरफ उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 और दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 9 के बीच संबंध प्रिंसिपल और एजेंट का था, जिससे पूर्व को बाद की लापरवाही, चूक और कमीशन के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बना दिया गया। **पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य**[1] और **मीनू बी मेहता और अन्य बनाम बालकृष्ण रामचन्द्र नयन और एक अन्य**[2] में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए और **पिरथी सिंह बनाम बिंदा राम और अन्य**[3] में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ आयोग ने माना कि भले ही 6,000/- रुपये का भुगतान प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को उपयोगकर्ता शुल्क के लिए किया गया साबित हुआ हो या नहीं, प्रतिवादी संख्या 9 लापरवाही, चूक और किसी भी कार्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी थे। आयोग ने यह विचार किया कि चूंकि प्रश्न में समारोह प्रतिवादी संख्या 9 के परिसर में उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए निष्कर्ष यह था कि प्रतिवादी संख्या 9 की लापरवाही एजेंसी के दौरान हुई थी, जिससे प्रिंसिपल ऐसी लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया था। आयोग द्वारा **एम.एस. ग्रेवाल और अन्य बनाम दीप चंद सूद और अन्य**[4] और **कूरागांग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम**

---

[1] एआईआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 1735

[2] एआईआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 1248

[3] एआईआर 1987 पंजाब और हरियाणा 56

[4] 2001 सुप्रीम कोर्ट मामले (आपराधिक) 1426

रिचर्डसन एंड रिंच लिमिटेड[5] के निर्णय पर भी भरोसा जताया गया, यह मानने के लिए कि उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 का दायित्व प्रतिवादी संख्या 9 से भिन्न नहीं हो सकता।

16. आयोग ने हरियाणा बिजली बोर्ड की ओर से लापरवाही के सवाल की भी जांच की और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर, इस आशय का एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला कि बोर्ड के अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह से लापरवाह थे। आयोग ने माना कि मैरिज पैलेस के लिए दो विद्युत कनेक्शन थे और यद्यपि स्वीकृत भार केवल 5.980 किलोवाट तक सीमित था, लेकिन मैरिज पैलेस के मालिक 11.15 किलोवाट भार का उपभोग करते पाए गए, यह तथ्य केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित जांच में भी स्थापित किया गया था। आयोग ने पाया कि तीन-चरण मीटर की टर्मिनल प्लेट को जूनियर इंजीनियर द्वारा जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया था, जिसने मैरिज पैलेस के मालिक के पक्ष में कनेक्शन जारी किया था। ऐसा बोर्ड को कोई भुगतान किए बिना मालिकों द्वारा बिजली की अवैध निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। इसमें यह भी पाया गया कि मौके पर पड़े वेल्डिंग-सेट का उपयोग मालिकों द्वारा मुख्य हॉल की स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए किया गया था और दोनों विद्युत कनेक्शनों के संबंध में कोई मीटर रीडिंग दर्ज नहीं की गई थी। बोर्ड अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बिल भी बहुत कम राशि के थे। आयोग की राय में, यदि बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी सतर्क होते और उन्होंने परिसर की जाँच की होती, तो चीजें पूरी तरह से अलग होती और संबंधित घटना नहीं हुई होती। आयोग ने देखा:

> "उपरोक्त से, बोर्ड प्रतिवादी नंबर 6 के अधिकारियों की लापरवाही साबित होती है। यह भी साबित होता है कि मैरिज पैलेस में दो बिजली के कनेक्शन लगाए गए थे। एक कनेक्शन सिंगल-फेज था जबकि दूसरा थ्री-फेज कनेक्शन था। हालांकि थ्री-फेज कनेक्शन का स्वीकृत भार 5.980 किलोवाट था, लेकिन मालिकों को 11.10 किलोवाट भार का उपभोग करते हुए पाया गया, जो स्वीकृत भार से लगभग दोगुना था, जो कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट पी 1347/1-डीएफटीसे स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है। सी.बी.आई. रिपोर्ट में यह भी आया है कि थ्री- फेज मीटर की मीटर टर्मिनल प्लेट जेई द्वारा, जिसने केवल कृष्ण के पक्ष में कनेक्शन जारी किया था, जानबूझकर सील नहीं किया गया था। ऐसा बोर्ड को कोई भुगतान किए बिना मालिकों द्वारा बिजली की अनुचित खपत को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। साक्ष्यों में यह भी आया है कि पंडाल में मालिकों ने अनाधिकृत रूप से थ्री-फेज कनेक्शन बढ़ाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पड़े वेल्डिंग-सेट का उपयोग मालिकों द्वारा मुख्य हॉल की स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई मीटर रीडिंग नहीं ली गई और दोनों विद्युत कनेक्शनों के बिल बहुत कम राशि के जारी किए गए और उसके बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का कोई भुगतान नहीं किया गया। इससे यह भी पता चलता है कि बोर्ड का पूरा स्टाफ मालिकों से मिला हुआ था। यह भी सिद्ध हो चुका है कि 66 मीटर लंबाई की चार कोर केबल का उपयोग जे.ई. द्वारा बोर्ड के निर्देशों के विरुद्ध केवल 30 मीटर केबल के उपयोग के लिए किया गया था। मीटर रीडर, लाइनमैन, जे.ई. और बोर्ड के अन्य सहायक कर्मचारी सभी अत्यधिक लापरवाह थे और परिसर के मालिकों के साथ मिलीभगत करके जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे, जहां कनेक्शन जारी किया गया था और यहां तक कि उच्च अधिकारी भी दायित्व से बच नहीं सकते, क्योंकि वे (उच्च अधिकारी) भी अपने कर्तव्यों के पालन में विफल रहे क्योंकि उन्होंने कभी भी साइट का निरीक्षण करने और मामले को सुलझाने की परवाह नहीं की, खासकर तब जब उपभोक्ता काफी लंबे समय से किसी बिल का भुगतान नहीं कर रहा था। यदि वे सतर्क रहते और बिलों के भुगतान के संबंध में बोर्ड के परिसर और अन्य रिकॉर्ड की जांच करते, तो चीजें पूरी तरह से अलग होती और शायद यह घटना नहीं घटती। मामले को देखते हुए, प्रतिवादी नंबर 6 और उसके अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के पालन में बेहद लापरवाही बरती और जिसके लिए वे निश्चित रूप से उत्तरदायी हैं। चूंकि बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही उनकी सार्वजनिक क्षमता के साथ-साथ रोजगार के दौरान उनके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में भी थी और वे बोर्ड के कर्मचारी हैं, इसलिए प्रतिवादी नंबर 6 यानी बोर्ड उनकी लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। "। (जोर दिया गया)

---

[5] (1981) 3 एआईआई ईआर 65

17. उपरोक्त तर्क के आधार पर आयोग ने पाया कि बोर्ड के अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरत रहे हैं और बोर्ड ऐसी लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। चूंकि बोर्ड, बीच की अवधि के दौरान, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में परिवर्तित हो गया था, निगम को दावेदारों को मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निगम पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित था, आयोग ने हरियाणा राज्य को पहली बार में राशि का भुगतान करने के लिए और बाद में निगम से इसकी वसूली करने के लिए उत्तरदायी माना।

18. नगरपालिका समिति, डबवाली के दायित्व से निपटते हुए, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजीव मैरिज पैलेस का निर्माण स्वीकृत योजनाओं के पूर्ण उल्लंघन में किया गया था। मालिकों द्वारा कोई पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था और नगरपालिका अधिकारियों से मंजूरी के बिना इमारत पर कब्जा किया हुआ था। वहां न तो अग्निशमन उपकरण थे और न ही कोई निकास द्वार, सिवाय एक द्वार के जो मुश्किल से 10X12 फीट चौड़ा था। मैरिज पैलेस के मालिकों ने मैरिज पैलेस को उपयोग में लाने से पहले कभी भी अग्निशमन अधिकारी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त नहीं किया था और न ही अग्निशमन उपकरण और ऐसी अन्य आवश्यक सेवाओं की कोई व्यवस्था की थी। आयोग ने कहा:-

> "जैसा कि नगरपालिका समिति के सहायक अभियंता श्री रमेश चंदर ने कहा, उन्होंने भवन योजना की मंजूरी के बाद साइट का निरीक्षण करने की परवाह नहीं की। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि निर्माण स्थल योजना के अनुसार किया जा रहा है या नहीं और मालिकों द्वारा किए गए सभी निर्माण स्वीकृत स्थल योजना के अनुसार हैं और निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं। और क्या अग्निशमन अधिकारी से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया गया है या नहीं। मामले के इस दृष्टिकोण में, नगरपालिका समिति (प्रतिवादी संख्या 7) निश्चित रूप से लापरवाह थी और उनके साथ प्रतिवादी संख्या 4 और 5 भी।"
>
> XXX XXX XXX XXX XXX XX "इससे यह भी पता चलता है कि नगरपालिका समिति भी अपने फायर स्टेशन के रखरखाव और रख-रखाव और फायर स्टेशन पर अधिकारियों की उपस्थिति के मामले में लापरवाह थी। ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपालिका समिति ने शायद फायर स्टेशन के कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण या पर्यवेक्षण नहीं है, क्योंकि यहां तक कि फायर स्टेशन अधिकारी भी उस समय "छुट्टी" पर पाया गया जब ऐसी आपात स्थिति के समय उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी"।

19. इसके बाद आयोग ने नगरपालिका समिति और उसके अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में अपने निष्कर्षों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:

> "इस रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि नगरपालिका समिति के अधिकारी, जो शहर में अनधिकृत निर्माण और स्वीकृत योजना के अनुसार मैरिज पैलेस के निर्माण की जाँच करने के लिए बाध्य थे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बुरी तरह विफल रहे। यदि नगरपालिका समिति के अधिकारियों ने उचित और समय पर देखभाल की होती, तो त्रासदी को कम किया जा सकता था। ऊपर यह माना गया है कि प्रतिवादी नंबर 9 की इमारत का निर्माण स्वीकृत योजना के उल्लंघन में किया गया था; कोई पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था भवन के मालिकों ने उस पर कब्ज़ा करने से पहले न तो कोई अग्निशमन उपकरण स्थापित किया था और प्रवेश और निकास के लिए 10' x 12' आकार का केवल एक द्वार था। नगरपालिका समिति के अग्निशमन अधिकारी ने यह देखने में कोई कष्ट नहीं उठाया कि मैरिज पैलेस के मालिकों ने कभी भी उनसे 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त नहीं किया था और न ही आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरण रखने की कोई व्यवस्था की थी। उपरोक्त परिस्थितियों में और जैसा कि नगरपालिका समिति (प्रतिवादी संख्या 7) और उसके अधिकारियों के ऊपर रखा गया है वे निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह थे"।

20. दोषी लापरवाही की गंभीरता के साथ-साथ वैधानिक आवश्यकताओं का पालन न करने में नगरपालिका समिति के अधिकारियों की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने नगरपालिका समिति को कुल मुआवजे का 5% की सीमा तक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी माना। राशि और उक्त राशि का भुगतान

राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर करने का निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।

21. आयोग ने फिर जांच की कि क्या हरियाणा राज्य डबवाली में हुई त्रासदी के लिए जिम्मेदारी साझा करने के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, आयोग ने माना कि श्री एम.पी. बिडलान, जो जिला प्रशासन के प्रमुख थे और स्कूल द्वारा आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे, ने यह देखने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया कि उन लोगों के लिए जिन्हें समारोह में आमंत्रित किया गया था, सुरक्षा, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की उचित व्यवस्था की गई थी। आयोग ने श्री बिडलान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक नहीं था क्योंकि समारोह एक निजी समारोह था। श्री नोरंग दास, तहसीलदार, डबवाली, जिनकी उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 द्वारा गवाह के रूप में जांच की गई थी, के बयान पर भरोसा करते हुए, आयोग ने माना कि जिला प्रशासन विभिन्न विभागों से संबंधित कानूनों को लागू करने और सुरक्षित करने के लिए बाध्य है। यह भी माना गया कि जिला प्रशासन को अपने नागरिकों की सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण की देखभाल करनी थी और उपायुक्त ने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए सहमति व्यक्त की थी, न कि अपनी निजी क्षमता में, जो तथ्य इसे श्री बिडलान ने भी अपने बयान में स्वीकार किया था। आयोग ने श्री बिडलान के खिलाफ जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भरोसा किया, जिसके अनुसार श्री बिडलान के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही का आरोप साबित हुआ। पार्टियों द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने आगे कहा कि श्री बिडलान डबवाली से लगभग 28 किलोमीटर दूर ओधान में एक पुलिस स्टेशन की सुरक्षा में जाने के लिए घटना स्थल को जल्दबाजी छोड़ गए थे और इस प्रक्रिया में, जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे, जिस क्षमता में उन्हें राहत और बचाव उपायों की निगरानी करनी चाहिए थी, खासकर जब लोग इसके लिए रो रहे थे। आयोग ने यह भी माना कि श्री बिडलान द्वारा कर्तव्यों के उल्लंघन के आरोप और उन पर जुर्माना लगाने के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पूरी तरह से उचित थे। आयोग ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, जिसके समक्ष श्री बिडलान पर लगाए गए दंड के आदेश पर हमला किया गया था, ने दंड के आदेश को बरकरार रखा था। श्री बिडलान द्वारा अपने बचाव में जांचे गए आठ गवाहों के बयान पर चर्चा करने के बाद, आयोग ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: -

> "श्री एम.पी.बिडलान ने परीक्षित उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की है कि वह घटना के बाद काफी देर तक घटनास्थल पर रहे, ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से दीवार तोड़ने की कोशिश की, हरियाणा रोडवेज की बसें भेजीं और पुलिस स्टेशन सदर, डबवाली में टेलीफोन सुविधा का उपयोग करने की भी कोशिश की। और उसके बाद ही, वह पुलिस चौकी, ओढ़ां में गया। लेकिन फिर यह देखा जाएगा कि उन्होंने अपने लिखित बयान में कहीं भी ऐसी कोई दलील तो नहीं दी है। जाहिर है, इसलिए, अपने तर्क के समर्थन में उनके द्वारा दिए गए सभी साक्ष्य निश्चित रूप से दलीलों से परे हैं और उन पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी साक्ष्यों का नेतृत्व श्री एम.पी.बिडलान ने ऐसा शायद अपनी विभागीय जांच में या किसी अन्य कारण से, जो उन्हें ही पता हो, किसी तरह का बचाव करने के लिए किया है। किसी भी मामले में, जांच अधिकारी श्री धर्म वीर के निष्कर्षों और भारत सरकार द्वारा उन्हें दी गई सजा और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष उनके खिलाफ उनकी चुनौती, जिसे कोई सफलता नहीं मिली, को देखते हुए,यह साक्ष्य उन्हें किसी भी तरह से मदद नहीं करता है। श्री एम.पी. बिडलान द्वारा दायर लिखित बयान का अवलोकन दर्शाते हैं कि उन्होंने इस त्रासदी के लिए उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 9 पर पूरा आरोप लगाया है और दावा किया है कि मुआवजे का एकमात्र दायित्व उत्तरदाता संख्या 4 और 5 के अलावा उत्तरदाताओं संख्या 1, 2, 3 यानी भारत संघ, हरियाणा राज्य और सचिव स्वास्थ्य और प्रतिवादी संख्या 9 पर आता है । उनके लिखित बयान के प्रार्थना खंड में उनके द्वारा की गई एकमात्र दलील यह है कि वह घटना स्थल से कभी नहीं भागे और जैसा कि आरोप लगाया गया है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने लिखित बयान में ऐसी कोई दलील नहीं दी है कि वह घटनास्थल पर काफी देर तक रहे, ट्रैक्टर-ट्रॉली के ड्राइवर से दीवार तोड़ने के लिए कहा, हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप को निर्देश भेजे, बसें भेजकर,

पुलिस स्टेशन सदर, डबवाली गए और जब ये सभी प्रयास विफल हो गए, तो वह आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस चौकी ओढ़ां गए। इसलिए, श्री एम.पी.बिडलान के नेतृत्व में साक्ष्य पर गौर नहीं किया जा सकता है और उनके किसी भी लिखित बयान में किसी भी दलील के अभाव में उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती है। अपने कथनानुसार श्री एम.पी. बिडलान ने उस समय पहले ही 21 साल की सेवा कर ली थी, सबसे पहले 13 साल के लिए हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी के रूप में और उसके बाद, पिछले करीब 8 साल से आई.ए.एस. के एक अधिकारी के रूप में। 21 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले एक अधिकारी होने के नाते, यह देखना वास्तव में बेहद दुखद है कि श्री बिडलान मौके पर नहीं पहुंचे और दुर्भाग्यपूर्ण आग की घटना से उत्पन्न पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय, डबवाली से 28 किलोमीटर की दूरी पर ओढ़ां में सांस लेने के लिए साइट से भागने का फैसला किया । श्री एम.पी. बिडलान का आचरण वास्तव में सबसे निंदनीय था और निश्चित रूप से निंदा का पात्र था और जिसके लिए उसे उचित प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से दंडित किया गया था। उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य, किसी भी तरह से, उन्हें आग की घटना के कारण उन पर आई जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते हैं। इतने लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी को घटनास्थल पर रहना चाहिए था और बचाव कार्यों का आयोजन करना चाहिए था, खासकर तब जब उनके उपमंडल अधिकारी की आग की घटना में मृत्यु हो गई थी, जबकि पुलिस उपाधीक्षक बुरी तरह जल गए थे और उनके अलावा कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। (जोर हमारा है)

22. आयोग ने आगे कहा कि श्री बिडलान द्वारा दिया गया बयान कि पुलिस स्टेशन सदर डबवाली के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनकी निर्दोषता की दलील का कोई समर्थन नहीं करता है। आयोग के अनुसार, लंबे समय तक प्रशासनिक अनुभव रखने वाले उपायुक्त के लिए यह और भी आवश्यक था कि वह घटना से उत्पन्न अत्यंत गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए डबवाली में ही रहें। आयोग ने माना कि जब श्री बिडलान घटना स्थल से चले गए, तो घटना से उत्पन्न स्थिति का प्रभार लेने के लिए कोई जिम्मेदार नागरिक या पुलिस अधिकारी नहीं था। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क नहीं किया और न ही साइट छोड़ने से पहले कोई निर्देश छोड़ा, हालांकि तहसीलदार, डबवाली वहां मौजूद था, जिसकी सेवाएँ वह ले सकता था। आयोग ने अंततः निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:-

"रिकॉर्डपर मौजूद संपूर्ण सामग्री से, यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि श्री एम.पी. बिडलान निश्चित रूप से जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह थे और इसलिए, वह अपनी ओर से लापरवाही और जिले के उपायुक्त होने के नाते जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में चूक के लिए उत्तरदायी हैं। चूंकि श्री बिडलान अपनी सार्वजनिक क्षमता के साथ-साथ रोजगार के दौरान अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और राज्य सरकार का एक कर्मचारी थे, केवल हरियाणा राज्य सरकार का प्रतिवादी संख्या 2 उनकी लापरवाही के लिए 'परोक्ष रूप से' उत्तरदायी है।"

23. अपने अधिकारी श्री बिडलान की ओर से अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में उपेक्षा के कारण, राज्य सरकार का परोक्ष दायित्व पीड़ितों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को दी जाने वाली राशि का 10% तय किया गया था। आयोग ने कहा:-

"रोजगार के दौरान लोक सेवक के रूप में और राज्य सरकार के कर्मचारी होने के नाते अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में श्री बिडलान की ओर से लापरवाही की डिग्री को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि हरियाणा राज्य सरकार (प्रतिवादी संख्या) 2 उनकी लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होगा और इस तरह यह माना जाता है कि वह कुल के दस प्रतिशत की सीमा तक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

24. मुआवज़ा देने के उद्देश्य से, आयोग ने दावा याचिकाओं को निम्नलिखित छह अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया: -

1) एक महीने से दस साल की उम्र के बच्चों की मौत के मामले;

2) दस से पंद्रह वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु के मामले;

3) सोलह से बाईस वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु के मामले;

4) कामकाजी महिलाओं सहित गृहिणियों की मौत के मामले;

5) कामकाजी पुरुषों से जुड़े मौत के मामले; और

6) पीड़ितों को लगी चोटों पर आधारित दावे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे।

श्रेणी 1 मामले:

25. जहां तक एक महीने से लेकर दस साल की उम्र के बच्चों की मौत के मामलों का सवाल है, आयोग **सी.के.सुब्रमोनिया अय्यर और अन्य बनाम टी. कुन्हिकुट्टन नायर और अन्य**[6], **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतेंदर और अन्य**[7], **लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**[8], **एमएस ग्रेवाल और अन्य बनाम दीप चंद सूद और अन्य**[9], मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा कर, घटना में मारे गए प्रत्येक बच्चे के माता-पिता/निकटतम रिश्तेदार को मुआवजे के लिए रु. 2,00,000/- की एकमुश्त राशि दिए गए। उल्लेखनीय है कि अधिकांश पीड़ित इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कुल चार सौ छियालीस मृतकों में से 172 एक महीने से दस साल की उम्र के बच्चे थे।

श्रेणी 2 मामले:

26. 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के मामले में, जिनकी संख्या कुल 38 है, आयोग ने पहले संदर्भित निर्णयों पर भरोसा करते हुए, घटना में मारे गए प्रत्येक बच्चे को 4,10,000/- रुपये की राशि प्रदान की। और इसे मृतक के माता-पिता/कानूनी प्रतिनिधियों के बीच बांट दिया गया।

श्रेणी 3 मामले :

27. 16 से 22 वर्ष की आयु के बीच अपनी जान गंवाने वाले 20 बच्चों के मामले में, आयोग ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए प्रत्येक बच्चे के लिए 5,00,000/- रुपये की राशि का अवॉर्ड दिया और राशि को दावा करने वालों के बीच उचित रूप से विभाजित किया।

श्रेणी 4 मामले:

28. आग लगने की घटना में मारी गई 136 घरेलू पत्नियों, जिनमें 47 कामकाजी महिलाएं भी शामिल थीं, के संबंध में आयोग ने प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर 44,000/- रुपये से 10,82,000/- रुपये के बीच मुआवजा दिया। आयोग द्वारा काफी विस्तार से चर्चा की गई है। अवॉर्ड की राशि भी आयोग द्वारा दावेदारों के बीच उचित रूप से वितरित की गई है। उल्लेखनीय है कि घटना में मारी गईं 47 कामकाजी महिलाओं में से नौ अविवाहित थीं और डीएवी स्कूल में उन्हें दिए जाने वाले अल्प वेतन पर काम कर रही थीं। यह विडम्बना है कि जहां 16 से 22 वर्ष की आयु के बच्चों के मामले में, आयोग ने मारे गए प्रत्येक बच्चे के लिए 5,00,000 रुपये का अवॉर्ड दिया, वहीं स्कूल में काम करने वाली नौ युवा अविवाहित लड़कियों के मामले में, दिया गया मुआवज़ा केवल रु.44,000/- से रु.2,30,000/- के बीच है। याचिकाकर्ताओं/दावेदारों ने इस विषम स्थिति के खिलाफ शिकायत की है और पीड़ितों को 16-22 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के रूप में मानकर इन नौ पीड़ितों के माता-पिता/रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि का दावा किया है। जब मुआवजे की राशि बढ़ाने का सवाल आएगा तो हम फिलहाल उस पहलू की जांच करेंगे।

श्रेणी 5 के मामले:

---

[6] एआईआर 1970 सुप्रीम कोर्ट 376

[7] 2007 (1) सिविल कोर्ट केस 255 (एससी)

[8] (2001) 8 सुप्रीम कोर्ट मामले 197

[9] 2001 सुप्रीम कोर्ट मामले (आपराधिक) 1426

29. जहां तक कामकाजी पुरुषों का सवाल है, आयोग ने पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजे का निर्धारण 61,200/- रुपये से 16,11,000/- रुपये के बीच किया, जो मृतक की आय और गुणक जो मौजूदा मामले पर लागू था, पर निर्भर करता है।

श्रेणी 6 मामले:

30. घायल पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के 88 मामलों में, आयोग ने पीड़ितों की विकलांगता की सीमा के आधार पर मुआवजा देने की एक विधि अपनाई है। आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति की बेहतर समझ के लिए, हम आयोग की सिफारिशों से उभरती तस्वीर को निम्नलिखित सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं:-

S. No.	No of victims comprising men, women and children who suffered disability on account of burn injuries	Extent of Disability	Amount of compensation ranging from
1	29	1% to 10%	Rs. 2,00,000 except in case of one person namely Surinder Pal Kaur *alias* Chhinder Pal Kaur who has been awarded Rs. 1,00,000.
2	8	11% to 20%	Rs.2,50,000 to Rs. 6,00,000
3	9	21% to 30%	Rs.3,50,000 to Rs. 6,00,000
4	12	31% to 40%	Rs.3,00,000 to Rs. 6,50,000
5	7	41% to 50%	Rs.3,25,000 to Rs. 6,50,000
6	4	51% to 60%	Rs.5,00,000 to Rs. 5,50,000
7	3	61% to 70%	Rs.4,00,000 to Rs. 6,50,000
8	3	71% to 80%	Rs.7,00,000 to Rs. 8,00,000
9	3	81% to 90%	Rs.8,00,000 each
10	1	91% to 99%	Rs.15,00,000
11	9	100.00%	Rs.10,00,000 to Rs. 16,00,000

31. पक्षों के विद्वान वकीलों ने आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। आगे बढ़ने से पहले हम उक्त आपत्तियों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।

32. एसोसिएशन और पीड़ितों ने अन्य बातों के अलावा रिपोर्ट पर निम्नलिखित आपत्तियां उठाई हैं:-

I) आयोग ने **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) स्ट्रिक्टो सेंसो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए बच्चों से जुड़ी मौत के मामलों में देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने में त्रुटि की। आयोग ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में बच्चों के लिए दिए गए मुआवजे की राशि तत्कालीन प्रचलित मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की गई थी। **लता वाधवा के मामले** में (सुप्रा) 3.3.1989 को हुई घटना संभवतः सात साल बाद 23.12.1995 को हुई दुर्घटना से उत्पन्न दावे में मुआवज़ा देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान नहीं कर सकती, बिना **लता वाधवा के मामले में** (सुप्रा) दी गई राशि में राष्ट्रीय

मूल्य सूचकांक के आधार पर मूल्य वृद्धि को जोड़े है। मुआवजे की अधिक राशि के अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने एक अलग गणना चार्ट दायर किया है जिसमें मूल्य सूचकांक पर विचार करने के बाद दावेदारों को मिलने वाली राशि का संकेत दिया गया है। इस चार्ट के अनुसार, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए दावेदारों को देय मुआवजा इस प्रकार होगा:

S. No.	Age Group of Children	Amount awarded by the Commission on the basis of **Lata Wadhwa's case**	Amount claimed by the Petitioner-Association
1	One month to ten years	Rs. 2,00,000	Rs. 3,57,000
2	Ten to 15 years	Rs. 4,10,000	Rs. 7,33,684
3	15 to 22 years	Rs. 5,00,000	Rs. 8,94,736

II) याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने गृहिणियों के मामले में आयोग द्वारा मुआवजा देने में भी गलती पाई है। इसके अनुसार, आयोग ने **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में फैसले के सार को नजरअंदाज करके गलती की, जहां एक गृहिणी के योगदान का मूल्यांकन उनके आधिपत्य द्वारा 3,000/- रुपये प्रति माह किया गया था। आयोग ने गृहिणियों द्वारा अपने परिवारों को प्रदान की गई सेवाओं के रूप में उस योगदान को स्वीकार करते हुए पीड़िता के खुद पर होने वाले खर्च के लिए गलत तरीके से एक तिहाई की कटौती की है। याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के अनुसार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार्य नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के उनके परिवारों में योगदान के मूल्य के रूप में 3,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित किया था। उक्त योगदान में से व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती स्वीकार्य नहीं थी और न ही उनके आधिपत्य द्वारा कोई कटौती की गई थी। इस प्रकार, आयोग 36,000/- रुपये प्रति वर्ष के बजाय 24,000/- रुपये प्रति वर्ष का गुणक लेने में गलती कर गया। याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने आगे कहा है कि 1989 और 1995 के बीच की अवधि के लिए मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मृत गृहिणियों द्वारा किए गए योगदान का मूल्य आनुपातिक रूप से एक उच्च आंकड़े तक बढ़ाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के अनुसार मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, गुणक, 62 से 72 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के बुजुर्गों को छोड़कर सभी गृहिणियों के लिए 64,424/- रुपये निर्धारित किया जा सकता है, जिनके लिए गुणक रुपये आएगा। 35,789/- क्योंकि उस श्रेणी के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के प्रति योगदान केवल 20,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया था, जिसे मूल्य सूचकांक के आधार पर, 35,789/- रुपये के रूप में लिया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि इन दोनों मामलों अर्थात् गृहिणियों और बुजुर्ग महिलाओं में, याचिकाकर्ता-संघ या दावेदारों को मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय आयोग द्वारा चुने गए गुणक में कोई गलती नहीं मिली है।

III) **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 50,000/- रुपये के पारंपरिक आंकड़े को बढ़ाया जाना चाहिए। दावेदारों के अनुसार, मूल्य सूचकांक पर विचार करने के बाद, उक्त राशि घटना में मारे गए प्रति व्यक्ति 89,473/- रुपये तय की जा सकती है।

IV) याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने नौ युवा कामकाजी लड़कियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि पर भी सवाल उठाया है, जिनके संबंध में आयोग ने 44,000/- रुपये से 2,88,000/- रुपये के बीच अलग-अलग मुआवजे की सिफारिश की है। उन सबूतों पर जो उनकी मासिक आय को साबित करने के लिए जोड़े गए थे। याचिकाकर्ता-एसोसिएशन और दावेदारों के अनुसार, त्रासदी के ऐसे युवा पीड़ितों के लिए मुआवजे का अवॉर्ड अधिक तार्किक रूप से निर्धारित किया जा सकता है और 15-22 वर्ष की आयु के बच्चों के मामले में दिया जा सकता है। कामकाजी युवा लड़कियों के लिए मुआवजे की कम राशि तय करने में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने एक विसंगति पैदा कर दी है क्योंकि जो लोग त्रासदी के समय काम कर रहे थे वे अपने कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान के लिए उन लोगों की तुलना में कम राशि छोड़ेंगे जो काम नहीं कर रही थीं। यह दावा किया गया है कि घटना की तारीख पर युवा लड़कियाँ काम कर रही थीं, यह मुआवजे के निर्धारण के मामले में नुकसानदेह नहीं हो सकता। इस प्रकार, डीएफटी संख्या 6, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63 और 342

में राशि को उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि 15 से 22 साल की आयु वर्ग में गैर-कामकाजी लड़कियों के लिए भुगतान की गई राशि के बराबर हो सके।

V) याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने मृत कामकाजी महिलाओं के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में निर्धारित मुआवजे की राशि में भी गलती पाई है, जिनमें से 38 महिलाएं त्रासदी का शिकार हो गई थीं। एसोसिएशन के अनुसार, उनमें से अधिकांश डीएवी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनमें से कुछ सरकारी स्कूलों में भी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इन कामकाजी महिलाओं को मिलने वाला वेतन 1,800/- रुपये प्रति वर्ष से लेकर 81,600/- रुपये प्रति वर्ष के बीच था। याचिकाकर्ता-एसोसिएशन का कहना है कि इन पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजे का निर्धारण करते समय, आयोग ने उनकी भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है और मुआवजे की राशि पूरी तरह से उस राशि के आधार पर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा है जो वे वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे थे। घटना की तारीख. **केरल राज्य परिवहन निगम बनाम सुसामा थॉमस**[10] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए एसोसिएशन का दावा है कि आयोग को गुणक का निर्धारण करते समय पीड़ितों की भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उल्लेखनीय रूप से विद्वान वकील ने इन दावों के लिए आयोग द्वारा चुने गए गुणक की शुद्धता पर भी सवाल नहीं उठाया । एसोसिएशन का दावा है कि उपरोक्त मामलों में रु. 50,000/- का पारंपरिक आंकड़ा नहीं दिया गया है, जिसे मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता-एसोसिएशन द्वारा यह भी दावा किया गया है कि **सुसामा थॉमस के मामले** (सुप्रा) में विकसित गुणक पद्धति के आधार पर निर्धारित राशि के अलावा, दावेदार ऐसी कामकाजी महिलाओं के योगदान के नुकसान के कारण मुआवजे की अतिरिक्त राशि के हकदार थे। यह उनके द्वारा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के संदर्भ में बनाया गया है। एसोसिएशन का तर्क है कि जबकि गृहिणियों के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उक्त राशि को 36,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया है, कामकाजी महिलाओं के मामले में उक्त राशि को आधार के आधार पर निर्धारित राशि से अधिक दिया जा सकता है। गुणक विधि क्योंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कामकाजी महिलाएं पारिवारिक आय की पूर्ति के अलावा अपने परिवारों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में भी योगदान देती हैं, जिसे परिमाणित भी किया जा सकता है।

VI) याचिकाकर्ता द्वारा भी इसी तर्क का आग्रह किया गया है-कामकाजी पुरुषों की मृत्यु से उत्पन्न मामलों में एसोसिएशन। एसोसिएशन उक्त मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर विचार न करने में आयोग की विफलता को दोषी मानता है। कामकाजी पुरुषों की मृत्यु से जुड़े मामलों में दावेदारों को कोई पारंपरिक राशि नहीं दी गई है।

VII) चोट के मामलों में भी, दावेदारों ने अपने पक्ष में दी गई राशि में गलती पाई है और कई आधारों पर उक्त राशि को बढ़ाने की प्रार्थना की है।

33. उत्तरदाताओं ने वन मैन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं और निष्कर्षों के साथ-साथ उन पर लगाए गए दायित्व की सीमा पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 द्वारा दायर की गई आपत्तियां, जिन पर भुगतान करने का दायित्व आयोग द्वारा दी गई राशि का 80% की सीमा तक तय किया गया है, न केवल कुछ दावेदारों की पात्रता के संबंध में आयोग की अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देते हैं। मुआवज़े का दावा करने के लिए, बल्कि पार्टियों की लापरवाही का निर्धारण करने और उनके बीच उससे उत्पन्न होने वाले दायित्व का बंटवारा करने के लिए भी। आपत्तियाँ आयोग द्वारा दावेदारों को दिए गए मुआवजे की मात्रा पर भी सवाल उठाती हैं। इन उत्तरदाताओं का मामला यह है कि वे किसी भी तरह से लापरवाह नहीं थे और घटना के लिए उन पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। इन उत्तरदाताओं के अनुसार, सुरक्षा आदि के लिए कोई निवारक उपाय करने के लिए उन पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं लगाया गया था और न ही कोई अन्य उपाय करने के लिए उन पर कोई कर्तव्य लगाया गया था, जो अगर लिया जाता, तो आग की त्रासदी को रोका जा सकता था। उत्तरदाताओं का आरोप है कि उपाय प्रदान करना, पीड़ितों की सुरक्षा के संबंध में उक्त उपायों का अनुपालन लागू करना, जिसमें मैरिज पैलेस के मालिकों द्वारा भवन उपनियमों का अनुपालन, विद्युत आपूर्ति का विनियमन आदि शामिल है, नगरपालिका समिति का था। ,

[10] 1994(2) पीएलआर 1.

डबवाली, और/या हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड। ऐसे सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने वाले किसी भी आगंतुक/अतिथि की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करना मैरिज पैलेस मालिकों का भी कर्तव्य था। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, हरियाणा नगरपालिका भवन उपनियम, 1982, हरियाणा नगरपालिका (खतरनाक और आक्रामक व्यापार) उपनियम, 1982, हरियाणा नगरपालिका (फायर ब्रिगेड का गठन और कामकाज) नियम, 1985, भारतीय के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम , 1948 और भारतीय विद्युत नियम, 1956, उत्तरदाताओं ने वैधानिक और सार्वजनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए त्रासदी के लिए अपनी ज़िम्मेदारी से खुद को मुक्त करने की कोशिश की है, इन उत्तरदाताओं के अनुसार, वैधानिक कर्तव्य थे। उन पर डालो.

34. पीड़ितों को देय मुआवजे की वृद्धि के दावे के जवाब में, उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि बच्चों के मामले में मुआवजे का अवॉर्ड पार्टियों के विद्वान वकील के बीच बनी आम सहमति के आधार पर था। आयोग के समक्ष उपस्थित होना। बच्चों के मामले में, उस आधार पर, एक महीने के बीच के बच्चों के तीन आयु समूहों में रु. 2,00,000/-, रु. 4,10,000/- और रु. 5,00,000/- की दर से मुआवजा दिया गया। क्रमशः दस वर्ष, दस से 15 वर्ष और 16 से 22 वर्ष तक। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि मुआवजे का अवॉर्ड बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न दावों के लिए सहमति से दिया गया था, इसलिए न तो याचिकाकर्ता-एसोसिएशन और न ही दावेदार इसमें कोई वृद्धि की मांग कर सकते हैं।

35. उत्तरदाताओं ने आगे दावा किया कि गृहिणियों से जुड़े मौत के मामलों में वृद्धि का दावा भी उचित नहीं था और उपयुक्त गुणक के आवेदन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में राशि का 1/3 हिस्सा काटना कानूनी रूप से सही था। यह भी आरोप है कि दिया गया मुआवजा अत्यधिक था। **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में निर्णय अन्यथा भी लागू नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं के अनुसार, यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दी गई रियायत पर आधारित है। यह भी तर्क दिया गया है कि एक सदस्यीय आयोग मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की दूसरी अनुसूची को ध्यान में रखते हुए गृहिणियों की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष मानकर मुआवजा दे सकता है, न कि इस धारणा पर कि गृहिणियों की आय मृत गृहिणियों की आय 3,000/- रूपये प्रति माह थी।

36. घटना में मारे गए कामकाजी पुरुषों के मामले में किए गए वृद्धि के दावे पर भी उत्तरदाताओं द्वारा विवाद किया गया है क्योंकि पहले से ही दी गई राशि, उनके अनुसार, दावेदारों की ओर से पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए उचित और उचित है। भविष्य की संभावनाओं के बारे में दावे का उत्तरदाताओं ने इस आधार पर खंडन किया है कि ऐसे किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। चोट के मामलों से उत्पन्न दावों में, उत्तरदाताओं ने इस आधार पर आयोग द्वारा मुआवजे के अवॉर्ड पर सवाल उठाया है कि यह अत्यधिक अत्यधिक और अस्थिर है। यह आरोप लगाया गया है कि जिन मामलों में मुआवजा गुणक पद्धति के आधार पर दिया जाता है, वहां भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने का सवाल ही नहीं उठता।

37. आयोग की रिपोर्ट पर आपत्तियां हरियाणा बिजली बोर्ड, जिसे अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, द्वारा भी दर्ज कराई गई है। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि विचाराधीन घटना उस अवधि के दौरान हुई थी जब सुबह 11.20 बजे से दोपहर 12.20 बजे तक नियमित बिजली कटौती थी और बोर्ड द्वारा बिजली आपूर्ति किसी भी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थी। आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से पता चलता है कि बोर्ड के अधिकारियों की ओर से लापरवाही हुई है, निगम ने भी इसकी आलोचना की है।

38. नगरपालिका समिति, डबवाली ने भी इसी तरह आपत्तियां दर्ज की हैं और आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की आलोचना की है कि समिति और उसके कर्मचारी भी बड़े पैमाने पर मानवीय त्रासदी को जन्म देने वाली घटना के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थे, इसलिए दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। .

39. हरियाणा राज्य ने आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। हालाँकि, याचिकाकर्ता और दावेदारों द्वारा मुआवजे में वृद्धि की प्रार्थना पर आपत्तियाँ दायर की गई हैं, जिसमें

आरोप लगाया गया है कि वृद्धि के लिए प्रार्थना उचित नहीं है क्योंकि आयोग ने पीड़ितों को देय मुआवजे की राशि निष्पक्ष रूप से निर्धारित की है। और उचित तरीके से.

40. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है। हमें आयोग के समक्ष दर्ज की गई गवाही सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से भी अवगत कराया गया है। हमारी राय में, निम्नलिखित प्रश्न निर्धारण के लिए उपयुक्त हैं:

1) क्या आग की घटना की उत्पत्ति और सहवर्ती लापरवाही के कारण 446 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने के संबंध में एक सदस्यीय जांच आयोग द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष कानून की किसी त्रुटि या विकृति से ग्रस्त हैं, इस न्यायालय से हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

2) यदि उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या जांच आयोग का यह मानना कानूनी रूप से सही था कि प्रतिवादी संख्या 9-राजीव मैरिज पैलेस डीएवी स्कूल और प्रबंधन समिति, उत्तरदाता संख्या 4 और 5 का एजेंट था । , ताकि बाद वाले को पूर्व द्वारा की गई लापरवाही के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके?

3) क्या प्रश्नगत आग त्रासदी के लिए ज़िम्मेदारी और लापरवाही का बंटवारा और उसी से होने वाली देनदारी चूक और कमीशन के कृत्यों और घटना के लिए जिम्मेदार ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और उचित है?

4) क्या दावेदार वन मैन कमीशन के समक्ष कथित तौर पर बनी आम सहमति के आलोक में मुआवजे के भुगतान में वृद्धि की मांग करने के हकदार हैं?

5) यदि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर सकारात्मक है, तो याचिकाकर्ता और दावेदार प्रत्येक श्रेणी और/या आयोग के समक्ष उनके द्वारा दायर दावा याचिका में किस सीमा तक वृद्धि के हकदार हैं और किस आधार पर?

6) दावेदार अन्य किन राहतों के हकदार हैं?

41. हम उपरोक्त प्रश्नों से सिलसिलेवार निपटेंगे।

पुनः प्रश्न संख्या 1

42. इससे पहले कि हम जांच करें कि क्या आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष किसी त्रुटि या विकृति से ग्रस्त हैं, हम संक्षेप में कानूनी उद्देश्य पर चर्चा कर सकते हैं कि कानून में कार्रवाई योग्य अपकृत्य के दायरे में लापरवाही क्या है। लापरवाही शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं दी गई है। हालाँकि, ब्लैक लॉ डिक्शनरी लापरवाही का अर्थ इस प्रकार बताती है: -

> "देखभाल के मानक का पालन करने में विफलता जो एक उचित रूप से विवेकपूर्ण व्यक्ति ने समान स्थिति में की होगी; कोई भी आचरण जो दूसरों को नुकसान के अनुचित जोखिम से बचाने के लिए स्थापित कानूनी मानक से नीचे आता है, सिवाय उस आचरण के जो जानबूझकर, लापरवाही से किया गया हो, या जानबूझकर दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करना"।

43. न्यायिक घोषणाओं में इसी प्रकार लापरवाही का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है कर्तव्य का उल्लंघन, जो कुछ करने में चूक के कारण होता है, जिसे एक उचित व्यक्ति उन विचारों से निर्देशित करता है जो आम तौर पर किसी व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करते हैं कि वह करेगा या नहीं करेगा। लापरवाही के अर्थ के बारे में सबसे शुरुआती घोषणाओं में से एक **डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन**[11] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आई थी। जहां लॉर्ड मैकमिलन ने लापरवाही के कानूनी अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया: -

> "कानून संक्षेप में लापरवाही का कोई संज्ञान नहीं लेता है। यह केवल लापरवाही से संबंधित है जहां देखभाल करना कर्तव्य है और जहां उस कर्तव्य में विफलता के कारण क्षति हुई है। ऐसी परिस्थितियों

[11] (1932) एसी 562 (एचएल)

में लापरवाही लापरवाही की कानूनी गुणवत्ता मान लेती है और परिणाम भुगतती है लापरवाही के कानून में.

XXX XXX XXX XXX XXX

दायित्व का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस पक्ष ने शिकायत की है, उसे शिकायत करने वाले पक्ष का ध्यान रखने का कर्तव्य होना चाहिए, और शिकायत करने वाले पक्ष को यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि उल्लंघन के परिणामस्वरूप उसे नुकसान हुआ है। कर्तव्य"।

44. उपरोक्त मामले में एक अलग राय देने वाले लॉर्ड एटकिन ने लापरवाही के मामले में अपनाए जाने वाले कानूनी दृष्टिकोण का सारांश इस प्रकार दिया: -

"आपको उन कृत्यों या चूक से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए जिनके बारे में आप उचित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि इससे आपके पड़ोसी को चोट लगने की संभावना होगी। फिर, कानून के अनुसार मेरा पड़ोसी कौन है? इसका उत्तर यह प्रतीत होता है, जो व्यक्ति मेरे से बहुत करीब से और सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं ऐसा कार्य करें कि मुझे उचित रूप से उन्हें चिंतन में रखना चाहिए क्योंकि जब मैं अपने दिमाग को उन कार्यों या चूकों पर निर्देशित कर रहा हूं जो प्रश्न में हैं। "

45. उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि **होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी लिमिटेड**[12] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा की गई थी। । बाद में अंग्रेजी अदालतों और इस देश की अदालतों द्वारा दिए गए फैसले "निकटता सिद्धांत" को उन व्यक्तियों तक सीमित कर देते हैं जिनके प्रति प्रतिवादी का कर्तव्य है, जिसे लॉर्ड एटीकिन ने संदर्भित किया है। पड़ोसी। निकटता के सिद्धांत के निचले भाग में, इस प्रकार, एक रिश्ता निहित है जिसकी प्रकृति लापरवाही में दायित्व थोपना उचित बनाती है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो न्याय और निष्पक्षता में प्रतिवादी के लिए दावे को जन्म देने वाला कार्य करते समय वादी को चिंतन में रखने के लिए उचित बना सके। निकटता के सिद्धांत का भौतिक निकटता से कोई लेना-देना नहीं है, उदाहरण के लिए **डोनॉग्यू के मामले** (सुप्रा) में निर्माता की उत्पाद के उपभोक्ता के साथ कोई निकटता नहीं थी और फिर भी यह माना गया कि निर्माता पर उपभोक्ता का कर्तव्य है।

46. टॉर्ट्स पर क्लर्क और लिंडसेल (द कॉमन लॉ लाइब्रेरी नंबर 3) (16वां संस्करण) लंदन, स्वीट और मैक्सवेल, 1989 में "*ड्यूटी ऑफ केयर सिचुएशन*" से निपटने के दौरान कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई तब तक लापरवाही नहीं मानी जाती जब तक क्षति न हो। व्यक्तिगत चोटों के मामलों में, क्षति तब पहुंचाई गई समझी जाती थी जब चोट वादी को लगी हो। इसलिए, लापरवाही में कर्तव्य केवल लापरवाही से कार्य न करना ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि लापरवाही से क्षति न पहुँचाना भी कर्तव्य है। चूंकि क्षति ही कार्रवाई का सार है, इसलिए "देखभाल की स्थिति के कर्तव्य" का मतलब यह है कि यह दिखाया जाना चाहिए कि अदालतें उस तरह की लापरवाही से हुई क्षति को कार्रवाई योग्य मानती हैं, जिसके बारे में वादी शिकायत करता है। वह व्यक्ति जिससे वह संबंधित है और उस व्यक्ति के प्रकार से जिससे प्रतिवादी संबंधित है।

47. एमएन राजन और अन्य बनाम कोन्नाली खालिद हाजी और अन्य[13], में कर्नाटक उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है , जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अपकृत्य पर आधारित एक मामले में लापरवाही से, न्यायालय के लिए पहले यह निर्धारित करना अनिवार्य था कि क्या प्रतिवादी की देखभाल करना कानूनी कर्तव्य के तहत था और क्या प्रतिवादी और वादी के बीच निकटता का पर्याप्त कारण था। उस प्रश्न का उत्तर देने में, न्यायालय को यह जांचने के लिए एक उचित व्यक्ति की दूरदर्शिता का परीक्षण लागू करना होगा कि क्या प्रतिवादी की चूक या कमीशन के परिणामस्वरूप वादी को चोट का उचित अनुमान लगाया जा सकता है । **दक्षिणी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड बनाम कूपर**[14] में, अदालत ने

---

[12] (1970) 2 ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट 294 (एचएल).

[13] III (2004) दुर्घटना और मुआवजा मामले 272

[14] (1974) 1 ऑल ईआर 87

घोषणा की कि लापरवाही से अपकृत्य के मामलों में लागू परीक्षण एक उचित व्यक्ति की दूरदर्शिता है, न कि अदालत की दूरदर्शिता, क्योंकि घटना के बाद समझदार बनना आसान है।

48. इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि एक पब्लिक स्कूल शिक्षक का अपने छात्र के साथ रिश्ता उन रिश्तों में से एक है जिसमें एक पक्ष (शिक्षक) दूसरे पक्ष (छात्र) के प्रति कर्तव्य रखता है। "निकटता के सिद्धांत" के संदर्भ में, न्यायालयों को यह कहने के लिए कई अवसर मिले हैं कि क्या स्कूल का अपने छात्रों के प्रति उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक देखभाल के संदर्भ में कोई कर्तव्य है। **विरना मिरांड एट अल बनाम न्यूयॉर्क शहर और न्यूयॉर्क शहर का शिक्षा बोर्ड**[15], में यह आयोजित किया गया था:-

> "एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उनकी ऐसी देखभाल करे जैसा कि सामान्य विवेक वाले माता-पिता तुलनीय परिस्थितियों में करेंगे; कर्तव्य का तात्पर्य साधारण तथ्य से है कि स्कूल, छात्रों पर शारीरिक हिरासत और नियंत्रण संभालने में, प्रभावी ढंग से उनकी जगह लेता है माता-पिता और अभिभावक"।

49. **एमएस ग्रेवाल के मामले** (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या रिश्ते की निकटता के सिद्धांत पर स्कूल का अपने छात्रों के प्रति देखभाल का कोई कर्तव्य है। प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, उनके आधिपत्य ने कहा:-

> "देखभाल का कर्तव्य हर स्थिति में अलग-अलग होता है - जबकि खेल के मैदान में बच्चों की निगरानी करना शिक्षक का कर्तव्य होगा, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, पर्यवेक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी खेल में होती है मैदान। हालांकि यह सच है कि यदि छात्रों को कुछ खेलों में भाग लेने के लिए किसी अन्य स्कूल भवन में ले जाया जाता है, तो यह जानने के लिए परिश्रम का पर्याप्त अभ्यास है कि परिसर अन्यथा सुरक्षित और सुरक्षित है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि छात्रों को किसी खेल के मैदान के पास ले जाया जाता है मौज-मस्ती और तैराकी के लिए नदी में, आवश्यक देखभाल का स्तर काफी ऊंचे स्तर पर है और किसी भी तरह से इससे कोई विचलन नहीं किया जा सकता है। लोकप्रिय कहावतों के आधार पर केवल इस बात से संतुष्ट होना कि नदी तैरने के लिए सुरक्षित है, पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा। वास्तव में नाबालिग बच्चों के प्रति विशेष रूप से देखभाल की आवश्यकता वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक है: बच्चों को अधिक सख्त देखभाल की आवश्यकता होती है।

50. **ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम लक्ष्मण अय्यर और अन्य**[16], में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

> "लापरवाही कर्तव्य की चूक है जो या तो कुछ करने में चूक के कारण होती है जिसे एक उचित व्यक्ति ने उन विचारों पर निर्देशित किया है जो आम तौर पर मानवीय मामलों के आचरण के कारण करते हैं या करने के लिए बाध्य होते हैं, या कुछ ऐसा करने के कारण होता है जो एक विवेकपूर्ण या उचित व्यक्ति नहीं करेगा लापरवाही का मतलब हमेशा पूर्ण लापरवाही नहीं होता है, बल्कि उस स्तर की देखभाल की कमी होती है जो विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होती है। लापरवाही का मतलब किसी अन्य व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए देखभाल, सावधानी और सतर्कता की डिग्री का पालन करने में विफलता है। परिस्थितियाँ उचित रूप से माँग करती हैं जिससे ऐसे दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचती है। लापरवाही और कर्तव्य का विचार सख्ती से सहसंबंधी है। लापरवाही का अर्थ है या तो व्यक्तिपरक रूप से लापरवाह मन की स्थिति, या उद्देश्यपूर्ण रूप से लापरवाह आचरण। लापरवाही एक पूर्ण शब्द नहीं है, लेकिन एक सापेक्ष शब्द है; यह है बल्कि एक तुलनात्मक शब्द। कोई पूर्ण मानक तय नहीं किया जा सकता है और कोई गणितीय रूप से सटीक सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी दिए गए मामले में लापरवाही या कमी को अचूक रूप से मापा जा सके। लापरवाही का गठन अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग होता है और यह निर्धारित करने में कि क्या लापरवाही किसी विशेष मामले में मौजूद है, या क्या केवल कार्य या आचरण लापरवाही के बराबर है, सभी उपस्थित और आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। यह

---

[15] 92 संस्करण। कानून प्रतिनिधि 957

[16] III (2003) दुर्घटना और मुआवजा मामले 551 (एससी): 2003 (4) हालिया सिविल रिपोर्ट 764

परिस्थितियों के अनुसार देखभाल का अभाव है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई कार्य लापरवाहीपूर्ण होगा या नहीं, यह निर्धारित करना प्रासंगिक है कि क्या कोई उचित व्यक्ति यह अनुमान लगाएगा कि उस कार्य से नुकसान होगा या नहीं। कानून जो बाध्य करता है उसे करने में चूक करना या यहां तक कि कानून द्वारा परिकल्पित तरीके, मोड या तरीके से कुछ भी करने में विफलता ऐसे व्यक्ति की ओर से समान रूप से लापरवाही होगी। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो यह एक लापरवाहीपूर्ण कार्य है"।

51. आइए अब उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में जांच करें कि क्या जांच आयोग ने सही ढंग से माना था कि स्कूल ने छात्रों, उनके माता-पिता और अन्य आमंत्रित लोगों के समारोह में भाग लेने के कर्तव्य का उल्लंघन किया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसकी जांच की आवश्यकता होगी वह यह है कि क्या आयोग ने उसके सामने पेश किए गए सबूतों की उचित सराहना की है और उन कानूनी परीक्षणों को सही ढंग से लागू किया है जिनका हमने पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया है।

52. उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित होते हुए, श्री राजीव आत्मा राम ने दृढ़ता से तर्क दिया कि एक सदस्यीय आयोग ने प्रत्येक उत्तरदाता की लापरवाही की प्रकृति और सीमा के प्रश्न पर अपने निष्कर्ष दर्ज करते समय उसके सामने मौजूद सबूतों की उचित सराहना नहीं की थी। , उनके कर्मचारी और एजेंट। उन्होंने हमें यह मानने के लिए मनाने का साहसी प्रयास किया कि निष्कर्ष किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं थे और किसी भी दर पर आयोग के समक्ष एकत्र की गई सामग्री के उचित पुनर्मूल्यांकन पर एक विपरीत दृष्टिकोण समान रूप से प्रशंसनीय था। उन्होंने, विशेष रूप से, कुछ पहलुओं पर काफी जोर दिया, जो उनके अनुसार, यह स्थापित करता है कि स्कूल बच्चों, उनके माता-पिता और स्टाफ के सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं कर रहा था, जिन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। समारोह; कि स्कूल परिसर इतना बड़ा नहीं था कि इस तरह के समारोह के आयोजन की अनुमति दी जा सके, जिसके कारण स्कूल अधिकारियों को समारोह को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा; राजीव मैरिज पैलेस डबवाली का एकमात्र सार्वजनिक स्थान था जहाँ स्कूल द्वारा समारोह का आयोजन किया जा सकता था; मैरिज पैलेस में एक स्टील संरचना शामिल है जिसका उपयोग परिसर के अंदर एक स्थायी पंडाल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे इसमें आयोजित किसी भी सार्वजनिक समारोह के लिए परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके; कि पंडाल के भीतर वायरिंग और फिटिंग स्थायी थी और मैरिज पैलेस के मालिक ने एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ऐसा करवाया था; घटना से पहले तीन-चार महीने की अवधि में मैरिज पैलेस में कई समारोह आयोजित किए जा चुके थे; कार्यक्रम स्थल पर लगभग 1200 लोग मौजूद थे, जिनमें से किसी को भी आग लगने और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की संभावना का अंदाजा नहीं था; जिला प्रशासन के उपायुक्त, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी जैसे अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, जिससे हर किसी के मन में यह धारणा बनी कि जगह सुरक्षित है और कुछ भी अप्रिय नहीं हो सकता; हालांकि स्कूल ने 6,000/- रुपये के भुगतान पर मैरिज पैलेस को किराए पर लिया था, फिर भी भले ही मैरिज पैलेस के मालिक ने व्यावसायिक प्रचार के लिए परिसर को स्कूल को मुफ्त में देने की पेशकश की थी, फिर भी इसमें एक तत्व था व्यवस्था में बदले की भावना ने पार्टियों के बीच एक वाणिज्यिक संबंध स्थापित किया जो प्रिंसिपल और एजेंट के न्यायिक संबंधों से बिल्कुल अलग था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इन सभी परिस्थितियों से यह साबित होता है कि उत्तरदाताओं नंबर 4 और 5 ने समारोह में भाग लेने वाले अपने आमंत्रित लोगों, मेहमानों, छात्रों और कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं की।

53. **राजकोट नगर निगम बनाम मंजुलाबेन जयंतीलाल नकुम और अन्य**[17] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारी भरोसा करते हुए , श्री आत्मा राम ने तर्क दिया कि तत्काल मामले की तथ्यात्मक स्थिति निकटता के दोहरे परीक्षण को पूरा नहीं करती है। स्कूल और पीड़ितों के बीच संबंध या संबंधित घटना की पूर्वदर्शिता। इसलिए, आयोग ने स्कूल को लापरवाही से उत्पन्न अपकृत्य का दोषी ठहराने में गलती की थी।

[17] (1997) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 552

54. याचिकाकर्ता/दावेदारों की ओर से, इसके विपरीत यह तर्क दिया गया कि वन मैन कमीशन द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उसके सामने पेश किए गए सबूतों के गहन मूल्यांकन पर आधारित थे और उसने अपने निष्कर्षों के समर्थन में ठोस कारण दिए थे। श्रीमती अरोड़ा के अनुसार, उक्त निष्कर्षों में ऐसा कुछ भी विकृत नहीं था, जिससे इस न्यायालय को अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। यह तर्क दिया गया था कि यह न्यायालय अपील न्यायालय की भूमिका नहीं निभा सकता है और इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों की शुद्धता पर निर्णय नहीं दे सकता है।

55. हरियाणा राज्य की ओर से, श्री एच.एस.हुड्डा, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, और श्री रणधीर सिंह, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक सदस्यीय आयोग द्वारा लापरवाही के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष आग लगने की घटना के लिए जिम्मेदार उत्तरदाताओं की दलीलों को हरियाणा राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और राज्य ने न तो उक्त निष्कर्षों को चुनौती दी थी और न ही उनके खिलाफ स्थापित लापरवाही से उत्पन्न दायित्व के बंटवारे को चुनौती दी थी। अन्यथा भी, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, उसके सामने रखी गई सामग्री पर उचित थे और स्कूल द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी को स्थानांतरित करने या अपनी गलती को कम करके वैधानिक और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाने का कोई भी प्रयास अनुचित था । और यह वास्तव में उस त्रासदी की भयावहता को देखते हुए दुर्भाग्यपूर्ण है जो केवल इसलिए घटित हुई क्योंकि स्कूल बहुत बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा की परवाह किए बिना कन्नी काट रहा था, जिन्हें उसने एक ऐसे स्थान पर आमंत्रित किया था जो कि होने वाले समारोह के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

56. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

57. टॉर्ट से उत्पन्न होने वाले दावे आमतौर पर सक्षम सिविल न्यायालयों के समक्ष परीक्षण और निर्णय के लिए जाते हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे निर्णय के लिए वैधानिक मंच बनाए जाते हैं, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम , 1988 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उत्पन्न होने वाले दावे के मामलों में स्थिति है। रेलवे दावा न्यायाधिकरण की स्थापना रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम , 1987 के तहत की गई है। फिर भी, उच्च न्यायालयों और वास्तव में रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले शीर्ष न्यायालय ने, असाधारण परिस्थितियों में, मानव जीवन का भारी नुकसान वाली त्रासदियों से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने की दृष्टि से हस्तक्षेप किया है। **एमएस ग्रेवाल के मामले** में ठीक यही हुआ, जिसमें डलहौजी पब्लिक स्कूल, बधानी, पठानकोट में चौथी, पांचवीं और छठी कक्षा में पढ़ने वाले 14 छात्र पिकनिक के दौरान ब्यास नदी में डूब गए। इसके समक्ष दायर एक रिट याचिका में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को घटना में मारे गए 14 छात्रों के माता-पिता को 5,00,000/- रुपये की दर से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें ब्याज भी शामिल था । 12% प्रति वर्ष की दर. उस फैसले से उत्पन्न एक अपील में, शीर्ष अदालत ने उन मामलों में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए न्यायिक रवैये में पुराने से नई अवधारणा में बदलाव का उल्लेख किया जहां नागरिकों के जीवन और/या स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावित हुआ है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण से हटते हुए कि क्षति का निर्धारण सिविल न्यायालयों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, उनके आधिपत्य ने कहा:

> "वर्तमान में न्यायिक रवैये ने पुरानी कठोर अवधारणा और पारंपरिक न्यायशास्त्र प्रणाली से बदलाव ले लिया है - लोगों के प्रभाव को काफी गंभीरता से लिया गया है और न्यायिक चिंता इस प्रकार जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए एक पायदान पर है। हर्जाना देने के लिए सिविल अदालतों के दायित्व के पुराने रूढ़िवादी सिद्धांत का सहारा लेना। वास्तव में, डीके बसु, (1997) 1 एससीसी 416 में निर्णय ने न केवल इस मुद्दे को सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप तरीके से निपटाया है। देश लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने अभिव्यक्ति की अपनी सामान्य प्रसन्नता के साथ 'न्याय उन्मुख दृष्टिकोण' की वर्तमान प्रवृत्ति को मजबूती से स्थापित किया। कानून अदालतें अपनी प्रभावकारिता खो देंगी यदि यह संभवतः समाज की आवश्यकता का जवाब नहीं दे सकती है - तकनीकीताएं कई हो सकती हैं लेकिन न्याय उन्मुख ऐसी तकनीकीता के आधार पर दृष्टिकोण को

विफल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि तकनीकीता न्याय की राह पर भारी नहीं पड़ सकती और न ही होनी चाहिए"।

58. **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में भी यही हुआ था, जिसमें जमशेदपुर में सर जमशेदजी टाटा की 150वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में आग लगने की घटना में 26 बच्चों, 25 महिलाओं और नौ पुरुषों सहित 60 लोगों की मौत हो गई थी। लता वाधवा, जिन्होंने उक्त घटना में अपने दोनों बच्चों को खो दिया था, ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने में राज्य की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाया गया, जिनकी लापरवाही के कारण यह त्रासदी हुई थी। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वाईवी चंद्रचूड़ से इस मामले को देखने और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय मुआवजे के साथ-साथ घायलों को देय मुआवजे का निर्धारण करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय ने त्रासदी से प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

59. यहां तक कि **उपहार त्रासदी और अन्य के पीड़ितों के संघ बनाम भारत संघ और अन्य**[18] मामले में भी , दिल्ली उच्च न्यायालय पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के मामले पर विचार कर रहा था, जिसे आमतौर पर जाना जाता था। उपहार अग्निकांड के रूप में. लापरवाही का निर्धारण और दायित्व का बंटवारा ऐसी स्थितियों में लागू होने वाले व्यापक सिद्धांतों और अदालत के समक्ष रखी गई रिपोर्ट और सामग्री के आधार पर किया गया था। उस मामले में आग की घटना की जांच का आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया था और श्री नरेश कुमार, उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य आग लगने के कारणों और परिस्थितियों की पहचान करना और यह जांचना था कि सिनेमा ने आवश्यक सुरक्षा उपाय किए थे या नहीं। याचिकाकर्ता ने उक्त जांच के समापन पर, पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजे और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक और अपरिहार्य अधिकारों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों के प्रति कठोर उपेक्षा दिखाने के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ दंडात्मक क्षति की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। एक सुरक्षित और खतरों से मुक्त परिसर प्रदान करने में विफल रहने से, इसका उचित अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हम सम्मानपूर्वक कहें तो उस मामले में न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण **डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[19] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरूप था । जहां उनके आधिपत्य ने जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के असंवैधानिक अभाव के लिए सार्वजनिक कानून में दावे के बीच अंतर किया, जो सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है और जनता के कपटपूर्ण कृत्य के लिए नुकसान के दावे के बीच अंतर करता है। नौकर. न्यायालय ने कहा:

> "जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के असंवैधानिक अभाव के लिए मुआवजे के लिए सार्वजनिक कानून में दावा, जिसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान के तहत दी गई है, सख्त दायित्व पर आधारित दावा है और नुकसान के लिए निजी कानून में उपलब्ध दावे के अतिरिक्त है लोक सेवकों के कपटपूर्ण कार्य। सार्वजनिक कानून की कार्यवाही निजी कानून की कार्यवाही की तुलना में एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है। अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपरिहार्य अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिए मुआवजा देना सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है क्योंकि सार्वजनिक कानून का उद्देश्य केवल यही नहीं है सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाने के लिए, बल्कि नागरिकों को यह आश्वस्त करने के लिए भी कि वे एक कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जिसमें उनके अधिकारों और हितों की रक्षा और संरक्षण किया जाएगा। स्थापित उल्लंघन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में मुआवजे का अनुदान अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार , गलत काम करने वालों को दंडित करने और राज्य पर सार्वजनिक गलती के लिए दायित्व तय करने के लिए सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार के तहत अदालतों का एक अभ्यास है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा है। .

---

[18] 104 (2003) दिल्ली लॉ टाइम्स 234 (डीबी)

[19] (1997) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 416

केवल पीड़ित को नागरिक कानून में उपलब्ध उपचारों तक सीमित करने का पुराना सिद्धांत नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों के रक्षक और संरक्षक के रूप में अदालतों की भूमिका को बहुत सीमित करता है। नागरिकों की सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करना अदालतों का दायित्व है क्योंकि अदालतें और कानून लोगों के लिए हैं और उनसे उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। कानून की अदालत अपनी चेतना और जीवंतता को कठोर वास्तविकताओं तक सीमित नहीं कर सकती। केवल अपराधी को सज़ा देने से पीड़ित के परिवार को बहुत सांत्वना नहीं मिल सकती - क्षतिपूर्ति के लिए नागरिक कार्रवाई एक लंबी और बोझिल न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए, नागरिक के जीवन के अपरिहार्य अधिकार के उल्लंघन का पता लगाने वाली अदालत द्वारा निवारण के लिए मौद्रिक मुआवजा उपयोगी है और समय-समय पर मृतक पीड़ित के परिवार के सदस्यों के घावों पर मरहम लगाने का एकमात्र प्रभावी उपाय हो सकता है। परिवार का कमानेवाला था"।

60. ऐसा कहने के बाद, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि स्कूल या सार्वजनिक पदाधिकारियों की लापरवाही की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन नहीं किया जाता है। आयोग एक सिविल न्यायालय के रूप में है और न ही यह उच्च न्यायालय का गठन करता है जिसके आदेश के तहत आयोग को एक अपीलीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था ताकि बाद में आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों पर निर्णय लिया जा सके। आयोग की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की पसंद स्पष्ट रूप से एकान्त विचार से निर्देशित थी कि वह एक प्रशिक्षित और व्यापक रूप से अनुभवी न्यायिक दिमाग है जो कानून और प्रक्रिया के सिद्धांतों से परिचित है जिसका ऐसे किसी भी निर्धारण के लिए पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए, चुने गए और नियुक्त किए गए जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि रिकॉर्ड पर कानून की कोई त्रुटि या उस तरह की विकृति स्पष्ट न हो जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह न्यायालय आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों पर अपील नहीं कर सकता है या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन में अभ्यास नहीं कर सकता है और आयोग के निष्कर्षों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि एक विपरीत या वैकल्पिक दृष्टिकोण समान रूप से प्रशंसनीय लगता है . उपरोक्त व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, आइए संक्षेप में उस सामग्री का संदर्भ लें जो आयोग के समक्ष उसकी सराहना और उसके आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के लिए रखी गई थी, इसलिए नहीं कि हम अपने रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री का फिर से मूल्यांकन करने का प्रस्ताव करते हैं । अपने स्वयं के निष्कर्ष, लेकिन केवल यह देखने के लिए कि क्या आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष विकृत हैं क्योंकि वे किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

61. विचाराधीन घटना 23.12.1995 को घटित हुई। अगले ही दिन यानी 24.12.1995 को, हरियाणा सरकार के तत्कालीन सचिव ने संभागीय आयुक्त, हिसार मंडल, हिसार को आग की घटना से संबंधित तथ्यों की मजिस्ट्रेट जांच करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, घटना की पहली जांच संभागीय आयुक्त, हिसार डिवीजन, हिसार द्वारा की गई थी, जिसकी रिपोर्ट वन मैन कमीशन के समक्ष रखी गई थी। पूछताछ के दौरान, संभागीय आयुक्त ने मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं, डॉक्टरों और राजीव मैरिज पैलेस के मालिकों और कर्मचारियों सहित 40 गवाहों से पूछताछ की थी। घटना पर मौजूद मृतक व्यक्तियों के परिजन, डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के शिक्षक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन के तकनीकी विशेषज्ञ, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और मुख्य विद्युत अधिकारी सहित बड़ी संख्या में घायल हुए। , हरियाणा की भी जांच की गई।

62. पुलिस अधिकारियों और सार्वजनिक लोगों सहित विशेषज्ञों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर, संभागीय आयुक्त ने इस आशय का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि आग की घटना किसी भी तोड़फोड़ या किसी विस्फोटक पदार्थ के उपयोग के कारण नहीं हुई थी। , क्योंकि साक्ष्यों से उपलब्ध भौतिक या रासायनिक सुराग और विशेषज्ञों की राय ऐसी किसी भी संभावना का समर्थन नहीं करती। आयुक्त ने तब जांच की कि क्या आग गैस सिलेंडर के रिसाव या गैस स्टोव के फटने या सिगरेट आदि के जलने के कारण लगी होगी और इसे भी घटना के संभावित कारण के रूप में खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने फोकस लाइटों के उपयोग से उत्पन्न गर्मी, एक सामान्य बिंदु पर दो जनरेटर सेटों की आपूर्ति के आपस में मिलने और पीवीसी ट्यूबों से ढके पूरे क्षेत्र में बिजली के झटके के कारण बिजली के तारों के कारण आग लगने की संभावना की

ओर रुख किया। पंडाल में तारें गुजरीं और निष्कर्ष निकाला कि उपलब्ध सामग्री, दस्तावेजी और मौखिक दोनों, इस संभावना का समर्थन करती हैं कि आग कच्चे माल के उपयोग के कारण पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार के दाईं ओर 12 फीट की ऊंचाई से शुरू हुई थी। उस स्थान पर लगे फोकस लाइट में. दूसरी संभावना के रूप में वेल्डिंग मशीन से गुजरने वाले तार सामने आए, जिससे आग लग सकती थी। संभागीय आयुक्त का यह भी मानना था कि आग तब लगी थी जब पंडाल के पास रखे गए दो जेनरेटर सेट चालू थे। इस संबंध में संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का निम्नलिखित अंश प्रासंगिक है:-

> डॉ. एमबी राव के अनुसार, फोकस लाइट के गर्म होने से आग लगने के अलावा, जिसमें कच्ची सामग्री थी, फाल्स रूफिंग पीवीसी सामग्री, सिंथेटिक जैसे कारकों के साथ-साथ पूरे पंडाल के जल्दी जलने की संभावना है। पर्दे और इस तरह की चीजें इस तथ्य से उत्पन्न हो सकती हैं कि भले ही फोकस लाइट में आग लगने पर एक जेनरेटिंग सेट की बिजली बंद हो गई हो, लेकिन दूसरा जेनरेटिंग सेट अभी भी चालू था (जैसा कि राजिंदर कुमार के बयान में स्वीकार किया गया है)) और इस प्रकार लाइव तारों के कारण होने वाली गर्मी पीवीसी के जलने से कई गुना बढ़ गई, जिससे एक तरफ से आग भड़क उठी, जो छत में उपलब्ध सिंथेटिक सामग्री के माध्यम से फैल गई, और यह सब आग की गति को तेज कर सकता था, जैसा कि सभी ने देखा। .

63. संभागीय आयुक्त ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि मैरिज पैलेस के मालिकों ने अवैध रूप से बिजली बोर्ड से तीन चरण का कनेक्शन लिया था और बोर्ड के अधिकारियों ने तीनों के संबंध में मालिकों से कोई बिल जारी करने और वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया था। उन्हें चरणबद्ध कनेक्शन दिया गया। आयुक्त ने नगरपालिका समिति द्वारा स्वीकृत भवन योजनाओं और योजनाओं को मंजूरी देने के आकस्मिक तरीके का उल्लंघन करते हुए एक अनधिकृत भवन के निर्माण में भी गलती पाई। उन्होंने थ्री फेज मीटर से खींचे गए तारों के ढीले टर्मिनलों में भी खराबी पाई, जो उनके अनुसार, मैरिज पैलेस के मालिकों के आपराधिक इरादे के पीछे के असली मकसद को दर्शाता है। इसलिए, मालिकों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई।

64. डिविजनल कमिश्नर की जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मैरिज पैलेस के मालिकों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से पता चला कि मंडी, डबवाली में राजीव मैरिज पैलेस एक साझेदारी फर्म थी जिसमें केवल कृष्ण धमीजा, ओम प्रकाश धमीजा और चंदर भान धमीजा नाम के तीन सगे भाई शामिल थे। इस स्थान का नाम केवल कृष्ण धमीजा के सबसे बड़े बेटे राजीव धमीजा के नाम पर रखा गया था। राजीव मैरिज पैलेस में 100'X90' क्षेत्रफल को कवर करते हुए एक आयताकार पंडाल का निर्माण किया गया था । पंडाल में शीर्ष पर जीआई शीट्स की स्टील सुपर संरचना शामिल है और बांस की छड़ियों के सहारे झूठी छत के साथ तीन तरफ आंशिक रूप से कवर किया गया है। पंडाल के अंदर सबसे निचली फॉल्स सीलिंग की दीवार जमीन से 12 फीट की ऊंचाई पर थी. पूरी छत सूती कपड़ों से रंग-बिरंगे डिजाइन और चुनरी स्टाइल में बनाई गई थी। पंडाल के तीनों किनारों को मोटे सूती पर्दों से ढक दिया गया था, जो जमीन से लेकर पहली छत की ऊंचाई तक बांस के सहारे मजबूती से लगे हुए थे। पंडाल के तीनों किनारों के ऊपरी हिस्से को पीवी शीट्स से ढका गया था। पंडाल के सामने के हिस्से को अंदर से 12 फीट की ऊंचाई तक पीवी शीट्स से ढका गया था। प्रवेश/निकास द्वार के रूप में 12'X12' की खाली जगह छोड़कर गेट के दोनों किनारों पर मोटे सूती पर्दे भी जमीनी स्तर से 12 फीट की ऊंचाई तक लगाए गए थे। सामने के हिस्से में भीतरी और ऊपरी दोनों पर्दों को एंगल फ्रेम और स्टील के खंभों के बीच रखे बांसों से कसकर बांध दिया गया था। पंडाल के प्रवेश/निकास द्वार के दोनों ओर डी-चाइना कपड़े के पर्दे टांगने के क्रम में लगाए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में पंडाल में प्रकाश व्यवस्था का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया था:

> "पंडाल के पूर्वी हिस्से की ओर स्विच रूम में स्थापित स्विच बोर्ड के माध्यम से पंडाल को 12 विद्युत सर्किट प्रदान किए गए थे। पंडाल की झूठी छत से लटकते हुए प्रत्येक 100 वाट के बिजली के बल्बों के साथ 25 झूमर लाइटें थीं। इसके अलावा, दो हैलोजन भी थे मंच पर रोशनी और पंडाल के प्रवेश/निकास द्वार के पास अन्य दो हैलोजन लाइटें भी ठीक की गईं। डबवाली में बार-बार बिजली ट्रिपिंग के कारण, राजीव मैरिज पैलेस (पंडाल) के मालिकों ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो जनरेटर सेट की व्यवस्था की थी। 23.12.1995 को पंडाल में आयोजित समारोह में परिसर

के स्विच रूम में लगे स्विच बोर्ड को एचएसईबी के साथ-साथ जनरेटर से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था प्रदान की गई थी।

इसके अलावा, पंडाल के अंदर प्रकाश व्यवस्था में दो कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ कच्चे रूप में एक आर्क लाइट और डायस के सामने प्रवेश द्वार के मध्य भाग के पास पहली छत के ऊपर एक परावर्तक लगाया गया है। मेसर्स चाचा भतीजा लाइट सर्विस के आरोपी राजेंद्र कुमार और देवीलाल को समारोह के दिन यानी 23.12.1995 को विद्युत व्यवस्था, जनरेटर चलाने आदि के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा, समारोह की तिथि पर राजेंद्र कुमार और देवीलाल द्वारा पंडाल के अंदर बिजली की फिटिंग के साथ छेड़छाड़ करके कई अस्थायी/ढीले कनेक्शन भी प्रदान किए गए थे।"

65. आरोप पत्र में पंडाल के अंदर बैठने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है और सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय मार्ग के दोनों किनारों पर प्लास्टिक से बनी 725 कुर्सियाँ रखी गई थीं। मंच से पहली तीन पंक्तियों ने केंद्रीय मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। आगे की पंक्ति में वीआईपी और विशेष मेहमानों के लिए दोनों तरफ अतिरिक्त कुर्सियों के साथ सोफा सेट थे। पंडाल के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में एक संकरा रास्ता था। आमंत्रित लोगों को चाय और कोल्ड ड्रिंक परोसने के लिए काउंटर की व्यवस्था के कारण प्रवेश द्वार से पंडाल के अंत में कुर्सियों की व्यवस्था तिरछे आकार में की गई थी।

66. आरोप पत्र में आगे बताया गया कि डीएवी पब्लिक स्कूल, डबवाली के आयोजकों ने अपने वार्षिक समारोह के आयोजन के लिए राजीव मैरिज पैलेस को केवल 6,000 रुपये की राशि पर किराए पर लिया था। कार्यक्रम स्थल पर बच्चों और अभिभावकों सहित लगभग 1000 आमंत्रित लोगों की भारी भीड़ एकत्र हुई थी। यह समारोह 23.12.1995 को लगभग 1200 बजे शुरू हुआ जिसमें श्री एम.पी.बिडलान, उपायुक्त, सिरसा मुख्य अतिथि थे। जब समारोह चल रहा था, दोपहर करीब 1.45 से 1.50 बजे के बीच प्रवेश/निकास द्वार पर आग लगी देखी गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया. परिणामस्वरूप, 441 से अधिक व्यक्तियों की, जिनमें से अधिकांश मासूम बच्चे थे, जलने के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा 145 से अधिक लोग झुलस गए। मृतकों में डबवाली के उपमंडल मजिस्ट्रेट श्री सोमनाथ कंबोज, डबवाली के पुलिस उपाधीक्षक श्री अनिल यादव की बेटी और डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रीति कामरा शामिल थीं। आरोप पत्र में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन, हरियाणा के फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, घटना के कारण से संबंधित प्रासंगिक हिस्से को इस स्तर पर निकाला जा सकता है: -

"मंच की ओर जाने वाले मध्य भाग में तांबे के तार से जुड़ी एक फोकस लाइट को वेल्डिंग मशीन के दो टर्मिनलों द्वारा अस्थायी रूप से जोड़ा गया था। बदले में वेल्डिंग मशीन को स्विच चेंज ओवर बॉक्स के माध्यम से मेन से जोड़ा गया था। टर्मिनलों में से एक में वेल्डिंग मशीन में, तांबे के तार पिघले हुए पाए गए जिससे मनके बन गए। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उच्च वोल्टेज था जिसके कारण ढीले टर्मिनलों पर भारी स्पार्किंग हो सकती थी। इस कारण से दो फ्यूज ग्रिप्स भी खराब हो गए, जिनके माध्यम से फोकस लाइट जाती है कनेक्ट किए गए तारों में भी कालापन आ गया जिसके परिणामस्वरूप तांबे का तार जल गया। फोकस लाइट में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए कुछ दूरी पर दो कार्बन इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो चमकदार रोशनी देने के लिए परावर्तक पर प्रसारित होते हैं। इस प्रक्रिया से जबरदस्त मात्रा में गर्मी पैदा होती है जिससे तार जल गया है बांस के खंभों के साथ-साथ सजावटी कपड़ा जो सिंथेटिक था। सिंथेटिक कपड़े ने तुरंत आग पकड़ ली और आग की लपटों के साथ जुड़े हुए द्रव्यमान के रूप में नीचे गिर गया। शेष प्लास्टिक शीट और सिंथेटिक कपड़े ने आग पकड़ ली और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई।

67. आरोप पत्र श्री वीबी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी आधारित था, जिसमें आग का कारण निम्नानुसार बताया गया था: -

"साइट पर किए गए प्रयोगों और चर्चाओं के परिणामों के आधार पर आग लगने का सबसे संभावित कारण पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर टी-ज्वाइंट पर बनी फ्लैश/चिंगारी प्रतीत होता

है, जहां बड़ी संख्या में ढीले विद्युत कनेक्शन बनाए गए थे । प्रकाश उपकरणों को फिट करने के लिए विद्युत ऑपरेटर। टी-ज्वाइंट मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर 12' की ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से फैले पर्दों को छूने के बहुत करीब था। इस टी-ज्वाइंट से निकली चिंगारी से पर्दे के कपड़ों में आग लग सकती थी। एक बार कपड़ा आग लग गई, कुछ ही मिनटों में आग चारों ओर फैल गई और पूरा पंडाल एक साथ जलने लगा।"

68. बैलिस्टिक, भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय पर भरोसा करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निष्कर्ष निकाला कि यह घटना किसी तोड़फोड़ के कारण नहीं हुई थी क्योंकि अवशेषों में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं पाया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किटिंग के कारण लगी थी। आरोप पत्र में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि मेसर्स राजीव मैरिज पैलेस के साझेदार केवल कृष्ण धमीजा और चंदर भान धमीजा व्यक्तिगत रूप से बिजली की फिटिंग आदि सहित कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे और आरोपियों/मालिकों ने जल्दबाजी में कई अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए थे। पंडाल में मानव जीवन की सुरक्षा की अनदेखी करते हुए अप्रशिक्षित और अयोग्य इलेक्ट्रीशियनों को नियुक्त किया जा रहा है। आरोप पत्र में कहा गया है:-

"जांच के दौरान, यह स्थापित किया गया है कि आरोपी केवल कृष्ण धमीजा और चंदर भान धमीजा, मेसर्स राजीव मैरिज पैलेस के पार्टनर, व्यक्तिगत रूप से समारोह स्थल पर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे, जिसमें बिजली की फिटिंग आदि शामिल थी । आदि आरोपी राजेंद्र कुमार और देवी लाल द्वारा बनाए गए थे जिनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। आरोपी राजेंद्र कुमार और देवी लाल ने पंडाल में कई अस्थायी विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए थे। उनके द्वारा आर्क लाइट और हलवाई के ओवन के लिए भी अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे। ये संबंध इन अप्रशिक्षित और अयोग्य आरोपियों द्वारा मानव जीवन की सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में बनाए गए थे। जांच से पता चला है कि आरोपी केवल कृष्ण धमीजा और चंद्रभान धमीजा ने व्यक्तिगत रूप से इन कार्यों की निगरानी करने के अलावा, इन कार्यों को अंजाम दिया था। पंडाल में अवैध और अनाधिकृत तरीके से विद्युत कनेक्शन किया गया है और इसलिए, उन पर उनके कृत्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 441 लोगों की जान चली गई और 145 अन्य घायल हो गए।"

69. जांच आयोग ने संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपने आरोप पत्र में निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख किया है और उन पर आंशिक रूप से भरोसा किया है। लेकिन संभागीय आयुक्त और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी-अपनी पूछताछ/जांच में जो कुछ इकट्ठा किया था, उसके अलावा, वन मैन कमीशन ने अपने सामने जांच कार्यवाही के दौरान बहुत बड़ी संख्या में गवाहों के बयानों की जांच की थी । आयोग ने अन्य लोगों के बीच, दावेदारों में से एक विनोद बंसल के बयान पर भरोसा किया, जिनके अनुसार, बैंक्वेट हॉल में मेहमानों और आगंतुकों के लिए लगभग 500 से 600 कुर्सियाँ थीं, लेकिन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 1500 व्यक्ति एकत्र हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर स्थल. गवाह ने आगे कहा कि चूंकि आगंतुकों की संख्या मैरिज पैलेस और पंडाल की क्षमता से अधिक थी, इसलिए मुख्य द्वार अंदर से बंद कर दिया गया था। गवाह ने आगे कहा कि पंडाल पर्दे, सिंथेटिक कपड़े, पॉलिथीन शीट और बांस की छड़ियों के साथ पर्दे बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नारियल की रस्सियों से बना था। बिजली की सभी फिटिंगें अस्थायी थीं और बिजली के तारों के जोड़ ढीले और नंगे थे। पंडाल के अंदर छत पर लगभग 15/16 झूमर लगे हुए थे और इसके अलावा बड़ी संख्या में अन्य लाइटें भी लगी हुई थीं। गवाह ने आगे कहा कि आग लगभग 1.45 बजे लगी लेकिन मंच से घोषणा की गई कि आग पर काबू पा लिया गया है और आगंतुकों को शांत, शांत और बैठे रहना चाहिए। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई और उस पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. न तो जिला प्रशासन, न डीएवी प्रबंधन और न ही नगर पालिका, बिजली बोर्ड या राजीव मैरिज पैलेस प्रबंधन ने आपात स्थिति में अग्निशमन की कोई व्यवस्था की थी।

70. गवाह ने आगे कहा कि आग के कारण 442 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हो गए, जिनमें गवाह भी शामिल था। कि इस घटना में उनकी पत्नी और दो बच्चों की मौत हो गई. उन्होंने मंच के

पीछे अंधेरे कमरे में छोटे निकास द्वार का भी जिक्र किया, जहां से डिप्टी कमिश्नर श्री एमपी बिडलान आग देखकर तुरंत भाग निकले थे। हालांकि, इस घटना में एसडीओ (सिविल) और उनकी पत्नी की मौत हो गई।

71. जिरह में गवाह ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि पंडाल का आकार लगभग 50' X 70' था, जबकि पंडाल की ऊंचाई लगभग 15/16 फीट थी। पंडाल की सभी कुर्सियों पर आगंतुकों का कब्जा था और जिन लोगों को कुर्सियाँ नहीं मिल पाईं वे लोग पंडाल के तीनों ओर खड़े थे। बैंक्वेट हॉल का आकार 100' X 70' था और बैंक्वेट हॉल के चारों ओर दीवारें थीं और बैंक्वेट हॉल में प्रवेश के लिए एक गेट लगभग 10/11 फीट चौड़ा था। मंच के पीछे 2 फीट का एक और छोटा सा गेट था. गवाह ने आगे कहा कि पंडाल का केवल एक ही द्वार था जबकि सभी किनारों को बांस और नारियल की रस्सियों से बंधे पर्दों से ढक दिया गया था। बांसों को एक-दूसरे से आधा फीट की दूरी पर लगाया गया था। आग पंडाल के निकास द्वार से शुरू हुई जहां से वह 15/20 फीट की दूरी पर खड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि अगर पंडाल नहीं होता तो बैंक्वेट हॉल की कुल क्षमता लगभग 1000 लोगों की होती.

72. आयोग ने इसी तरह, नगर समिति, डबवाली के सचिव, सतपाल चावला के बयानों पर भी भरोसा किया है, जिनकी साइट योजना और नगर समिति से संबंधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए जांच की गई है। इसलिए मैरिज पैलेस को बिजली कनेक्शन देने को साबित करने के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता एमआर सचदेवा के बयान पर भी भरोसा किया गया है। गवाह ने कहा है कि मैरिज पैलेस मालिकों को 5.980 किलोवाट के स्वीकृत भार के साथ तीन चरण का वाणिज्यिक आपूर्ति कनेक्शन भी दिया गया था। साक्षी द्वारा सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन के संबंध में खपत का विवरण भी दिया गया। गवाह ने यह भी सुझाव देने की कोशिश की कि घटना दोपहर 13.45 बजे हुई, इस दौरान कुछ तकनीकी खराबी के कारण 13.40 बजे से 13.45 बजे तक लगभग पांच मिनट के लिए बिजली कटौती हुई थी।

73. आयोग ने इसी तरह वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के सिद्धांत सचिव के कार्यालय में सहायक सुभाष चंदर, उपायुक्त, सिरसा के कार्यालय में अधीक्षक राम प्रकाश, कार्यालय में उप अधीक्षक बहादुर सिंह की गवाही पर भी ध्यान दिया है। उपमंडल अधिकारी (नागरिक), डबवाली ने विचाराधीन मुद्दों के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रासंगिक दस्तावेजों को साबित करने के अलावा उनके मामलों के समर्थन में दावेदारों की जांच की। आयोग ने उन दस्तावेजों पर भी ध्यान दिया जो जांच के दौरान साबित हुए थे और जिन पर आयोग ने अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए भरोसा किया था।

74. आयोग ने उत्तरदाताओं द्वारा जांचे गए गवाहों के बयानों पर भी ध्यान दिया है। इनमें नोरंग दास, तहसीलदार, डबवाली, ओम प्रकाश, सिविल सर्जन, सिरसा के कार्यालय में अधीक्षक, और सुभाष चंदर, वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव के कार्यालय में सहायक शामिल हैं, जिनसे उत्तरदाता नंबर 1 की ओर से पूछताछ की गई। 3. इन गवाहों में से, हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव के कार्यालय में सहायक, सुभाष चंदर ने 39 गवाहों के बयान आयोग के समक्ष पेश किए, जिनकी जांच श्री केसी शर्मा, संभागीय आयुक्त, हिसार डिवीजन, हिसार द्वारा की गई थी। तत्कालीन जांच आयोग.

75. चंद्र प्रकाश जैन, सहायक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लछमन दास, निजी वास्तुकार, श्रीमती नीलम वाधवा, डीएवी स्कूल, मंडी डबवाली की शिक्षिका, जगदीश देवल, अपर डिवीजन क्लर्क, डीएवी प्रबंध समिति, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली के बयान और डीएवी स्कूल, मंडी डबवाली के प्रिंसिपल वीकेमित्तल, जिनकी जांच उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 ने की है, पर भी आयोग ने गौर किया है और विस्तार से चर्चा की है।

76. डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, मंडी डबवाली के प्रिंसिपल वीके मित्तल के बयान पर चर्चा करते हुए, आयोग ने पाया कि मैरिज पैलेस मालिकों को 6,000/- रुपये के भुगतान के संबंध में गवाह या किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गई थी। स्कूल और न ही लिखित बयान में मैरिज पैलेस के मालिकों को किराया शुल्क के रूप में 6,000/- रुपये के कथित भुगतान के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। आयोग ने पाया:-

"इस गवाह के साक्ष्य से, यह पता चलता है कि यद्यपि राजीव मैरिज पैलेस के मालिकों को किराया शुल्क के रूप में 6000/- रुपये के कथित निपटान या भुगतान के बारे में लिखित बयान में कोई जिक्र नहीं है,

लेकिन उसने पेश किया है स्कूल प्राधिकारियों द्वारा उन्हें 6000/- रुपये का भुगतान किया गया, हालांकि वह ऐसी कोई रसीद पेश नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड में ऐसी कोई रसीद नहीं है क्योंकि यह मुख्य कार्यालय को भेजी गई थी। श्री जगदीश देयोल आरडब्ल्यू6/1- डीएफटी, डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति के मुख्य कार्यालय में एक अपर डिवीजन क्लर्क है। उसने कहीं भी डीएवी स्कूल, मंडी डबवाली द्वारा प्रधान कार्यालय को भेजे गए 6000/- रुपये की ऐसी किसी कथित रसीद के बारे में नहीं बताया है और न ही उसने ऐसा किया है। ऐसी कोई रसीद प्रस्तुत की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गवाह ने कथित रसीद का तथ्य स्वयं पेश किया है और इसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थन नहीं मिला है। इस गवाह ने यह भी पेश किया है कि 6000/- रुपये का किराया शुल्क भी शामिल है बैठने की व्यवस्था, बिजली, पानी, सुरक्षा, खाने-पीने का सामान और तंबू आदि के लिए शुल्क लिया जाता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस संबंध में मौखिक समझौता हुआ था और कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था।"

77. आयोग ने प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा RW9/1-DFT के रूप में जांचे गए बिजली बोर्ड के कार्यकारी अभियंता आरके सोढ़ा के बयान और उनके बयान में चिह्नित दस्तावेजों पर भी गौर किया है और उन पर चर्चा की है। आयोग ने बयान के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर पाया कि गवाह इस मामले के समर्थन में लॉग शीट में की गई ओवर-राइटिंग को संतोषजनक ढंग से समझाने में सक्षम नहीं था कि इस अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई थी। घटना घटी. आयोग ने कहा:-

> "समय 13.50 बजे बताने के लिए अंक 42 को अंक 50 में बदलने की बात को न केवल इस गवाह ने स्वीकार किया है, बल्कि यह नग्न आंखों से भी लॉग शीट पर स्पष्ट है। इस तथ्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आग दोपहर 13.45 बजे लगी, और बोर्ड की दलील यह है कि उस समय कोई बिजली की आपूर्ति नहीं थी। लेकिन अगर बिजली की आपूर्ति 13.42 बजे बहाल की गई, तो बोर्ड की दलील महत्वहीन हो जाती है। हालाँकि, यदि आपूर्ति 13.42 अपराह्न पर बहाल नहीं हुई थी, तो बोर्ड के अधिकारियों को अंक 42 को ओवर-राइट करके और इसे 50 में बनाकर 13.42 अपराह्न के समय की प्रविष्टि में हेरफेर करने की क्या आवश्यकता पड़ी। यह शायद देने के लिए किया गया था संबंधित जांच अधिकारियों और आम जनता को यह आभास हुआ कि दोपहर 13.45 बजे जब आग लगी तो बिजली की आपूर्ति नहीं थी। लेकिन ऐसा करने के लिए अपने अति उत्साह और चिंता में, वे भूल गए कि अंक 50 जिसे वे अधिक से अधिक जोड़-तोड़ कर रहे थे -अंक 42 पर लिखने का कभी-कभी पता चल सकता है और तथ्य यह है कि विद्युत आपूर्ति 13.42 बजे बहाल हो गई है। स्थापित किया जा सकता है"।

78. नगरपालिका समिति, डबवाली द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की भी आयोग द्वारा जांच की गई है और सुधार ट्रस्ट, मंडी डबवाली के सहायक अभियंता रमेश चंदर कंबोज, बलवंत सिंह, सहायक अग्निशमन अधिकारी, मंडी डबवाली और सतपाल चावला के बयानों की जांच की गई है। , सचिव, म्यूनिसिपल कमेटी, मंडी डबवाली ने चर्चा की। आयोग ने उनके बयानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि करतार सिंह चावला, फायर स्टेशन अधिकारी, मंडी डबवाली, 23.12.1995 को घटना के समय ड्यूटी से अनुपस्थित थे। हालाँकि, प्रस्तुत उपस्थिति रजिस्टर में उन्हें उपस्थित दिखाया गया था, लेकिन उनके अपने सहायक अग्निशमन अधिकारी बलवंत सिंह के बयान को गलत ठहराया गया था। श्री एमपी बिडलान, उपायुक्त, सिरसा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिसमें उनके अलावा आठ गवाह शामिल थे, पर आयोग द्वारा अपने बचाव के समर्थन में राजीव मैरिज पैलेस द्वारा जांचे गए चार गवाहों के अलावा चर्चा और मूल्यांकन किया गया है।

79. ऊपर उल्लिखित साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक और गहन मूल्यांकन पर आयोग ने माना कि डीएवी स्कूल अधिकारियों ने 23.12.1995 को राजीव मैरिज पैलेस में अपना वार्षिक अवॉर्ड वितरण समारोह आयोजित किया था; P74/248-DFT अंकित वह निमंत्रण कार्ड डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के प्रबंधन, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था, जो डीएवी प्रबंध समिति, नई दिल्ली के सीधे नियंत्रण में है; जहां तक डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल का संबंध है, निमंत्रण कार्ड उसकी प्रिंसिपल श्रीमती नरेश कामरा के माध्यम से जारी किया गया था। जहां तक डीएवी प्रबंध समिति, नई दिल्ली का संबंध है, इसे इसके क्षेत्रीय निदेशक श्री एसपी राजपूत द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार, कार्ड दोनों उत्तरदाताओं द्वारा

जारी किया गया एक संयुक्त निमंत्रण कार्ड था; कि डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, मंडी डबवाली, प्रबंध समिति, प्रतिवादी नंबर 4 के समग्र नियंत्रण में था, और इसके मामले उक्त प्रतिवादी के निर्देशों के अनुसार चलाए जाते हैं, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती के साथ-साथ धन का अनुदान आदि भी शामिल है। .; दुर्भाग्यपूर्ण समारोह का स्थान राजीव मैरिज पैलेस, मंडी डबवाली था, जिसमें श्री एमपी बिडलान, उपायुक्त, मुख्य अतिथि थे; यह समारोह एक खुला सार्वजनिक समारोह था और आमंत्रित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकते थे; कि स्कूल ने वार्षिक शुल्क के साथ छात्रों से वार्षिक बीमा प्रीमियम एकत्र किया था; उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 ने लिखित बयान में कहीं भी यह दावा नहीं किया था कि मैरिज पैलेस को 6,000/- रुपये की राशि पर एक दिन के लिए किराए पर लिया गया था; यह भी साबित नहीं हुआ कि आयोजन स्थल के किराये के शुल्क के रूप में 6,000/- रुपये का भुगतान किया गया था; राजीव मैरिज पैलेस में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट था और गेट की चौड़ाई 10' X 12' से अधिक नहीं थी; कि पंडाल में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही द्वार था; पंडाल के अंदर लगभग 700 से 800 कुर्सियाँ रखी हुई थीं और पंडाल के अंदर का केंद्रीय मार्ग कुर्सियों और सोफों की आगे की पंक्तियों से अवरुद्ध था; समारोह के दौरान आग या भगदड़ जैसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्कूल द्वारा कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे; जब पूरा पंडाल आग में घिर गया, तो बच्चों और महिलाओं के लिए उस उद्देश्य के लिए बनाए गए एकल निकास द्वार से बाहर निकलना असंभव था; कि उत्तरदाताओं ने आपातकालीन स्थिति में पंडाल के अंदर फंसे आगंतुकों के बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी; और आगंतुकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस या कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई थी।

80. आयोग ने तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों पर माना है कि स्कूल छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों सहित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए लोगों की सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति से अपेक्षित उचित देखभाल करने में विफल रहा है। **एमएस ग्रेवाल के मामले** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, आयोग ने घोषणा की कि स्कूल अपने प्रभार के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने के लिए बाध्य था, जिसे लेने में स्कूल विफल रहा था। तत्काल मामले में. इस प्रकार, स्कूल अपने कानूनी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाह था। आयोग ने कहा कि इससे हुई कानूनी चोट एक कार्रवाईयोग्य अपकृत्य है।

81. हमारी राय में, आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में कोई कमजोरी तो छोड़िए, कोई विकृति भी नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और ऐसे निष्कर्षों से आने वाले कानूनी निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह तथ्य कि स्कूल के पास वार्षिक समारोह आयोजित करने के लिए अपने परिसर में पर्याप्त जगह नहीं थी, उसे विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने और यह सुनिश्चित करने के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं करता कि ऐसे समारोह में आमंत्रित बच्चे, कर्मचारी और माता-पिता सुरक्षित हैं। जहाँ भी इसे आयोजित किया जा सकता है। डबवाली में कोई अन्य उपयुक्त स्थान नहीं था जहां समारोह आयोजित किया जा सके, इसका मतलब यह भी नहीं था कि स्कूल एक मैरिज पैलेस में समारोह आयोजित कर सकता था, जहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय नहीं थे।

82. यह तर्क कि स्कूल द्वारा चुनी गई जगह कार्यात्मक थी और स्कूल के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि कानून के तहत आवश्यक पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे, ने हमें प्रभावित नहीं किया है। जिस देखभाल की आवश्यकता हो सकती है उसका मानक अलग-अलग मामलों और स्थिति-दर-स्थिति में अलग-अलग होगा। कम उम्र के बच्चों के मामले में, स्कूल प्राधिकारियों से उनकी सुरक्षा के संबंध में जो देखभाल की अपेक्षा की गई थी, वह वयस्कों के लिए आवश्यक देखभाल की तुलना में बहुत अधिक थी। बच्चे विकलांगता के अधीन हैं। उन्हें बड़ों से ज्यादा देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। जो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं, वे निश्चिंत होने के हकदार हैं कि स्कूल उनके बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विवेकपूर्ण तरीके से काम करेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उन्हें थोड़ा भी खतरा हो या उनकी सुरक्षा और संरक्षा से समझौता हो। इसलिए, समारोह के लिए स्थान का चुनाव एक कठिन निर्णय था जिसे स्कूल को सभी संबंधित जोखिमों, खतरों और अपरिहार्यताओं को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए था, जो न केवल बच्चों, अभिभावकों द्वारा भाग लेने वाले सार्वजनिक समारोह में उचित रूप से अपेक्षित हो सकते हैं। और शिक्षक बल्कि आम जनता भी। स्कूल को यह महसूस करना चाहिए था कि मैरिज पैलेस में

समारोह आयोजित करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, खासकर तब जब मैरिज पैलेस के पास वैधानिक पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं था और वह स्कूल को जगह मुफ्त देकर अपने व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दे रहा था। स्कूल को पता होना चाहिए कि एक समारोह में जो आम जनता के लिए खुला है, 500 से 600 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक पंडाल जो 100' X 70' माप के क्षेत्र से अधिक नहीं फैला हो, 1200 से 1500 व्यक्तियों का जमावड़ा हो सकता है भगदड़ मच गई और समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को नुकसान पहुँचाया गया, विशेषकर बच्चों को, जो अन्यथा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने में असमर्थ थे। स्कूल को पता होना चाहिए था कि मैरिज पैलेस से केवल एक और पंडाल से एक निकास द्वार की उपलब्धता समारोह के दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपर्याप्त साबित होगी। स्कूल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि सभी को उपस्थित होने की अनुमति देने के बजाय आमंत्रित लोगों की संख्या को उचित रूप से समायोजित किया जा सके और इस प्रक्रिया में भगदड़ की संभावना बढ़ जाती है। स्कूल को यह देखना चाहिए था कि बैठने की जगह के अंदर और उसके आस-पास पर्याप्त आवागमन की जगह उपलब्ध कराई गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर लोग जल्दी से उस जगह से बाहर निकल सकें। यह कहना पर्याप्त है कि वार्षिक समारोह का आयोजन करने वाला एक उचित रूप से विवेकपूर्ण स्कूल प्रबंधन इस बात का ध्यान रखना और यह सुनिश्चित करना कर्तव्य से बंधा हुआ है कि समारोह में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान न हो, चाहे वह आमंत्रित व्यक्ति के रूप में हो या अन्यथा, सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाकर। पैमाने जैसे अग्निशमन व्यवस्था, निकास बिंदु, आवागमन के लिए स्थान, भीड़ नियंत्रण इत्यादि। और यह दायित्व अपरिवर्तित रहा, भले ही समारोह स्कूल परिसर के भीतर आयोजित किया गया हो या स्कूल के प्रबंधन द्वारा चुने गए किसी अन्य स्थान पर, क्योंकि बच्चे स्कूल की देखभाल में बने रहे और इसलिए स्कूल का दायित्व भी था कि वह किसी को भी रोके। उन्हें नुकसान हो रहा है. निकटता का सिद्धांत स्कूल के लिए अपने छात्रों और समारोह में आमंत्रित लोगों के लिए एक दायित्व बनाता है, जो स्कूल को समारोह स्थल के चुनाव या देखभाल की डिग्री में किसी भी लापरवाही के लिए उत्तरदायी बनाता है जिसे किसी भी तरह की रोकथाम के लिए लिया जाना चाहिए। उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो कार्यक्रम देखने और/या उसमें भाग लेने आए थे। यहां तक कि नुकसान की पूर्वानुमेयता का परीक्षण भी एक सामान्य और उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति के दृष्टिकोण से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक उचित रूप से विवेकशील व्यक्ति किसी समारोह में भाग लेने वाले लोगों के लिए खतरे का अनुमान लगा सकता है, जो इतना बड़ा स्थान है कि केवल 500 से 600 लोगों को समायोजित कर सकता है, लेकिन यह उस स्थान से दोगुनी संख्या को समायोजित करने की क्षमता से परे है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि पंडाल के भीतर घूमने के लिए शायद ही कोई जगह थी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, भगदड़ अवश्यंभावी थी, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होते, जैसा कि वास्तव में वे ही हुए थे। ढीले विद्युत कनेक्शन, अपरिष्कृत प्रकाश व्यवस्था और पूरे सिस्टम द्वारा झेले जाने वाले भार से अधिक विद्युत भार एक मानवीय त्रासदी घटित होने का नुस्खा था। पंडाल के भीतर आग बुझाने की किसी भी व्यवस्था का अभाव और आग लगने की स्थिति में लोगों के बाहर निकलने के लिए पंडाल से बाहर निकलने का एक भी रास्ता मुश्किल से होना, ऐसी घटना को संभालने वाले किसी भी समझदार व्यक्ति को समारोह में भाग लेने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर सकता था । विशेषकर छोटे बच्चे जिन्हें बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर लाया गया था। तथ्य की स्थिति में एक उचित व्यक्ति की दूरदर्शिता को लागू करते हुए, जो कि आयोग के समक्ष स्थापित साक्ष्य हैं, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आयोग को यह घोषित करना उचित था कि स्कूल समारोह की व्यवस्था करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के मामले में लापरवाह था। देखभाल करना उसका कर्तव्य है।

83. राजकोट नगर निगम बनाम मंजुलाबेन जयंतीलाल नकुम और अन्य[20] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर स्कूल के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने बहुत अधिक भरोसा किया, जो कि नहीं है। हमारी राय में, स्कूल या उसके प्रबंधन को कोई भी सहायता प्रदान करें। इस विषय पर केस कानून की व्यापक समीक्षा पर, उस मामले में न्यायालय ने कहा:-

> "इसलिए कर्तव्य के उल्लंघन में लापरवाही की डिग्री हर मामले में अलग-अलग होगी और इसे अनावश्यक रूप से सभी स्थितियों तक विस्तारित या सीमित या सीमित या सीमित नहीं किया जाना

[20] (1997) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 552

चाहिए। उपस्थित परिस्थितियों में तथ्यों के दिए गए सेट के लिए मूल्यांकन और आवेदन की आवश्यकता होती है मामला हाथ में है"।

XXX XXX XXX XXX XXX XX

"लापरवाही ऐसे कदम उठाने में विफलता में निहित है जो एक उचित, विवेकपूर्ण व्यक्ति ने दी गई परिस्थितियों में उठाया होगा। जो लापरवाही का गठन करता है वह आचरण है न कि असावधानी का परिणाम। इस प्रकार, इस अर्थ में लापरवाही है अपकृत्य में दायित्व के लिए एक आधार"।

84. उल्लेखनीय बात यह है कि अदालत, उस मामले में, एक पेड़ के अचानक गिरने से एक सड़क उपयोगकर्ता की मौत से उत्पन्न दावे पर सुनवाई कर रही थी। सवाल यह था कि क्या पक्षों के बीच संबंधों की निकटता थी, और खतरे की पूर्वानुमेयता थी और दुर्घटना से बचने के लिए या मृतक के व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिए प्रतिवादी द्वारा देखभाल के कर्तव्य का पालन किया जाना था। न्यायालय ने तीनों को नकारात्मक उत्तर दिया और माना कि निगम और सड़क उपयोगकर्ता के बीच कोई निकटता नहीं थी और न ही खतरे की कोई भविष्यवाणी थी जहां एक स्वस्थ पेड़ अचानक गिर जाता है और सड़क उपयोगकर्ता को घायल कर देता है। नतीजतन, देखभाल में कोई चूक नहीं हुई। न्यायालय ने कहा:

"यदि कई अन्य कार्यों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने या पेड़ों की स्वस्थ स्थिति की पुष्टि या परीक्षण करने का कर्तव्य उस पर डाल दिया जाता है, तो इसका प्रभाव यह होगा कि प्राधिकरण वैधानिक कर्तव्य निभाने से चूक जाएगा। का कर्तव्य इसलिए, देखभाल की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान या खतरे की आशंका को देखभाल के सार्वजनिक कर्तव्य से सहसंबंधित किया जाना चाहिए ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि चूक/गैर-व्यवहार प्रतिवादी के खिलाफ नुकसान के लिए कार्रवाई योग्य दावे को जन्म देता है।

85. हमने ऊपर जो कहा है, उसके आलोक में, हमें प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक में देने में कोई झिझक नहीं है।

पुनः प्रश्न संख्या 2

86. जांच आयोग ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि स्कूल यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है कि राजीव मैरिज पैलेस को 6,000 रुपये के भुगतान पर उपयोग के लिए किराए पर लिया गया था जैसा कि स्कूल ने आरोप लगाया है। . इसमें मैरिज पैलेस के मालिकों में से एक द्वारा उस आरोप का खंडन किया गया था, जिसके अनुसार जगह के लिए व्यावसायिक प्रचार हासिल करने के लिए मैरिज पैलेस का उपयोग मुफ्त में किया गया था। आयोग ने माना है कि चाहे वह स्थान विचार के लिए किराए पर लिया गया हो या मुफ्त उपयोग के लिए लिया गया हो, मैरिज पैलेस, स्कूल द्वारा आयोजित समारोह के प्रयोजनों के लिए, उसका एजेंट था। आयोग ने **पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी के मामले** (सुप्रा), **मीनू बी मेहता के मामले** (सुप्रा), और **एमएस ग्रेवाल के मामले** (सुप्रा) और कुछ अंग्रेजी फैसलों में शीर्ष अदालत के फैसलों पर भरोसा करते हुए यह विचार किया है कि प्रिंसिपल एजेंसी के दौरान किए गए अपने एजेंट के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। आयोग ने पाया कि मास्टर का परोक्ष दायित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कार्य वैध है या गैरकानूनी है और प्रिंसिपल अनुबंध के दौरान किए गए अपने एजेंट के कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही एजेंट ने उल्लंघन में कार्य किया हो। क़ानून के कुछ प्रावधानों या उसके अंतर्गत नियमों के बारे में।

87. आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में गलती पाते हुए, उत्तरदाताओं नंबर 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि स्कूल का मैरिज पैलेस के साथ केवल व्यावसायिक संबंध था और आयोग गलती से था। यह मानते हुए कि दोनों के बीच मालिक और नौकर या प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता आया। श्री आत्मा राम द्वारा यह तर्क दिया गया था कि स्कूल उस स्थिति में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह था जिसे मैरिज पैलेस के ग्राहक/ग्राहक के रूप में लिया जा सकता था, जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र ठेकेदार था जो समारोह के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए लगा हुआ था। प्रश्न में। समारोह के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जिसके परिणामस्वरूप

कोई क्षति या जानमाल की हानि होती है, स्कूल ऐसी किसी भी लापरवाही के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। यह तर्क दिया गया कि स्कूल के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि मैरिज पैलेस अनधिकृत रूप से बनाया गया था, उसके पास पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं था या उसके द्वारा की गई व्यवस्थाएं, चाहे वह प्रकाश व्यवस्था के लिए हों या अन्य उद्देश्यों के लिए, असुरक्षित या असंतोषजनक थीं, जिससे स्कूल की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। आमंत्रित। श्री राजीव आत्मा राम के अनुसार, स्कूल को पूरा भरोसा था कि एक बार कार्यक्रम का प्रबंधन पेशेवर हाथों में दे दिया गया, तो मेहमानों/प्रतिभागियों की सुरक्षा का ख्याल उनके द्वारा रखा जाएगा।

88. याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया कि स्कूल ने पर्याप्त जगह की कमी के कारण समारोह को अपने परिसर से बाहर स्थानांतरित कर दिया था और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार कुर्सियों, प्रकाश व्यवस्था, स्टैंडबाय जनरेटर की व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएं की गईं। सुरक्षा और संरक्षा समारोह के आयोजकों की जिम्मेदारी थी। स्कूल इस समारोह का एकमात्र आयोजक था जिसने खर्च बचाने के लिए कमियां कीं और देखभाल के अपने कानूनी दायित्वों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए समारोह आयोजित करने के लिए एक असंतोषजनक और पूरी तरह से असुरक्षित जगह की व्यवस्था की, खासकर जब बच्चे और महिलाएं दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा थीं। जिसका आयोजकों को विशेष ध्यान रखना पड़ा। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि स्कूल ने मैरिज पैलेस जैसी किसी अन्य एजेंसी के साथ दोनों के बीच तय की गई शर्तों पर समारोह आयोजित करने के लिए कोई व्यवस्था की है, तो वह किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा। यह अपनी ओर से लापरवाही का कार्य है, क्योंकि यह उस कार्य के लिए अपने ठेकेदार की लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगा, जो कानून की नजर में, स्कूल का एजेंट होगा। इसलिए, आयोग को अपनी लापरवाही और मैरिज पैलेस मालिकों की लापरवाही के लिए स्कूल को उत्तरदायी ठहराना उचित था।

89. मैसर्स एचएस हुड्डा, महाधिवक्ता, हरियाणा और रणधीर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने भी इसी तर्क का समर्थन किया और तर्क दिया कि न केवल स्कूल स्वयं लापरवाह था, बल्कि भले ही उसने होल्डिंग के लिए किसी एजेंट की सेवाएं ली हों। वह कार्य और उसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, चीजों की योजना में लाए गए ऐसे किसी भी व्यक्ति की लापरवाही को भी कुछ गलत होने की स्थिति में स्कूल की लापरवाही के रूप में माना जाना चाहिए। म्यूनिसिपल कमेटी, डबवाली और बिजली बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इसी तरह का तर्क दिया।

90. मैरिज पैलेस मालिकों, प्रतिवादी नंबर 9 की ओर से, श्री मोहंता ने तर्क दिया था कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के समय स्कूल परिसर का कब्ज़ाकर्ता था और चूंकि समारोह के आयोजन से संबंधित हर चीज़ पर नियंत्रण था स्कूल के हाथों में, वह अपनी ज़िम्मेदारी मैरिज पैलेस पर नहीं डाल सकता था। कुछ अंग्रेजी निर्णयों पर भरोसा करते हुए, श्री मोहंता ने तर्क दिया कि यद्यपि इस देश में यूनाइटेड किंगडम में जिसे ऑक्यूपियर्स लायबिलिटी एक्ट , 1957 कहा जाता है, उसके बराबर कोई कानून नहीं है, लेकिन उक्त कानून के अंतर्निहित सिद्धांतों को आम कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त थी और हो सकता है समान स्थितियों की ओर आकर्षित।

91. यह दुर्भाग्यपूर्ण समारोह स्कूल और प्रबंधन द्वारा अपने मामलों के शीर्ष पर आयोजित किया गया था। ऐसा कोई भी स्कूल समारोह, सामान्य तौर पर, स्कूल परिसर के भीतर आयोजित किया गया होगा क्योंकि यह स्कूल ही है जो न केवल कार्यक्रम की सामग्री के संबंध में समारोह का आयोजन और नियंत्रण करता है बल्कि उसे निष्पादित करने के तरीके के बारे में भी बताता है और पुरा होना। इसलिए स्कूल को न केवल समारोह स्थल के बारे में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता थी, बल्कि इसे आयोजित करने के तरीके और शर्तों के बारे में भी निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। यह बात हमारे समक्ष स्वीकार की गई थी कि इतने बड़े समारोह के आयोजन के लिए स्कूल के पास पर्याप्त जगह नहीं थी। इसका मतलब केवल यह था कि समारोह को स्कूल परिसर के बाहर आयोजित किया जाना था, लेकिन तथ्य यह रहा कि यह समारोह एक स्कूल समारोह ही बना रहा, चाहे वह किसी भी स्थान पर आयोजित किया गया हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे किसी भी समारोह के आयोजन के लिए स्कूल को न केवल तंबू/शामियाना वगैरह की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी, बल्कि बिजली, जलपान, चाय, पानी आदि की भी व्यवस्था करनी होगी। ऐसा करने के लिए किसी एजेंसी का मालिक होना या उसे नियोजित करना। वर्तमान मामले में, स्कूल के अनुसार, उसने समारोह के आयोजन के लिए आवश्यक आवास आदि के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राजीव मैरिज पैलेस को

नियुक्त किया था। स्कूल का आरोप है कि मैरिज पैलेस केवल 6,000/- रुपये के बदले में आवश्यक कार्य करने के लिए सहमत हुआ था, जिस तथ्य पर मैरिज पैलेस मालिकों ने विवाद किया है। लेकिन यह मानते हुए भी कि व्यवस्थाएँ भुगतान के लिए थीं, एक ओर स्कूल और दूसरी ओर मैरिज पैलेस मालिकों के बीच जो कानूनी संबंध उत्पन्न हुआ, वह एक प्रिंसिपल और एजेंट का था, एजेंसी का अंतर्निहित उद्देश्य एक सम्पूर्ण कार्यक्रम का संतोषजनक संचालन एवं समापन। यह समारोह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक स्कूल समारोह था, जिसे पूरी तरह से स्कूल द्वारा नियंत्रित किया जाता था। समारोह में आमंत्रित अतिथियों के लिए जिस प्रकार की बैठने की व्यवस्था की जानी आवश्यक थी, जिस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पंडाल के अंदर और उसके आसपास की जानी आवश्यक थी, मंच का आकार जो समारोह के लिए तैयार किया जाना आवश्यक था। और किस प्रकार की सजावट की जानी आवश्यक थी, ये सभी मामले पूरी तरह से स्कूल अधिकारियों के विवेक पर निर्भर थे। यह सामान्य ज्ञान है कि न केवल विवाह समारोहों के लिए, बल्कि अन्य समान समारोहों के लिए भी, जहां स्थान किराए पर लिए जाते हैं, परिसर के किराए पर लेने वाले ग्राहकों को यह निर्णय लेने की छूट होती है कि परिसर के भीतर उपलब्ध स्थान का उपयोग कैसे किया जा सकता है और क्या सुविधाएं, सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। समारोह में भाग लेने वाले या आमंत्रित लोगों को सावधानियां और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। 23.12.1995 को आयोजित दुर्भाग्यपूर्ण समारोह उस मामले में किसी भी अन्य समारोह से अलग नहीं था जिसमें स्कूल इस बात पर पूर्ण नियंत्रण में था कि वह क्या व्यवस्था करना चाहता था और उसे किस तरीके से व्यवस्थित करना था। मैरिज पैलेस के मालिकों की भागीदारी या उपस्थिति से केवल यह पता चलता है कि वे स्कूल अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे थे। किसी भी कीमत पर भले ही स्कूल ने मैरिज पैलेस को समारोह आयोजित करने की खुली छूट दे दी हो, स्कूल और मैरिज पैलेस के बीच के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया और वह प्रिंसिपल और एजेंट का ही रिश्ता बना रहा।

92. प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में स्कूल और मैरिज पैलेस के बीच कानूनी संबंध, दोनों सामान्य कानून के सिद्धांतों पर थे, जो परिसर के कब्जेधारी के रूप में तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी थे, जो देखभाल में उनकी लापरवाही के कारण आग की लपटों में घिर गए। **टॉर्ट्स के कानून पर सैल्मंड (दसवां संस्करण)** में, बिंदु पर कानून को नीचे बताया/सारांशित किया गया है: -

> "खतरनाक परिसरों से निपटने में मालिक की जिम्मेदारियों और कब्जा करने वाले या मालिक की जिम्मेदारियों के बीच अंतर करना आवश्यक है। आम तौर पर, ऐसे मामलों में दायित्व स्वामित्व पर नहीं, बल्कि अधिभोग या नियंत्रण पर आधारित होता है। स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति परिसर पर फिलहाल उसका वास्तविक कब्ज़ा है, चाहे वह मालिक हो या नहीं, क्योंकि उसके पास तत्काल पर्यवेक्षण और नियंत्रण है और अन्य व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने की शक्ति है"।

93. **व्हीट बनाम ई. लैकॉन एंड कंपनी**[21] में, लॉर्ड डेनिंग ने घोषणा की कि परिसर पर पर्याप्त नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति एक अधिभोगी के रूप में वैध रूप से आए लोगों की देखभाल के कर्तव्य के अधीन होगा। अहाते में। इस संबंध में निम्नलिखित परिच्छेद उपयुक्त है:

> "यह उस व्यक्ति को इंगित करने के लिए एक सुविधाजनक शब्द था जिसके पास परिसर पर पर्याप्त नियंत्रण था ताकि उसे परिसर में वैध रूप से आने वाले लोगों की देखभाल के कर्तव्य के तहत रखा जा सके। 'कब्जाधारी' होने के लिए यह आवश्यक नहीं है किसी व्यक्ति के लिए परिसर पर संपूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक नहीं है। उसके पास विशेष व्यवसाय होना आवश्यक नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि उसके पास कुछ हद तक नियंत्रण है। वह दूसरों के साथ नियंत्रण साझा कर सकता है। दो या दो से अधिक कब्जाधारी हो सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है, तो प्रत्येक परिसर में कानूनी रूप से आने वाले व्यक्तियों की देखभाल करने के कर्तव्य के तहत, उसके नियंत्रण की डिग्री पर निर्भर करता है। यदि प्रत्येक अपने कर्तव्य में विफल रहता है, तो प्रत्येक एक आगंतुक के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी विफलता के परिणामस्वरूप घायल हो जाता है, लेकिन प्रत्येक का दावा हो सकता है दूसरे से योगदान"।

---

[21] (1966)1 ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 582 (एचएल)

94. मौजूदा मामले में, जबकि स्कूल को उसके द्वारा आयोजित समारोह स्थल में प्रवेश को प्रतिबंधित करने का पूर्ण अधिकार था और वह सब कुछ जो समारोह को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित करेगा, मालिकों ने परिसर पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। , और वास्तव में घटना के समय उपस्थित थे। जांच के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्थापित होता है कि स्कूल और मैरिज पैलेस के मालिक दोनों ही परिसर पर कब्जा कर रहे थे और इसलिए, न केवल छात्रों, बल्कि सभी की सुरक्षा का ध्यान रखने का दायित्व था। उनके निमंत्रण पर या उनकी विशिष्ट या निहित अनुमति से परिसर में प्रवेश किया। अपने आमंत्रितों की देखभाल करने के लिए एक अधिभोगी के दायित्व के संबंध में अंग्रेजी निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला ने कानूनी स्थिति तय कर दी है। इस स्तर पर, हम उनमें से कुछ निर्णयों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं:

95. थॉमसन बनाम क्रेमिन और अन्य[22] में, यह देखा गया:

> "आमंत्रितकर्ता का आमंत्रित व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, मेरी राय में, पूर्व का व्यक्तिगत कर्तव्य है, इस अर्थ में कि वह स्वतंत्र ठेकेदारों को अपना प्रदर्शन सौंपकर दायित्व से छुटकारा नहीं पाता है। यह सच है कि आमंत्रितकर्ता नहीं है एक बीमाकर्ता: हालाँकि, वह आश्वासन देता है कि आमंत्रित व्यक्ति के लिए परिसर को उचित रूप से सुरक्षित बनाने के लिए उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग किया गया है, चाहे वह स्वयं, उसके नौकरों, या एजेंटों या स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा जिन्हें वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त करता है। वह इसे पूरा नहीं करता है केवल ठेकेदारों पर काम छोड़ने से वारंटी, हालांकि, प्रतिष्ठित या आम तौर पर सक्षम। यदि वे उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग करने में विफल रहते हैं तो उनकी वारंटी टूट जाती है। यह केवल सामान्य नियम का एक उदाहरण है जिसे **लॉर्ड ब्लैकबर्न** ने एक अन्य संबंध में कहा था **डाल्टन बनाम एंगस (6) (6 ऐप. कैस. 829)** में, जहां उन्होंने उप-ठेकेदार की संपार्श्विक लापरवाही कहे जाने वाले मामले को प्रिंसिपल पर निर्भर कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने में उनकी लापरवाही से अलग किया।

96. हार्टवेल बनाम ग्रेसन रोलो और क्लोवर डॉक्स लिमिटेड और अन्य[23] में, इसी तरह यह देखा गया था:

> "मेरी राय में सच्चा विचार यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर आमंत्रित करता है जहां उन दोनों का व्यवसाय होता है, तो निमंत्रण आमंत्रितकर्ता का कर्तव्य बनता है कि वह उचित देखभाल करे कि उस स्थान पर कुछ न हो या छुपे होने की चेतावनी दे खतरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थान आमंत्रितकर्ता का है या उसके विशेष कब्जे में है। हालांकि नियम आमतौर पर परिसर के मालिकों या कब्जाधारियों के संदर्भ में कहा गया है, यह **ग्लासगो कॉर्पोरेशन बनाम मुइर और अन्य** (1) के मामले में लॉर्ड राइट द्वारा इंगित किया गया है। कि व्यवसाय को विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वहां कहा: "तथ्यों से निपटने से पहले, मैं देख सकता हूं कि 'निमंत्रण' के मामलों में कर्तव्य का आमतौर पर परिसर की संरचनात्मक स्थिति से संदर्भ होता है, लेकिन यह हो सकता है स्पष्ट रूप से उस उपयोग पर लागू होता है जिसे परिसर का कब्जाधारी (या जिसके पास सामग्री के रूप में उसका नियंत्रण है) किसी तीसरे पक्ष को परिसर बनाने की अनुमति देता है। निःसंदेह, निमंत्रक, एक नियम के रूप में, व्यवसाय के लिए दूसरों को उस परिसर में आमंत्रित नहीं करते हैं जिसमें आमंत्रितकर्ताओं का कोई व्यावसायिक हित या नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका हित और नियंत्रण हो सकता है जो विशिष्ट व्यवसाय से कम हो, और जहां उनका ऐसा हित और नियंत्रण है और वे दूसरों को व्यापार के मौके पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो मेरी राय में, वे बाध्य हैं , आमंत्रित व्यक्ति को उन छुपे खतरों के प्रति आगाह करना जिनके बारे में वे जानते हैं, या जानना चाहिए, भले ही ऐसे खतरे उनके अपने सकारात्मक कृत्यों द्वारा पैदा न किए गए हों"।

---

[22] (1953)2 ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 1185

[23] (1947) 1 किंग्स बेंच डिवीजन 901

97. एच एंड एन इमानुएल लिमिटेड बनाम ग्रेटर लंदन काउंसिल और अन्य[24] में, अपील की अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां एक स्वतंत्र ठेकेदार ने लापरवाही की थी जिसके परिणामस्वरूप आग लगने से बच गया और पड़ोसी इमारत को नुकसान हुआ । . न्यायालय ने कब्जाधारी को उत्तरदायी ठहराया और कहा:

> "एक कब्ज़ाकर्ता न केवल अपने नौकर की, बल्कि अपने स्वतंत्र ठेकेदार और किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण लगी आग से बचने के लिए उत्तरदायी था, जो उसकी छुट्टी और लाइसेंस के साथ उसकी भूमि पर था; एकमात्र अवसर जब कब्ज़ाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा लापरवाही तब होती है जब लापरवाही किसी अजनबी की लापरवाही होती है, हालांकि (लॉर्ड डेनिंग एमआर के अनुसार) इस उद्देश्य के लिए एक 'अजनबी' में कब्जे वाले की अनुमति के साथ जमीन पर एक व्यक्ति शामिल होगा, जो आग जलाने या उसे भागने की अनुमति देता है, किसी भी चीज़ के विपरीत कार्य किया जो कि कब्ज़ा करने वाले को उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगा; वर्तमान मामले में परिषद परिसर के 'कब्जाधारी' थे क्योंकि उनके पास वहां के व्यक्तियों की गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण था और के के आदमी 'अजनबी' नहीं थे क्योंकि हालाँकि, उन्हें कूड़ा जलाने से मना किया गया था, लेकिन ऐसा करना उनका नियमित अभ्यास था; परिषद उचित रूप से अनुमान लगा सकती थी कि पुरुष आग जलाएंगे और उन्हें रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे"।

98. उपरोक्त के आलोक में, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि एक सदस्यीय जांच आयोग द्वारा स्कूल और मैरिज पैलेस को उनकी लापरवाही और सुरक्षा का ध्यान रखने के कर्तव्य से उत्पन्न अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराना पूरी तरह से उचित था। डबवाली में समारोह में आमंत्रित सभी लोगों में से । प्रश्न संख्या 2 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

पुनः प्रश्न संख्या 3

99. स्कूल की ओर से, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम द्वारा यह तर्क दिया गया कि जांच आयोग ने स्कूल और अन्य अपकृत्यकर्ताओं के बीच दायित्व का उचित वितरण नहीं किया था। यह आग्रह किया गया कि आयोग कुल का 80% दायित्व तय करते समय केवल स्कूल की आय से प्रभावित था। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, स्कूल या प्रबंध समिति, जिसके नियंत्रण में स्कूल कार्य करता है, की आर्थिक क्षमता उस दायित्व की सीमा का निर्धारक नहीं थी जो स्कूल पर डाला जा सकता था और होना भी चाहिए। नगरपालिका समिति और बिजली बोर्ड पर निर्धारित दायित्व अनुचित रूप से कम था, तब भी जब आयोग ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि घटना को केवल तभी टाला जा सकता था यदि नगरपालिका समिति और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया होता। इसलिए राज्य का दायित्व भी उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से चूक की भयावहता को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से तय नहीं किया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह एक उपयुक्त मामला था, जहां प्रत्येक अपकृत्यकर्ता के लिए जिम्मेदार लापरवाही की सीमा को ध्यान में रखते हुए दायित्व को नए सिरे से विभाजित किया जा सकता था।

100. राज्य, नगरपालिका समिति, डबवाली और बिजली बोर्ड की ओर से यह तर्क दिया गया कि त्रासदी से उत्पन्न होने वाले दायित्व का बड़ा हिस्सा स्कूल और उसके एजेंट, मैरिज पैलेस पर पड़ना चाहिए, और यह सही था कि उन पर आयोग संयुक्त रूप से और अलग-अलग। विद्वान वकील के अनुसार, वास्तविक अपकृत्यकर्ता और अपकृत्यकर्ता के बीच कोई तुलना नहीं थी, जिसे केवल इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था क्योंकि उसने ऐसे कदम नहीं उठाए थे जो त्रासदी को रोक सकते थे।

101. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच आयोग ने दावेदारों को देय कुल राशि का 80% स्कूल का दायित्व तय किया है, लेकिन यह कहना गलत है कि स्कूल पर निर्धारित दायित्व का उच्च प्रतिशत केवल इसलिए था क्योंकि वह एक स्थिति में था। इससे वसूली योग्य राशि का भुगतान करना होगा। अपकृत्य के कृत्य से उत्पन्न दायित्व का बंटवारा अलग-अलग मामले और स्थिति-दर-स्थिति अलग-अलग होगा। ऐसा कोई कट और ड्राय

[24] (1971) 2 ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 835

फार्मूला नहीं है जिसे कई अपकृत्यकर्ताओं के बीच दायित्व तय करते समय लागू किया जा सके। मोटे तौर पर, दायित्व को अपकृत्य के कमीशन में अपकृत्यकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रकृति और सीमा और दावेदारों को परिणामी हानि के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। आयोग की राय में, स्कूल को अपनी लापरवाही से उत्पन्न होने वाले अपकृत्य में प्रमुख खिलाड़ी होने के नाते 80% की सीमा तक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि राज्य, नगरपालिका समिति और बिजली बोर्ड को केवल 10% की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्रमशः 5% और 5%। वह अनुपात, हमारी राय में, इक्विटी को संतुलित करने के लिए और लापरवाही की सीमा और उसके प्रभाव के अनुपात में जितना संभव हो उतना विभाजन करने के लिए थोड़ा सुधार के लिए खुला है। **उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ** (सुप्रा) के मामले में, आग की घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी और 203 पुरुष, महिलाएं और बच्चे घायल हो गए थे, जो एक हिंदी फिल्म देखने के लिए उपहार सिनेमा गए थे। त्रासदी के पीड़ितों के संघ द्वारा दायर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में , न्यायालय ने न केवल सिनेमा, दिल्ली विद्युत बोर्ड के मालिकों को दोषी ठहराया था। दिल्ली नगर निगम और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लापरवाही का दोषी माना गया, लेकिन उनके खिलाफ दावेदारों को मुआवजा दिया गया। न्यायालय ने सिनेमा मालिकों पर कुल 55% की सीमा तक दायित्व तय करते हुए, दिल्ली विद्युत बोर्ड, लाइसेंसिंग प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को 15% की सीमा तक उत्तरदायी ठहराया था। न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अपकृत्य करने वालों के बीच अंतर किया गया था। उस व्यक्ति पर भारी दायित्व तय कर दिया गया जिसका प्राथमिक कर्तव्य सिनेमा देखने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना था। इसके विपरीत किसी कारण के अभाव में हम वर्तमान मामले में भी दायित्व के बंटवारे के लिए वही दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं। नतीजतन, जबकि स्कूल और उसके एजेंट अर्थात् प्रतिवादी नंबर 9-राजीव मैरिज पैलेस दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि का 55% भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, शेष अपकृत्यकर्ता, अर्थात् हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (जिसे अब "दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम" नाम दिया गया है) और नगर समिति, डबवाली, कुल राशि का 15% भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार, जैसा कि आयोग की सिफारिश है, भुगतान करेगी। जांच के लिए, पहली बार में अपनी ओर से और उत्तरदाताओं बिजली बोर्ड और नगरपालिका समिति, डबवाली की ओर से राशि का भुगतान करें, लेकिन उस दायित्व की सीमा तक उनसे इसे वसूलने के लिए स्वतंत्र होंगे जो हमने उक्त के लिए तय किया है। दो उत्तरदाता.

102. प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

पुनः प्रश्न संख्या 4 :

103. उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम द्वारा यह तर्क दिया गया कि दावेदार अपने मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए कोई दावा करने के हकदार नहीं थे। कृपादृष्टि। उन्होंने तर्क दिया कि दावेदारों के पक्ष में आयोग द्वारा दी गई राशि न केवल दावेदारों बल्कि उत्तरदाताओं द्वारा भी आयोग के समक्ष बनी आम सहमति पर आधारित थी, जिसे इस स्तर पर दावेदारों द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इस संबंध में हमारा ध्यान नाबालिग बच्चों की मौत से संबंधित दावों से निपटने के दौरान आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिखाई देने वाले निम्नलिखित अंशों की ओर आकर्षित किया: -

> "वास्तव में, सभी पक्षों के विद्वान वकील एकमत से सहमत हुए हैं और बार में प्रस्तुत किया है कि उनके बीच इस बात पर आम सहमति है कि इस विषय पर भारी केस कानून और **लता वाधवा के मामले** में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए, एक राशि इन 76 मामलों में से प्रत्येक में दावेदारों को भुगतान किए जाने वाले दो लाख रुपये को 'उचित' मुआवजा माना जा सकता है। तदनुसार, उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए और इसे उचित और उचित पाते हुए भी निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में, इन 76 मामलों में से प्रत्येक में दावेदार/दावेदारों को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये की राशि देय तय की गई है।
>
> XXX XXX XXX XXX XXX XX

"वास्तव में, सभी पक्षों के विद्वान वकील एकमत से सहमत हुए हैं और बार में प्रस्तुत किया है कि उनके बीच एक आम सहमति है कि विषय पर भारी मामले के कानून और **लता वाधवा के मामले** में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए, इन 38 मामलों में से प्रत्येक में दावेदारों को भुगतान की जाने वाली 4.10 लाख रुपये की राशि को 'उचित' मुआवजा माना जा सकता है। तदनुसार, उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए और इसे उचित और उचित मानते हुए भी रखा जा सकता है। **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए, इन 38 मामलों में से प्रत्येक में दावेदार/दावेदारों को मुआवजे के रूप में 4.10 लाख रुपये की राशि देय तय की गई है।

XXX XXX XXX XXX XXX XX

"वास्तव में, सभी पक्षों के विद्वान वकील एकमत से सहमत हुए हैं और बार में यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि उनके बीच एक आम सहमति है कि विषय पर भारी मामले के कानून और दोनों में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए **एमएस ग्रेवाल के मामले और लता वाधवा के मामले में**, 16 से 22 वर्ष की आयु के सभी 20 मृत बच्चों के उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाने वाली 5 लाख रुपये की राशि को 'उचित' मुआवजा माना जा सकता है। तदनुसार, स्वीकार करना उनकी दलीलों को उचित और उचित पाते हुए, इन 20 मामलों में से प्रत्येक में दावेदार/दावेदारों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाना तय किया गया है।

104. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता-एसोसिएशन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्रीमती अंजू अरोड़ा ने तर्क दिया कि दावेदारों ने रिपोर्ट में उल्लिखित सहमति जैसी कोई सहमति नहीं दी। आयोग के समक्ष इस बात पर सहमति थी कि जहां त्रासदी में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे मारे गए थे, वहां दावेदारों को देय राशि का निर्धारण करते समय **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में निर्धारित मुआवजे के भुगतान के सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। यह प्रश्न कि उक्त सिद्धांतों पर मुआवजे की राशि क्या होगी, एक ऐसा मामला था जिसे आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना था और जिस पर दावेदारों ने कोई रियायत नहीं दी थी। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने अपने और मैसर्स हरपाल सिंह, डबवाली फायर ट्रेजडी विक्टिम एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुखचरण सिंह सरन, दीवान चंद गर्ग, रविंदर कुमार तायल, राधे श्याम चालाना, वकील, जो उनकी ओर से उपस्थित हुए थे, के शपथ पत्र रिकॉर्ड में रखे। जांच आयोग के समक्ष दावेदार। ये सभी हलफनामे दावेदारों की ओर से किसी भी बयान या रियायत से इनकार करते हैं कि बच्चों की मौत से उत्पन्न 172 मामलों में से प्रत्येक में मुआवजे के लिए 2,00,000/- रुपये की राशि पर्याप्त होगी या उचित मुआवजा होगा . यह प्रस्तुत किया गया कि कार्यवाही के किसी भी चरण में दर्ज किए गए किसी भी बयान से कथित आम सहमति का सबूत नहीं मिला और न ही आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में ऐसी कोई रियायत देने का उल्लेख किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट में याचिकाकर्ताओं को दी गई रियायत याचिकाकर्ता -एसोसिएशन के लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आई है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

105. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने तर्क दिया कि यदि पार्टियों को उनके द्वारा दी गई रियायतों से राहत दी जानी है तो उत्तरदाताओं को भी यह तर्क देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनकी ओर से भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई थी। हालाँकि, स्कूल की ओर से किसी भी स्कूल पदाधिकारी या उसकी ओर से आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं द्वारा स्कूल को दी गई रियायत को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने का कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है। इसलिए, इन परिस्थितियों की समग्रता में, और यह सुझाव देने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि वास्तव में आयोग के समक्ष रियायत दी गई थी, हमारी राय है कि ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई थी या उचित के लिए प्रार्थना करने में उनके रास्ते में नहीं आ सकती। उन्हें देय मुआवजे की राशि में वृद्धि। हालाँकि, याचिकाकर्ता-एसोसिएशन को दी गई रियायत के बारे में जो सच है, वह स्कूल को दी गई रियायत के बारे में भी उतना ही सच होना चाहिए, हालाँकि उसकी ओर से कोई विशेष इनकार नहीं किया गया है। नतीजतन, पार्टियों को इस बात पर सहमत माना जाएगा कि याचिकाकर्ताओं को देय मुआवजे की राशि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांतों पर निर्धारित की जाएगी। हालाँकि, उन सिद्धांतों को लागू करने पर कितनी राशि देय होगी, यह किसी भी रियायत के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा मामले की उचित सराहना पर निर्धारित किया जाना बाकी है।

106. तद्नुसार प्रश्न संख्या 4 का उत्तर सकारात्मक है।

पुन: प्रश्न संख्या 5:

107. एक सदस्यीय जांच आयोग ने विभिन्न श्रेणियों में दावों का निपटारा किया है और तदनुसार मुआवजा दिया है। हम प्रत्येक श्रेणी के मामलों के संदर्भ में दावों से समान रूप से निपटने का भी प्रस्ताव करते हैं।

श्रेणी 1 के मामले:

108. श्रेणी 1 में ऐसे मामले आते हैं जिनमें एक महीने से लेकर दस साल तक की उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, आयोग ने घटना में मारे गए प्रत्येक बच्चे के माता-पिता/निकटतम संबंधियों को मुआवजे के रूप में 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। ऐसा करते समय आयोग ने **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) और **एमएस ग्रेवाल के मामले** (सुप्रा) में दिए गए फैसलों सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का समर्थन लिया है। हमारे सामने, जबकि दावेदारों ने आयोग द्वारा दी गई राशि को बढ़ाने की प्रार्थना की, प्रतिवादी-स्कूल ने पहले से दी गई राशि में कटौती की मांग की है। वृद्धि के लिए याचिका दावेदारों द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर की गई थी कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) के अनुरूप दी गई 2,00,000/- रुपये की राशि में 1989, जब **लता वाधवा मामला** (सुप्रा) की घटना घटित हुआ और 1995 जब इन मामलों से संबंधित घटना घटी, के बीच मूल्य सूचकांक में वृद्धि को नजरअंदाज कर दिया गया था । बीच की अवधि में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक काफी बढ़ गया है, **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में निर्णय के आधार पर मुआवजे की कोई भी राशि सटीक, निष्पक्ष और उचित हो सकती है, यदि राशि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाए। बीच की अवधि के दौरान मूल्य सूचकांक। **अशोक शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[25] में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि श्रेणी 1 में दावेदारों को दी गई मुआवजे की राशि होनी चाहिए बढ़ाकर रु. 3,57,000/- कर दिया गया।

109. दूसरी ओर, प्रतिवादी-स्कूल की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक महीने से दस वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आयोग द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि अधिक है और इसे उचित रूप से कम किया जाना चाहिए। उस सबमिशन के समर्थन में, श्री राजीव आत्मा राम ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतेंदर और अन्य**[26] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया , जहां कोर्ट ने 180,000/- रुपये की राशि का फैसला सुनाया था। 7.5.2002 को एक मोटर दुर्घटना में मारे गए नौ वर्षीय बच्चे की मृत्यु के मुआवजे के लिए । श्री राजीव आत्मा राम द्वारा **कौशल्या देवी बनाम करण अरोड़ा और अन्य**[27] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया गया था, जहां 14 साल के बच्चे के मुआवजे के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी। सड़क दुर्घटना में लड़के की मौत. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सैयद इब्राहिम और अन्य**[28] में श्री राजीव आत्मा राम द्वारा भरोसा करते हुए, दिए गए मुआवजे की राशि केवल सात लोगों की मृत्यु के लिए 51,500/- रुपये तक सीमित थी। वर्ष 1994 में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक वर्षीय बच्चा। श्री राजीव आत्मा राम द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप जांच आयोग द्वारा 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई। **लता वाधवा के मामले** में (सुप्रा) पहले से ही उच्च स्तर पर था और उसने किसी और वृद्धि की मांग नहीं की।

110. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जसबीर कौर और अन्य[29] में, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य जीवन के नुकसान के लिए मुआवजे के निर्धारण से जुड़े एक मामले से निपट रहे थे। न्यायालय ने कहा कि अंगों या जीवन की हानि के लिए मुआवज़े को शायद ही सुनहरे तराजू में तौला जा सकता है और हालाँकि पीड़ित या उसके पीछे छोड़े गए आश्रितों के लिए मुआवज़ा मामूली नहीं हो सकता है। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का कर्तव्य है कि वे उचित प्रतीत होने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करने में विभिन्न कारकों पर विचार करें। हालाँकि, ऐसी गणनाओं में किसी गणितीय परिशुद्धता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुआवज़ा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विशेष विशेषताओं पर निर्भर करेगा। याद

---

[25] ॥ (2008) दुर्घटना और मुआवजा मामले 644

[26] एआईआर 2007 सुप्रीम कोर्ट 324

[27] एआईआर 2007 सुप्रीम कोर्ट 1912

[28] एआईआर 2008 सुप्रीम कोर्ट 103

[29] (2003) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 484

रखने वाली बात यह है कि मुआवज़े का तात्पर्य केवल यह है कि यह न तो मनमौजी हो सकता है और न ही मनमाना हो सकता है। यह न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।

111. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में, अरिजीत पसायत, जे. ने बच्चों की हत्या के मामलों में मुआवजे के निर्धारण के सवाल से निपटते हुए कहा:

> "मानव जीवन के कुछ पहलू हैं जो मौद्रिक माप में सक्षम हैं, लेकिन मानव जीवन की समग्रता मौद्रिक टेप-माप की पहुंच से परे सूर्योदय की सुंदरता या सितारों की महिमा की तरह है। नुकसान के लिए नुकसान का निर्धारण मानव जीवन एक अत्यंत कठिन कार्य है और यह तब और भी अधिक चकित करने वाला हो जाता है जब मृतक एक बच्चा हो और/या कोई कमाऊ व्यक्ति न हो। एक बच्चे का भविष्य अनिश्चित होता है। जहाँ मृतक एक बच्चा था, वह कुछ भी नहीं कमाता था लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था कमाने की संभावना। इसलिए, मुआवजे के आकलन का सवाल कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों में मुआवजे के आंकड़े में अनुमान का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। ऐसे मामलों में, जहां माता-पिता दावेदार हैं, प्रासंगिक कारक माता-पिता की उम्र होगी।

112. न्यायालय ने आगे कहा कि कम उम्र के बच्चों के मामले में, अनिश्चितताएं बहुत अधिक होती हैं, जिससे भविष्य में उनकी आय में वृद्धि की संभावनाओं या उनके करियर में उन्नति की संभावनाओं को मापना मुश्किल हो जाता है। उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, करियर में उपलब्धियों और जीवन में उन्नति के संबंध में अनिश्चितताएं इतनी अधिक हैं कि उचित निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं माना जा सकता है।

113. लता वाधवा के मामले (सुप्रा) के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी ही आग की घटना से उत्पन्न दावों से निपट रहा था जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों की जान चली गई थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ के जांच आयोग ने उस मामले में पांच से दस वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु के लिए मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये की राशि देने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 1,50,000/- रुपये कर दिया गया, जिसमें 50,000/- रुपये का पारंपरिक आंकड़ा जोड़ा गया, जिससे कुल मुआवजा 2,00,000/- रुपये हो गया। ऐसा करते समय, न्यायालय ने कहा:

> "टिस्को की ओर से स्वयं उपस्थित हुए श्री नरीमन ने कहा कि सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित मुआवजा दोगुना किया जा सकता है, क्योंकि उनके विचार में भी, किया गया निर्णय पूरी तरह से अपर्याप्त है। माता-पिता के लिए एक बच्चे की हानि अपूरणीय है और कोई भी धनराशि माता-पिता को मुआवजा नहीं दे सकती। जिस वातावरण से इन बच्चों को लाया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, उनके माता-पिता टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के काफी अच्छे पद पर आसीन अधिकारी हैं और श्री नरीमन की दलील पर विचार करते हुए, हम यह निर्देश देंगे कि 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुआवजा राशि तीन गुना होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह 1,50,000 रुपये होनी चाहिए जिसमें 50,000 रुपये का पारंपरिक आंकड़ा जोड़ा जाना चाहिए और इस प्रकार कुल राशि प्रत्येक मामले का मूल्य रु. 2,00,000/- होगा।

114. स्कूल की ओर से श्री राजीव आत्मा राम द्वारा यह तर्क दिया गया कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में मुआवजे की वृद्धि शीर्ष न्यायालय के समक्ष दी गई रियायत पर आधारित थी और इसलिए, इसे अन्य मामलों में अपनाने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में नहीं लिया जा सकता है। समान प्रकृति के मामले. यह पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर दिए गए अंश को पढ़ने से पता चलता है कि न्यायालय के समक्ष दी गई रियायत एक व्यक्ति आयोग द्वारा अनुशंसित राशि से दोगुनी राशि देने की सीमा तक थी। हालाँकि, न्यायालय ने उक्त राशि का तीन गुना मुआवजा देते हुए 50,000/- रुपये से 1,50,000/- रुपये करने का फैसला सुनाया था। शीर्ष न्यायालय द्वारा पारंपरिक राशि को भी 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया। इसलिए, उस दृष्टि से, **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में निर्णय को केवल सहमति पर आधारित नहीं कहा जा सकता है।

115. फिर भी श्रेणी 1 में दावेदारों के लिए मुआवजे की उचित राशि क्या होगी, इसकी जांच की जानी चाहिए। दावेदारों के अनुसार, घटना में मारे गए प्रत्येक बच्चे के लिए राशि 3,57,000/- रुपये से कम नहीं हो

सकती। हमारी राय में, भले ही मुआवजे की राशि की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणितीय सटीकता के साथ नहीं की गई है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में किया गया था, तथ्य यह है कि **लता वाधवा का मामला** (सुप्रा) में संदर्भित घटना के बीच काफी समय का अंतर था। और इन मामलों में जिस बात से हमारा संबंध है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी यह भी राय है कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में दी गई राशि केवल एक मार्गदर्शक कारक हो सकती है, न कि आने वाले समय के लिए एक बेंचमार्क, खासकर बढ़ते मूल्य सूचकांक और रुपये के गिरते मूल्य के साथ। इसके अलावा, जीवन के नुकसान से जुड़े मामलों में मुआवजे के निर्धारण में हमेशा कुछ मात्रा में अनुमान और अटकलें शामिल होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा कोई भी अनुमान मध्यम हो और जीवन में यथार्थवाद, विवेक और अनुभव से प्रेरित हो। इन कारकों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में उस घटना के लिए दिए गए 1,50,000/- रुपये के मुआवजे की राशि, जो कि संबंधित घटना से छह साल पहले हुई थी, हो सकती है। 2,75,000/- रुपये तक बढ़ाकर, उक्त मामले में दिए जाने वाले 50,000/- रुपये के पारंपरिक आंकड़े को भी श्रेणी 1 में आने वाले प्रत्येक मामले में 75,000/- रुपये तक संशोधित किया जा सकता है। न्याय। तदनुसार, एक माह से दस वर्ष की आयु के बच्चों की 172 दावा याचिकाओं में एक सदस्यीय जांच आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि बढ़कर 3,50,000/- रुपये हो जाएगी। दावेदारों के बीच बढ़ी हुई राशि का बंटवारा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपात में होगा।

श्रेणी 2 के मामले:

116. इस श्रेणी में आने वाले मामलों में दस से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दावे शामिल हैं। वन मैन कमीशन ने, ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इनमें से प्रत्येक मामले में 4,10,000/- रुपये की राशि प्रदान की थी। हालाँकि, दावेदार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे बढ़ाकर 7,33,684/- रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

117. आयोग ने ऊपर उल्लिखित राशि प्रदान करते समय, **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में निर्णय का समर्थन लिया है, जहां न्यायालय ने उक्त श्रेणी में प्रत्येक दावेदार के लिए 4,10,000/- रुपये की राशि प्रदान की थी। उक्त गणना का आधार **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में प्रस्तुत निम्नलिखित अंश में निर्धारित किया गया है:

> "जहां तक 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की बात है, वे सभी छठी से दसवीं कक्षा के छात्र हैं और टिस्को के कर्मचारियों के बच्चे हैं। टिस्को की ही परंपरा है कि हर कर्मचारी अपने एक बच्चे को कंपनी में नौकरी दिला सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके मामले में, 12,000/- रुपये प्रति वर्ष का योगदान हमें निचले स्तर पर प्रतीत होता है और हमारी सुविचारित राय में, वार्षिक योगदान 24,000/- रुपये होना चाहिए और इसके गुणक के बजाय 11, उपयुक्त गुणक 15 होगा। इसलिए, उपरोक्त आधार पर गणना की गई क्षतिपूर्ति 3,60,000 रुपये होनी चाहिए, जिसमें 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़नी होगी, इस प्रकार, कुल मुआवजा होगा उपरोक्त मृत बच्चों के प्रत्येक दावेदार के लिए रु. 4,10,000 देय है।

118. उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने दावेदारों को देय मुआवजे की राशि की गणना के लिए गुणक पद्धति अपनाई थी। न्यायालय ने मृत बच्चों के योगदान को 24,000/- रुपये प्रति वर्ष माना था और मुआवजे के लिए 3,60,000/- रुपये की राशि निकालने के लिए 15 के गुणक को अपनाया था। उस राशि में पारंपरिक आंकड़े के रूप में 50,000/- रुपये जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कुल राशि 4,10,000/- हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रेणी में मुआवजा देते समय न्यायालय ने जिन कारकों पर विचार किया उनमें से एक तथ्य यह था कि टिस्को में अपने प्रत्येक कर्मचारी के कम से कम एक बच्चे को रोजगार प्रदान करने की परंपरा थी। मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-स्कूल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ऐसा कोई सुनिश्चित रोजगार नहीं है। इसलिए, तमाम अनिश्चितताओं और अन्य असंभवताओं के बावजूद मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया एक कठिन कार्य बनी हुई है। फिर भी जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुने गए गुणक को वर्तमान मामले में आवेदन के लिए अपनाया जा सकता है, सवाल यह है कि क्या योगदान की राशि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गणना के प्रयोजनों के लिए अपनाया था, को बढ़ाया जा सकता है और यदि हां, तो किस हद तक।

119. लता वाधवा के मामले (सुप्रा) में, पीड़ितों का योगदान काल्पनिक आधार पर 24,000/- रुपये लिया गया था। वह आकृति सदैव स्थिर नहीं रह सकती। सभी प्रासंगिक विचारों, विशेषकर दो घटनाओं के बीच के समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए कुछ वृद्धि अपरिहार्य है। हमारी राय में, योगदान में रु. 1,000/- की वार्षिक वृद्धि उचित होनी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि इस श्रेणी में पीड़ितों का वार्षिक योगदान 30,000/- रुपये लिया जा सकता है। तदनुसार, मुआवजे की राशि 15 के गुणक को लागू करने पर 4,50,000/- रुपये हो जाएगी। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के लिए 75,000/- रुपये जोड़े जाने चाहिए ताकि कुल राशि 5,25,000/- रुपये हो जाए। इस श्रेणी में आने वाले प्रत्येक मामले में हम कितनी राशि प्रदान करते हैं।

श्रेणी 3 मामले:

120. आयोग ने एमएस ग्रेवाल के मामले (सुप्रा) में फैसले का समर्थन करते हुए, 16 से 22 वर्ष की आयु के बुजुर्ग बच्चों को मुआवजे के रूप में 5,00,000/- रुपये दिए। हमारे सामने, दावेदारों ने इस श्रेणी में आने वाले प्रत्येक मामले में 8,94,736/- रुपये की राशि का दावा किया है। दावे की वृद्धि पूरी तरह से छह साल की अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि पर निर्भर करती है जो दोनों घटनाओं को अलग करती है। श्रेणी 2 के मामलों में हमने जो कहा है, उसके अनुरूप, हम इस श्रेणी में आने वाले बच्चों का योगदान 35,000/- रुपये लेने और इन मामलों में देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए 16 के उच्च गुणक को अपनाने के इच्छुक हैं। उस पद्धति से देय कुल राशि रु. 5,60,000/- है, जिसमें हम पारंपरिक आंकड़े के अनुसार रु. 75,000/- जोड़ते हैं, जिससे कुल राशि रु. 6,35,000/- हो जाती है। आयोग द्वारा दिया गया पुरस्कार, उपरोक्त सीमा तक, संशोधित माना जाएगा। बढ़ी हुई राशि भी दावेदारों के बीच आयोग द्वारा बताए गए अनुपात में वितरित की जाएगी।

श्रेणी 4 मामले:-

121. इस श्रेणी में 136 महिलाओं के मामले आते हैं, जिन्होंने आग लगने की घटना में अपनी जान गंवा दी। जबकि इस श्रेणी की पीड़ितों में से 93 साधारण गृहिणियां थीं, 4 बुजुर्ग महिलाएं थीं और 9 अन्य अविवाहित कामकाजी लड़कियां थीं। अन्य 9 सरकारी सेवा में कार्यरत थे, जबकि 12 गैर-सरकारी सेवा में कार्यरत थे। बाकी 9 कामकाजी महिलाएं विविध कार्य कर रही थीं। चूंकि इनमें से प्रत्येक समूह अपने मामलों में देय मुआवजे के भुगतान के प्रयोजनों के लिए एक अलग स्तर पर खड़ा होगा, इसलिए निम्नलिखित उप-श्रेणियों के तहत उनसे अलग से निपटना उचित होगा: -

i) गृहिणियाँ;

ii) बुजुर्ग महिलाएं;

iii) अविवाहित कामकाजी लड़कियाँ;

iv) सरकारी सेवा में कामकाजी महिलाएँ;

v) गैर-सरकारी सेवा में कामकाजी महिलाएँ; और

vi) कामकाजी महिलाएं (विविध)

i) गृहिणियाँ

122. इस उप-श्रेणी में कुल 93 पीड़ित आते हैं। एक सदस्यीय आयोग ने इनमें से 85 मामलों को निपटाते हुए परिवार में उनके योगदान को 36,000/- रुपये माना, व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसमें से 1/3 की कटौती की, प्रत्येक मामले में उचित गुणक लागू किया और अवॉर्ड दिए। तदनुसार मुआवजा. उल्लेखनीय बात यह है कि एक सदस्यीय आयोग ने कुल 93 मामलों में से 8 में इस आधार पर अन्य समान मामलों की तुलना में अधिक मुआवजे की राशि दी है कि इन 8 मामलों में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति उच्च थी। इस आधार पर परिवार की सेवाओं के संदर्भ में उनके योगदान का उच्च स्तर पर मूल्यांकन किया गया। हम तर्क की उस पंक्ति को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी नहीं कर पाए हैं। जब तक मृतक पीड़ित गृहिणी थीं, तब तक उनके द्वारा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्यांकन सभी के लिए समान स्तर पर किया जाना चाहिए। पीड़िता

की सामाजिक स्थिति के बावजूद, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य से किसी अन्य गृहिणी की तुलना में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कम योग्य थी या सामाजिक परिवेश में अपेक्षाकृत मामूली स्थिति रखती थी। इसलिए, उचित कदम यह होगा कि सभी 93 गृहिणियों से संबंधित दावों को एक सामान्य आधार पर निपटाया जाए और इनमें से प्रत्येक मामले में लागू गुणक के आधार पर उन्हें देय मुआवजा दिया जाए।

123. जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में देखा गया है, दावेदारों ने न केवल आयोग द्वारा की गई कटौती में गलती पाई है, बल्कि यह भी दावा किया है कि वर्ष 1989 और 1995 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक उच्च गुणक चुना जाना चाहिए। .

124. इन दोनों प्रस्तुतियों में काफी दम है। दावेदारों द्वारा भरोसा किए गए **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में, एक गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति में परिवार के लिए जो योगदान होता है, उसका मूल्यांकन 36000/- रुपये किया गया था और एक उपयुक्त गुणक लागू करके उस आधार पर मुआवजा दिया गया था। . व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती नहीं की गई और न ही ऐसा करने का कोई अवसर था। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती केवल तभी की जाएगी जब मृतक कमा रहा था और अदालत इस बात की जांच कर रही है कि उक्त कमाई से अंततः परिवार को क्या लाभ होगा। इसका उस मामले में कोई उपयोग नहीं है जहां गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 36000/- रुपये प्रति वर्ष आंका गया था। इसलिए, दावेदारों को देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय आयोग ने उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काटने में गलती की। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले ने **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वीरमभाई रणछोड़भाई पटेल और अन्य**[30], , में ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया और देखा:

> "6. **लता वाधवा बनाम बिहार राज्य , 2001(4) आरसीआर (सिविल) 673: 2001 एसीजे 1735: (एआईआर 2001 एससी 3218)** में, शीर्ष अदालत ने मृतक गृहिणियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने का आदेश दिया। उनकी सेवाओं का मूल्य रु. 3,000/- प्रति माह है, हालांकि टिस्को से रियायत पर। ट्रिब्यूनल ने मृतक द्वारा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य केवल रु. 1500/- प्रति माह रखा है और मूल्य में गिरावट के साथ पैसा, ऐसी आय का मूल्य निश्चित रूप से रु. 2250/- प्रति माह हो सकता है। वास्तव में, जब ऐसी सेवाओं का मूल्य पैसे के रूप में किया जा रहा है, तो उसमें से एक-तिहाई राशि काटने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए, भले ही केवल रु. .1500/- प्रति माह ऐसी सेवाओं के मूल्य के रूप में लिया जाता है, जो मृतक द्वारा प्रदान की जा रही थी, इसे निश्चित रूप से शीर्ष के तहत देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए डेटाम आंकड़े के रूप में अपनाया जा सकता है।

125. दूसरा पहलू गुणक के चयन से संबंधित है क्योंकि दावेदारों के अनुसार **लता वधावा के मामले** में रु. 36000/- की राशि वर्ष 1989 की एक घटना के संबंध में एक गृहिणी के योगदान के रूप में आंकी गई थी। .वर्तमान मामले में घटना छह साल बाद हुई थी। दावेदारों की ओर से उपस्थित श्रीमती अरोड़ा ने तर्क दिया कि उपयुक्त वृद्धि के संदर्भ में इस समय अंतराल को उचित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

126. **लता वाधवा के मामले (सुप्रा)** में एक गृहिणी द्वारा किए गए योगदान का आकलन उस मामले की घटना के संदर्भ में किया जाना चाहिए, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि, मुद्रास्फीति और रुपये की लगातार घटती क्रय शक्ति के बावजूद, एक गृहिणी द्वारा किए गए योगदान का मूल्य हमेशा 36000/- रुपये प्रति वर्ष पर स्थिर रहेगा। सामान्य ज्ञान के सिद्धांत पर समय के साथ मूल्य बढ़ना आवश्यक है कि जो चीज़ वर्ष 1989 में 36000/- रुपये में खरीदी जा सकती थी, वह वर्ष 1995 में उसी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती थी। 36000/- प्रति वर्ष के आधार आंकड़े में वृद्धि वास्तविक प्रश्न है।

127. दावेदारों के अनुसार, वर्ष 1989 में 36000/- रुपये का मुद्रास्फीति संशोधित मूल्य वर्ष 1995 में बढ़कर 64,424/- रुपये हो गया। 62 से 72 वर्ष की आयु वर्ग की बुजुर्ग महिलाओं के मामले में यह राशि शीर्ष

---

[30] **2007 (4) आरसीआर (सिविल) 436**

न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया 20,000/- रुपये का योगदान बढ़कर 35,789/- रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है आधार राशि में 75% से अधिक की वृद्धि। जो हमारे विचार में उच्चतर स्तर पर हो सकता है। हमारी राय में वृद्धि एक समान आधार पर हो सकती है जो आधार आंकड़े के 25% पर सभी दावेदारों पर लागू होती है, जो 36000/- रुपये की राशि में जुड़ जाएगी और 9000/- रुपये की राशि कुल मिलाकर 45000/- हो जाएगी। - प्रतिवर्ष। 62 वर्ष से 72 वर्ष की आयु वर्ग की बुजुर्ग महिलाओं के मामले में योगदान की राशि 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 25,000/- रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी। हमने इस आदेश की शुरुआत में ही देखा है कि पार्टियों ने इनमें से प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा लागू गुणक की पसंद पर हमारे सामने सवाल नहीं उठाए हैं। परिणामस्वरूप, आग की घटना में मरने वाली 93 गृहिणियों के मामलों में दी गई मुआवजे की राशि नीचे बताई गई सीमा तक बढ़ाई जाएगी। जैसा कि उपरोक्त श्रेणी 2 के मामलों में हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है, रु. 50,000/- की पारंपरिक राशि भी बढ़ाकर रु. 75,000/- कर दी जाएगी। इस प्रकार जो अंतिम तस्वीर उभर कर सामने आएगी वह इस प्रकार होगी:-

7	84-DFT	Mrs. Rekha Rani, 22 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
8	85-DFT	Mrs. Vandhna Rani 22 years	120000	5	45000	225000	75000	300000
9	86-DFT	Mrs. Jasbir Kaur, 22 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
10	87-DFT	Mrs. Saroj Devi, 25 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
11	89-DFT	Mrs.Dimple, 24 years	120000	5	45000	225000	75000	300000
12	90-DFT	Mrs. Mishu Bala, 24 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
13	91-DFT	Mrs. Lata Rani, 30 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
14	92-DFT	Mrs. Neelam Rani, 25 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
15	93-DFT	Mrs. Kailash Rani, 26 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
16	94-DFT	Mrs.Champa Rani, 33 years	408000	17	45000	765000	75000	840000

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commission (In Rs.)	Multiplier Applied	Value of services rendered to the family (In Rs.)	Revised amount of compensation held payable (Rs. 45000 x Multiplier applicable) (In Rs.)	Conventional Figure (In Rs.)	Total Amount (7+8) (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	65-DFT	Mrs. Meera Kumari, 28 years	312000	13	45000	585000	75000	660000
2	67-DFT	Mrs. Rameshwari, 30 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
3	77-DFT	Mrs. Amarjit Kaur, 37 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
4	79-DFT	Mrs. Kanta Bathla, 43 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
5	82-DFT	Mrs. Kaushalya Devi, 20 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
6	83-DFT	Mrs. Narinder Kaur, 21 years	408000	17	45000	765000	75000	840000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	95-DFT	Mrs. Madhu Rani, 26 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
18	96-DFT	Mrs. Vanita *alias* Pooja Rani, 27 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
19	97-DFT	Mrs. Harinder Kaur, 27 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
20	98-DFT	Mrs. Madhu Bala *alias* Neena, 22 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
21	99-DFT	Mrs. Paramjit Kaur, 27 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
22	100-DFT	Mrs. Sunita Rani, 27 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
23	101-DFT	Mrs. Seema Rani, 27 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
24	102-DFT	Mrs. Surider Kaur, 28 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
25	103-DFT	Mrs. Raj Rani, 28 years	432000	18				
26	104-DFT	Mrs. Anjna Kumari, 28 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
27	105-DFT	Mrs. Sushma Kumari Chugh, 28 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
28	106-DFT	Mrs. Sunita, 25 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
29	107-DFT	Mrs. Shalu, 19 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
30	108-DFT	Mrs. Harinder Kaur, 27 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
31	110-DFT	Mrs. Saroj Rani, 29 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
32	111-DFT	Mrs. Suman Jain, 30 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
33	112-DFT	Mrs. Santosh Kumari, 30 years	38400	16	45000	720000	75000	795000
34	113-DFT	Mrs. Usha Rani, 30 years	36000	15	45000	675000	75000	750000
35	114-DFT	Mrs. Shashi Bala, 30 years	432000	18	45000	810000	75000	885000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	115-DFT	Mrs. Rajinder Kaur, 30 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
37	116-DFT	Mrs. Anita Rani, 30 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
38	117-DFT	Mrs. Kiran Gupta, 30 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
39	118-DFT	Mrs. Kulwinder Kaur, 30 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
40	119-DFT	Mrs. Neelam, 31 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
41	120-DFT	Mrs. Neelam Rani, 30 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
42	121-DFT	Mrs. Nirmla Devi, 31 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
43	122-DFT	Mrs. Suman, 31 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
44	123-DFT	Mrs. Nina 31 years	384000	16	45000	720000	750000	795000
45	125-DFT	Mrs. Satbir Kaur, 31 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
46	128-DFT	Mrs. Sunita Rani, 32 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
47	129-DFT	Mrs. Sarita Rani, *alias* Prem Lata, 32 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
48	130-DFT	Mrs. Jaswinder Kaur, 32 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
49	132-DFT	Mrs. Bhupinder Kaur, 33 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
50	133-DFT	Mrs. Sangeeta Bhateja, 33 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
51	134-DFT	Mrs. Veena Kumari, 32 years	312000	13	45000	585000	75000	660000
52	136-DFT	Mrs. Arun Bala, 34 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
53	137-DFT	Mrs. Shardha Rani, 33 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
54	139-DFT	Mrs. Ranjit Kaur, 35 years	312000	13	45000	585000	75000	660000
55	140-DFT	Mrs. Basant Kaur, *alias* Sant Kaur, 35 years	384000	16	45000	720000	75000	795000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	141-DFT	Mrs. Krishna Devi, 35 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
57	142-DFT	Mrs. Anita *alias* Krishna, 35 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
58	144-DFT	Mrs. Amarjeet Kaur, 38 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
59	145-DFT	Mrs. Sudarshan *alias* Sukhdarshan 36 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
60	146-DFT	Mrs. Charanjit Kaur, 37 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
61	148-DFT	Mrs. Harbans Kaur, 38 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
62	149-DFT	Mrs. Manju Grover, 37 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
63	150-DFT	Mrs. Neeta, 40 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
64	151-DFT	Mrs. Raj Rani, 41 years	264000	11	45000	495000	75000	570000
65	153-DFT	Mrs. Nirmal,	312000	13	45000	585000	75000	660000
66	154-DFT	Mrs. Rameshwari, 49 years	312000	13	45000	585000	75000	660000
67	155-DFT	Mrs. Roopan Devi, 50 years	264000	11	45000	495000	75000	570000
68	156-DFT	Mrs. Veena *alias* Veera, 57 years	192000	8	45000	360000	75000	435000
69	157-DFT	Mrs. Satya Devi, 50 years	264000	11	45000	495000	75000	570000
70	161-DFT	Mrs. Kuldeep Kaur, 25 years	192000	8	45000	360000	75000	435000
71	347-DFT	Mrs. Parmjit Kaur, 28 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
72	348-DFT	Mrs. Sunita Sachdeva, 32 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
73	350-DFT	Mrs. Shikha Midha, 20 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
74	352-DFT	Mrs. Jasvinder Kaur, 28 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
75	354-DFT	Mrs. Anju Sethi, 28 years	120000	5	45000	225000	75000	300000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	357-DFT	Mrs. Asha Rani, 32 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
77	359-DFT	Mrs. Sanjana *alias* Suman Lata, 24 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
78	360-DFT	Mrs. Gitika Rani, 25 years	408000	17	45000	765000	75000	840000
79	367-DFT	Mrs. Parveen Rani widow of Ravi Kumar, 32 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
80	370-DFT	Mrs. Suraksha, 40 years	384000	16	45000	720000	75000	795000
81	468-DFT	Mrs. Preetpal Kaur (widow), 42 years	120000	5	45000	225000	75000	300000
82	469-DFT	Mrs. Neena Rani, 36 years	312000	13	45000	585000	75000	660000
83	470-DFT	Mrs. Santosh, 40 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
84	473-DFT	Mrs. Chanchal, 44 years	360000	15	45000	675000	75000	750000
85	481-DFT	Mrs. Sunita, 28 years	432000	18	45000	810000	75000	885000
86	88-DFT	Mrs. Rama Chaudhar, 23 years	652800	15	45000	720000	75000	795000
87	126-DFT	Mrs. Meena Kumari, 32 years	693600	17	45000	765000	75000	840000
88	127-DFT	Mrs. Priti Midha, 32 years	693600	17	45000	765000	75000	840000
89	131-DFT	Mrs. Sanjivan Lata, 33 years	693600	17	45000	765000	75000	840000
90	143-DFT	Mrs. Sonia Rani, 26 years	612000	15	45000	675000	75000	750000
91	147-DFT	Mrs. Som Lata, 37 years	45000	11	45000	495000	75000	570000
92	348-DFT	Mrs. Anupam, 38 years	653000	16	45000	720000	75000	795000
93	493-DFT	Mrs. Kamlesh Rani, 33 years	816000	17	45000	765000	75000	840000
						Total		**71280000**

ii) बुजुर्ग महिलाएं

केस नंबर 21-डीएफटी

128. लता वाधवा के मामले में (सुप्रा) बुजुर्ग महिलाओं द्वारा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 20,000/- रुपये प्रति वर्ष आंका गया था। छह साल बाद हुई घटना के संबंध में उस राशि को संशोधित कर 25,000/- रुपये किया जाना चाहिए। 5 के गुणक को लागू करने पर, जिसे एक सदस्यीय आयोग ने वर्तमान मामले में चुना है, दावेदारों को देय राशि 1,25,000/- रुपये होगी। उस राशि में हमें 82,000/- रुपये जोड़ने की आवश्यकता है, जिसे आयोग ने मृत्यु के समय मृतक द्वारा ली गई पेंशन के कारण निर्भरता की हानि के रूप

में निर्धारित किया है। इन दोनों आंकड़ों में पारंपरिक राशि रु. 75,000/- जोड़ने पर, इस मामले में दावेदार को देय मुआवजे की कुल राशि रु. 2,82,000/- होगी।

केस संख्या 158-डीएफटी, 159-डीएफटी और 353-डीएफटी

129. दावा याचिका संख्या 158-डीएफटी, 159-डीएफटी और 353-डीएफटी में मृतक, अर्थात् श्रीमती लक्ष्मी देवी, उम्र 70 वर्ष, श्रीमती रेशमा देवी, उम्र 67 वर्ष और श्रीमती सुमित्रा देवी, उम्र 62 वर्ष, साधारण गृहिणी थीं, जिनका योगदान आयोग द्वारा 36,000/- रुपये प्रति वर्ष माना गया है, जबकि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) **में** 20,000/- रुपये दिए गए थे । उनके व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती करते हुए और 5 का गुणक लागू करते हुए, आयोग ने इनमें से प्रत्येक मामले में दावेदारों को 1,20,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। **लता वाधवा के मामले (सुप्रा**) में तय मानदंडों के सही आवेदन के बाद भी यह आंकड़ा बढ़ाया जाएगा। ऊपर उल्लिखित मृत बुजुर्ग महिलाओं के योगदान को 25,000/- रुपये प्रति वर्ष मानते हुए और 5 के गुणक को लागू करने पर, इनमें से प्रत्येक मामले में दावेदार 1,25,000/- रुपये के हकदार होंगे। इसमें पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये प्रत्येक जोड़े जाएंगे, जिससे इनमें से प्रत्येक मामले में दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 2,00,000/- रुपये हो जाएगी।

130. इसलिए, इस श्रेणी में देय राशि के संबंध में अंतिम तस्वीर को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commission (In Rs.)	Multiplier Applied	Value of services rendered to the family (In Rs.)	Loss Dependency (In Rs.)	Revised amount of compensation (held payable (5×6+7) (In Rs.)	Conventional Figure (In Rs.)	Total Amount (8+9) (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21-DFT	Mrs. Shanta Relan, 73 years	82000	5	25000	82000	207000	75000	282000
2	158-DFT	Mrs. Lakshmi Devi, 70 years	120000	5	25000	0	125000	75000	200000
3	159-DFT	Mrs. Reshma Devi, 67 years	120000	5	25000	0	125000	75000	200000
4	353-DFT	Mrs. Sumitra Devi, 62 years	120000	5	25000	0	125000	75000	200000
					Total				**882000**

iii) अविवाहित कामकाजी लड़कियाँ

131. पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई गृहिणियों और बुजुर्ग महिलाओं के अलावा, मृतकों में 9 अविवाहित कामकाजी लड़कियां शामिल थीं, जिनमें से अधिकांश उस समय डीएवी स्कूल में अल्प वेतन पर कार्यरत थीं । जांच आयोग ने लड़कियों को मिलने वाले वेतन के आधार पर आकलन किया और मुआवजा दिया जो 44,000 रुपये से 2,88,000/- रुपये के बीच है।

132. दावेदारों की ओर से यह तर्क दिया गया कि आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने एक विषम स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि समान आयु वर्ग के बच्चों से जुड़े मामलों में आयोग ने उन मामलों की तुलना में अधिक मुआवजे की राशि दी है जहां पीड़ित किसी न किसी रोजगार में थे। एसोसिएशन की विद्वान वकील श्रीमती अरोड़ा ने तर्क दिया कि कामकाजी लड़कियों को उतनी ही राशि का मुआवजा देकर विसंगति को दूर किया जा सकता है, जितनी तुलनीय आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। हमारी राय में उस विवाद में दम है। युवा और अविवाहित लड़कियों ने अल्प वेतन पर नौकरी कर ली है, इसलिए पीड़ितों या दावेदारों को नुकसान में डालने की जरूरत नहीं है, जो स्पष्ट होगा यदि केवल तथ्य यह है कि युवा लड़की काम कर रही थी, मुआवजे की तुलना में कम राशि का आकलन करती है। जो गैर-कार्यशील व्यक्ति के लिए देय है। तथ्य यह है कि लड़कियों ने स्कूल या अन्य जगहों पर छोटी-मोटी और अस्थायी नौकरियाँ कर ली थीं, अन्यथा भी यह कोई

ठोस कारण नहीं था कि मुआवजे का निर्धारण इस तरह की व्यस्तताओं से प्राप्त आय के आधार पर किया जाना चाहिए। रोजगार की प्रकृति और उसके लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक पर्याप्त रूप से इंगित करता है कि वे जीवन में उनकी वास्तविक क्षमता के अनुमान या संकेत की तुलना में उनके पास उपलब्ध समय को उपयोगी तरीके से बिताने के मनोरंजन की प्रकृति में अधिक थे। इन परिस्थितियों में, हम निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में वही राशि देना उचित समझते हैं जो श्रेणी 3 के मामलों में भुगतान के लिए निर्धारित की गई है।

133. इसलिए, इस श्रेणी में देय राशि के संबंध में अंतिम तस्वीर को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

iv) सरकारी सेवा में कामकाजी महिलाएँ

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commission (in Rs.)	Revised amount of compensation held payable (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	6-DFT	Ms. Maninder Kaur, 19 years	230400	635000
2	56-DFT	Ms. Manju Bala, 19 year	88000	635000
3	57-DFT	Ms. Meera, 21 years	288000	635000
4	58-DFT	Ms. Anju Rani, 22 years	72000	635000
5	59-DFT	Ms. Sunita Mehta, 27 Years	44000	635000
6	60-DFT	Ms. Rita, 22 years	60000	635000
7	61-DFT	Ms. Babita Wadhera, 23 years	150000	635000
8	63-DFT	Ms. Sandeep Kaur, 25 years	105600	635000
9	342-DFT	Ms. Rekha Rani, 21 years	60000	635000
		Total		**5715000**

134. जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, पीड़ित महिलाओं में से नौ सरकारी सेवा में कार्यरत कामकाजी महिलाएँ थीं। एक सदस्यीय आयोग ने इन पीड़ितों द्वारा लिए गए वेतन के आधार पर, उनके परिवारों के लिए योगदान का निर्धारण किया और गुणक पद्धति अपनाकर मुआवजा दिया। दावेदारों ने दो सटीक कारणों से अंतिम परिणाम में गलती पाई है। सबसे पहले यह तर्क दिया जाता है कि जब महिलाएं पूर्णकालिक आधार पर काम कर रही थीं, तब भी उन्होंने अपने संबंधित परिवारों को सेवाएं प्रदान कीं जैसा कि आम तौर

पर एक गृहिणी द्वारा किया जाता है। इसलिए, किसी भी मुआवज़े का निर्धारण करते समय, उक्त योगदान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, दावेदारों के विद्वान वकील ने तर्क दिया।

135. दावेदारों द्वारा ऊपर की ओर संशोधन का दूसरा कारण यह है कि आयोग ने इन मामलों और अन्य मामलों में मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है, जहां महिलाएं सरकारी विभागों में काम नहीं कर रही हैं। **सुसम्मा थॉमस (सुप्रा)** और **श्रीमती सरला दीक्षित बनाम बलवंत यादव**[31] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए ।, यह तर्क दिया गया कि गुणक के निर्धारण के लिए भविष्य की संभावनाएं इनपुट में से एक होनी चाहिए। कोई भी अवॉर्ड जो उस इनपुट को नजरअंदाज करता है वह निष्पक्ष और उचित नहीं होगा, दावेदारों के विद्वान वकील ने तर्क दिया।

136. प्रतिवादी-स्कूल की ओर से श्री आत्मा राम द्वारा तर्क दिया गया था कि भविष्य की संभावनाओं पर उन मामलों और स्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता है जिन्हें शीर्ष न्यायालय ने **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य**[32] मामले में पहचाना है । विद्वान वकील के अनुसार, मौजूदा मामले ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं आते हैं जिसमें भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि एक बार गुणक विधि लागू करके मुआवजा दे दिया गया तो किसी अन्य विधि को अपनाने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही दावेदारों के अनुकूल परिणाम देने के लिए दो तरीकों को लागू किया जा सकता था।

137. **सरला वर्मा के मामले (सुप्रा)** में, जिस पर श्री राजीव आत्मा राम ने भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित मोटर दुर्घटना दावा मामलों में देय मुआवजे के निर्धारण के लिए भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने की प्रासंगिकता और आवश्यकता से संबंधित अपनी घोषणाओं की समीक्षा की है। एक नियम के रूप में, मृतक की वास्तविक वेतन आय का 50% भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जा सकता है, ऐसे मामलों में जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम थी। हालाँकि, यह वृद्धि उन मामलों में वास्तविक वेतन आय का केवल 30% होनी चाहिए जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी। ऐसे मामलों में जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, भविष्य की संभावनाओं में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। आगे यह माना गया कि जहां मृतक स्व-रोज़गार था या वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर था, अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेगी, केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही प्रस्थान की अनुमति होगी। विशेष परिस्थितियों को शामिल करते हुए. इस संबंध में निर्णय का निम्नलिखित अंश उपयुक्त है:-

> "24: **सुसम्मा थॉमस** में इस न्यायालय ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित में आय में केवल 50% की वृद्धि हुई और अबाती बेजबरूआ में आय में मात्र 7% की वृद्धि हुई। असंभव और अनिश्चितताओं को देखते हुए, हम एक सामान्य नियम के रूप में अपनाने के पक्ष में हैं, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम थी, वहां मृतक की वास्तविक वेतन आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए वास्तविक वेतन का 50% जोड़ा जाना चाहिए। (जहां वार्षिक आय है) कर योग्य सीमा में, शब्द "वास्तविक वेतन" को "वास्तविक वेतन कम कर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए)। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष थी, तो जोड़ केवल 30% होना चाहिए। जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक हो, वहां कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। हालाँकि साक्ष्य वृद्धि के अलग-अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग मानदंडों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है। जहां मृतक स्व-रोज़गार था या एक निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना) अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेंगी। वहां से हटना केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।"

138. उपरोक्त घोषणाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि मृत पीड़ितों की वेतन आय में वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि पीड़ितों के पास स्थायी नौकरी थी या नहीं। जोड़ की सीमा पीड़ितों की उम्र पर भी निर्भर

---

[31] **1996(2) पंजाब लॉ रिपोर्टर 656**

[32] **(2009) 6 सुप्रीम कोर्ट**

करेगी। सरकारी सेवा में कामकाजी महिलाओं के मामले में, **सरला वर्मा के मामले (सुप्रा)** में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, भविष्य की संभावनाओं में बढ़ोतरी पूरी तरह से उचित होगी।

139. यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या कामकाजी महिलाएँ भी परिवार को ऐसी सेवाएँ प्रदान कर रही थीं जिनका मूल्यांकन पैसे के संदर्भ में किया जा सकता था और यदि हाँ, तो ऐसी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है। प्रश्न के पहले भाग में हमारा उत्तर सकारात्मक है। कामकाजी महिलाएँ न केवल परिवार की आय का समर्थन करती हैं बल्कि कभी-कभी परिवार की मुख्य रोटी कमाने वाली भी होती हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे परिवार के प्रति उन कर्तव्यों की उपेक्षा करती हैं जो घर की महिलाओं के रूप में उन्हें सौंपे जाते हैं। इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में , एक महिला के नौकरीपेशा होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपने परिवार के प्रति कोई अन्य कर्तव्य नहीं निभाती है। एक साधारण गृहिणी और एक कामकाजी महिला के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जहां एक गृहिणी अपने उपलब्ध समय के एक बड़े हिस्से के लिए काम कर रही होती है और परिवार को सेवाएं प्रदान कर रही होती है, वहीं एक कामकाजी महिला नौकरी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है। इतना समय निकालने के लिए. औसतन, यदि हम एक गृहिणी के योगदान को लेते हैं, तो परिवार को प्रति दिन 15 घंटे की अवधि में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में, एक कामकाजी महिला द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ केवल पाँच घंटों तक ही सीमित हो सकती हैं, क्योंकि वह होगी वह अपने कार्यस्थल पर कम से कम 8 घंटे बिताती है और प्रतिदिन कम से कम दो घंटे इधर-उधर यात्रा करती है। मोटे तौर पर कोई भी यह मान सकता है कि 5 घंटे तक प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य एक पूर्णकालिक गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य से आनुपातिक रूप से कम होगा। कामकाजी महिला द्वारा बिताए गए समय के अनुपात में उसकी सेवाओं का मूल्य उस मूल्य का केवल 1/3 हो सकता है जिस पर एक गृहिणी की सेवाओं का मूल्यांकन किया गया है यानी 45,000X1/3 = रु. 15,000/- प्रति वर्ष। नतीजतन, एक कामकाजी महिला की मृत्यु के साथ, परिवार को न केवल उस आर्थिक पूरक की हानि होती है जो वह प्रदान कर रही थी, बल्कि उन सेवाओं के नुकसान के संदर्भ में भी होती है जिनका परिवार उसकी उपस्थिति के कारण आनंद ले रहा था। वन मैन कमीशन ने श्रीमती नीलम कुमारी की मृत्यु से उत्पन्न 64-डीएफटी को छोड़कर इस पर विचार नहीं किया है, जहां आयोग ने न केवल मृत्यु के समय उनके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखा है, बल्कि इसे भी जोड़ा है। परिवार के लिए सेवाओं का मूल्य रु. 36,000/- है, जिसमें आयोग द्वारा व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती की गई एक तिहाई राशि कम है। यह कहना पर्याप्त है कि हमें सही दृष्टिकोण दिखाई देता है **सरला वर्मा के मामले** (सुप्रा) के संदर्भ में भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के बाद मृतक की उसके रोजगार से आय के आधार पर निर्भरता की शुद्ध हानि का निर्धारण करें और उसमें प्रति वर्ष 15,000/- रुपये की राशि जोड़ें। उन सेवाओं का मूल्य जो वह परिवार को प्रदान कर रही थी। यह इनमें से प्रत्येक मामले में लागू वास्तविक गुणक प्रदान कर सकता है और दावेदारों को देय मुआवजे

के निर्धारण के लिए एक समान और गैर-भेदभावपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है। उस आधार पर, सरकारी सेवा में कामकाजी महिलाओं के नौ मामलों में से प्रत्येक में जो स्थिति सामने आएगी, वह इस प्रकार होगी: -

v) गैर-सरकारी सेवा में कामकाजी महिलाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	78-DFT	Mrs. Neelam Kumari, 39 years	6800	3400	81600	15000	1545600	75000	1620600
7	80-DFT	Mrs. Sushil Jattana, 45 years	3337	1001	34704	15000	646152	75000	721152
8	81-DFT	Mrs. Geeta Devi, 44 years	5100	1530	53040	15000	1020600	75000	1095600
9	471-DFT	Mrs. Sunita Devi, 57 years	2843	0	22744	15000	301952	75000	376952
					Total				**8256472**

140. गैर-सरकारी सेवा में 12 कामकाजी महिलाओं में से चार को छोड़कर सभी पीड़ित। श्रीमती नरेश उर्फ प्रीति कामरा, मृतक, केस संख्या 17-डीएफटी में, श्रीमती संतोष, मृतक, केस संख्या 76-डीएफटी में, श्रीमती सरिता बंसल, मृतक, केस संख्या 135-डीएफटी में और श्रीमती निर्मल शर्मा, मृतक मृतक, केस नंबर 374-डीएफटी में, डीएवी स्कूल में 900/- रुपये से 1,500/- रुपये प्रति माह के वेतन के भुगतान पर शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। आयोग ने इन मामलों में मुआवजा देते समय एक गृहिणी के रूप में अपने परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए मृतक के योगदान को 3,000/- रुपये प्रति माह माना है और इसमें वह वेतन भी जोड़ा है, जो मृतक स्कूल से प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार उपलब्ध आंकड़े से आयोग ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की है, एक उचित गुणक लागू किया है और तदनुसार अपना अवॉर्ड दिया है। सैद्धांतिक रूप से हमें आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति में कोई त्रुटि नहीं दिखती, सिवाय इसके कि मृतक द्वारा उसके परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य में से व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। भले ही मृतक कर्मचारी डीएवी स्कूल में काम कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Salary at the time of death (In Rs.)	Future prospects (In Rs.)	Annual loss of dependency (4+5–1/3rd towards personal expenses)	Value services rendered to the family @ Rs. 15,000 p.a.	Revised amount of compen-sation held payable (6+7× multi-plier applied) (In Rs.)	Conven-tional Figure @Rs.75,000 p.a.	Total Amount (8+9) (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	64-DFT	Mrs. Neelam Kumari, 34 years	3661	1831	43936	15000	766168	75000	841168
2	71-DFT	Mrs. Krishna Kamboj, 34 years	3159	1580	37912	15000	264560	75000	339560
3	72-DFT	Mrs. Karamjit Kaur, 35 years	5500	2750	66000	15000	1296000	75000	1371000
4	74-DFT	Mrs. Lakhvinder, 34 years	4811	2406	57736	15000	945568	75000	1020568
5	75-DFT	Mrs. Sneh Lata, 32 years	3845	1923	46144	15000	794872	75000	869872

जिससे पता चलता हो कि उनके पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा या सुनिश्चित करियर प्रगति या वेतन वृद्धि जैसे कोई अन्य लाभ थे, जिससे उनके वेतन के आधार पर मुआवजा देने की मांग की जा सके। अकेले आय. वास्तव

में, वे न केवल अपने परिवार को सेवाएँ प्रदान कर रहे थे, बल्कि परिवार की आय को पूरा करने के लिए स्कूल में भी काम कर रहे थे, दोनों कार्यों में पहला प्रमुख था। उनकी मृत्यु के लिए देय मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया में उचित कदम यह होगा कि उनके साथ मुख्य रूप से गृहिणी के रूप में व्यवहार किया जाए और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य में वह अतिरिक्त राशि जोड़ी जाए जो वे अपने रोजगार से स्कूल से कमा रहे थे। इस फैसले के पिछले हिस्से में हमने गृहिणियों द्वारा परिवार को दी गई सेवाओं का मूल्य 45,000/- रुपये आंका है। उस राशि में हमें स्कूल से प्राप्त वेतन से पीड़ितों की वार्षिक आय को व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती की गई 1/3 से घटाकर जोड़ना होगा, जो तब सही आंकड़े पर पहुंचने के लिए उपयुक्त गुणक को लागू करने के प्रयोजनों के लिए गुणक होगा। जिसमें हमें पारंपरिक आंकड़े के लिए 75,000/- रुपये की राशि जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से जो स्थिति सामने आएगी वह इस प्रकार होगी:-

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commission (In Rs.)	Annual loss of dependency after deducting 1/3rd thereof (In Rs.)	Value Services rendered to the family @ Rs.45000 p.a.	Multiplier Applied	Revised amount of compensation held payable (5+6×7) (In Rs.)	Conventional figure (In Rs.)	Total Amount (8+9) (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	62-DFT	Mrs. Manju Bala, 24 years	544000	8000	45000	17	901000	75000	976000
2	66-DFT	Mrs. Mamta Midha, 26 years	609000	9840	45000	18	987120	75000	1062120
3	68-DFT	Mrs. Upma, 30 years	544000	8000	45000	17	901000	75000	976000
4	69-DFT	Mrs. Renu Bala, 32 years	468000	7200	45000	15	783000	75000	858000
5	70-DFT	Mrs. Bimla Devi, 37 years	512000	8000	45000	16	848000	75000	923000
6	324-DFT	Mrs. Anita Sharma, 33 years	524800	8800	45000	16	860800	75000	935800
7	478-DFT	Mrs. Sunita Rani, 28 years	590000	8800	45000	18	968400	75000	1043400
8	482-DFT	Mrs. Maya Devi, 35 years	576000	12000	45000	16	912000	75000	987000
						Total			**7761320**

141. 76-डीएफटी में मृतक श्रीमती संतोष उम्र लगभग 38 वर्ष, आर्य स्कूल, डबवाली में 5716/- रूपये प्रतिमाह वेतन पर अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। तो 17-डीएफटी में भी मृतक श्रीमती नरेश उर्फ प्रीति कामरा डीएवी स्कूल, डबवाली में 4400/- रूपये प्रति माह वेतन पर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। 374- डीएफटी में मृतक श्रीमती निर्मल शर्मा, सतलुज स्कूल, डबवाली में 3,000/- रुपये प्रति माह के वेतन पर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थीं। 135-डीएफटी में मृतक श्रीमती सरिता बंसल, उम्र लगभग 34 वर्ष, एमपी कॉलेज, डबवाली में 5,000/- रुपये प्रति माह के वेतन पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत थीं। ये चार मामले ऊपर उल्लिखित अन्य कर्मचारियों से अलग प्रतीत होते हैं क्योंकि वे नियमित और स्थायी नौकरी कर रहे थे और उसी से जुड़ा वेतन ले रहे थे और इसलिए, सरकार में स्थायी नौकरी रखने वालों के साथ अधिक तुलनीय

थे। वे एक ही समय में अपने संबंधित परिवारों को सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जिसका मूल्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों से निपटने के दौरान हमारे पास मौजूद रु. 15,000/- प्रति वर्ष से कम नहीं हो सकता। इसलिए, मुआवज़ा देना अधिक तर्कसंगत होगा, यदि अपने संबंधित प्रतिष्ठानों में स्थायी नौकरी रखने वाले इन नियमित कर्मचारियों को मुआवज़ा देने के मामले में सरकारी कर्मचारियों के बराबर रखा जाए। श्रीमती निर्मल उर्फ प्रीति

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commission (In Rs.)	Annual loss of dependency (In Rs.)	Value Services rendered to the family @ Rs.15000 p.a.	Multiplier Applied	Revised amount of compensation held payable (5+6×7) (In Rs.)	Conventional figure (In Rs.)	Total Amount (8+9) (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17-DFT	Mrs. Naresh @ Preeti Kamra, 39 years	632416	57158	15000	16	1154528	75000	1229528
2	76-DFT	Mrs. Santosh, 38 years	731650	68592	15000	16	1337472	75000	1412472
3	135-DFT	Mrs. Sarita Bansal, 34 years	1088000	60000	15000	17	1275000	75000	1350000
4	374-DFT	Mrs. Nirmal Sharma	816000	36000	15000	17	867000	75000	942000
				Total					**4934000**

कामरा के मामले में, आयोग ने यह भी पाया है कि वह एलआईसी एजेंसी के काम से प्रति वर्ष 6,393/- रुपये की आय प्राप्त कर रही थी। इसलिए, उसके मामले में दावेदारों को देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय उक्त राशि को उसके वेतन से होने वाली आय में जोड़ा जा सकता है। अंतिम तस्वीर, जो उभर कर सामने आएगी, उसे सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

vi) कामकाजी महिलाएं (विविध)

142. इस श्रेणी में नौ मामले आते हैं जिनमें कहा गया कि मृतक विविध कार्य करने वाली कामकाजी महिलाएं थीं। रोजगार की प्रकृति और उससे अर्जित राशि को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने उन्हें गृहिणियों के रूप में माना है, लेकिन दावेदारों को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए उनके संबंधित व्यवसायों से प्राप्त आय को गुणक में जोड़ा है। हम इनमें से प्रत्येक मामले पर संक्षेप में विचार करेंगे और आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के संदर्भ में मुआवजे की राशि का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

केस नंबर 14-डीएफटी

143. यह मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती आशा रानी की मृत्यु से उत्पन्न हुआ, जो प्रति माह 450/- रुपये का वेतन ले रही थी। व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि में से एक तिहाई काटकर, परिवार के लिए शुद्ध योगदान रु. 3,600/- प्रति वर्ष लिया जा सकता है। उस राशि में परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य के लिए 45,000/- रुपये जोड़े जाएंगे, जिससे निर्भरता का कुल नुकसान 48,600/- रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। 17 के गुणक को लागू करने पर, दावेदार 8,26,200/- रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे। उस आंकड़े में 75,000/- रुपये की पारंपरिक राशि जोड़ने पर, दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 9,01,200/- रुपये होगी।

केस नंबर 109-डीएफटी

144. यह मामला श्रीमती रेखा रानी की मृत्यु से उत्पन्न हुआ, जो आयोग द्वारा दर्ज निष्कर्षों के अनुसार, ट्यूशन का काम करती थीं और उससे प्रति वर्ष 36,260/- रुपये कमाती थीं। उसके व्यक्तिगत खर्चों

के लिए उक्त राशि में से एक तिहाई कटौती करने पर, परिवार के लिए उसका शुद्ध योगदान रु. 24,174/- प्रति वर्ष होगा। उस राशि में परिवार के लिए सेवाओं का मूल्य 45,000/- रुपये जोड़ने पर गुणक बढ़कर 69,174/- रुपये हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि आयोग के समक्ष, दावेदारों ने वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए मृतक द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया था, जो उनके दावे का समर्थन करता था कि मृतक अपने जीवन काल के दौरान ट्यूशन का काम कर रहा था। उस राशि में 18 का गुणक लगाने पर, दावेदार 12,45,132/- रुपये के हकदार होंगे। उस आंकड़े में हम रु. 75,000/- की पारंपरिक राशि जोड़ते हैं, जिससे दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि रु. 13,20,132/- हो जाती है।

केस नंबर 124-डीएफटी

145. इस मामले में मृतक श्रीमती रेनू बाला को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया था. आयोग ने सामाजिक कार्यों से उनकी आय 2100 रुपये प्रति माह मानी है। हालाँकि, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी मौद्रिक लाभ के लिए ऐसा काम करता है। इसलिए, मृतक की मासिक आय में 2,100/- रुपये प्रति माह जोड़ना उचित नहीं था। फिर भी, यदि मृतक, जो 31 वर्ष की युवा महिला थी, द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 45,000/- प्रति वर्ष लिया जाता है और उस पर 17 का गुणक लगाया जाता है, तो दावेदार को देय राशि 7,65,000/- रुपये बैठेंगे। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ दिए जाते हैं, जिससे दावेदारों को देय कुल राशि 8,40,000/- रुपये हो जाती है, जो राशि हम इस मामले में दावेदारों को देते हैं।

केस क्रमांक 138-डीएफटी

146. इस मामले में मृतिका श्रीमती सुषमा गुप्ता उम्र 34 वर्ष थी। आयोग ने ट्यूशन/कोचिंग कार्य से उसकी आय 1,500/- रुपये प्रति माह के अलावा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह मानते हुए 6,12,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 45,000/- रुपये लेने पर और ट्यूशन/कोचिंग कार्य से अर्जित उसके व्यक्तिगत खर्चों में से 1/3 कटौती करने के बाद प्रति वर्ष 12000/- रुपये की शुद्ध आय जोड़ने पर, गुणक आएगा से रु. 57,000/- प्रति वर्ष। 17 के गुणक को लागू करने पर, इस मामले में दावेदारों को देय मुआवजे की राशि 9,69,000/- रुपये होगी। पारंपरिक राशि में रु. 75,000/- जोड़ने से दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि रु. 10,44,000/- हो जाएगी, जो इसके द्वारा प्रदान की जाती है।

केस नंबर 152-डीएफटी

147. इस मामले में मृतक श्रीमती किरण पाल ग्रोवर, आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, सिलाई का काम करती थीं और प्रति माह 100/- से 200/- रुपये कमाती थीं। आयोग ने उसकी कमाई को रु. 150/- प्रति माह या रु. 1,800/- प्रति वर्ष कर दिया है और उसके द्वारा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य में प्रति वर्ष रु. 36,000/- की राशि जोड़ दी है, जिसमें से 1/- की कटौती की गई है। अपने व्यक्तिगत खर्चों में तीसरे स्थान पर रहीं और प्रति वर्ष 25,200/- रुपये का गुणक निर्धारित किया। 15 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने दावेदारों को 3,78,000/- रुपये की राशि प्रदान की है, जो मृतक के पति और नाबालिग बेटी हैं। हमें सिलाई के काम से मृतक की आय के संबंध में आयोग द्वारा किए गए निर्धारण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हालाँकि, परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य बिना किसी कटौती के 45,000/- रुपये तक बढ़ाया जाएगा जैसा कि ऐसे सभी मामलों में स्थिति है। इसलिए, निर्भरता का कुल नुकसान रु. 46,200/- प्रति वर्ष होगा। उस आंकड़े में 15 का गुणक लगाने पर, दावेदार 6,93,000/- रुपये की राशि के हकदार होंगे। इसमें रु. 75,000/- की पारंपरिक राशि जोड़ने पर दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि रु. 7,68,000/- हो जाएगी।

केस नंबर 160-डीएफटी

148. इस मामले में मृतक श्रीमती मंजू बाला भी 31 वर्षीय गृहिणी थी जो जीवन बीमा निगम एजेंसी के काम में लगी हुई थी। आयोग ने, अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, एजेंसी के काम से उसकी आय रु. 2,000/- प्रति माह या रु. 24,000/- प्रति वर्ष मानी है और इसमें प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य भी

जोड़ दिया है। परिवार। व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काटकर, आयोग ने निर्भरता की हानि को 40,000/- रुपये प्रति वर्ष माना है। तदनुसार, आयोग ने दावेदारों को 6,40,000/- रुपये का अवॉर्ड दिया है। हालाँकि हमें मृतक द्वारा किए गए एजेंसी के काम से होने वाली कमाई के लिए आयोग द्वारा निर्धारित राशि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती केवल उक्त राशि तक ही सीमित होनी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि एजेंसी के काम से होने वाली आय के कारण निर्भरता का शुद्ध नुकसान 16,000/- रुपये प्रति वर्ष होगा। उक्त राशि में जोड़ने पर, परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 45,000/- रुपये आंका गया है, निर्भरता का नुकसान 61,000/- रुपये प्रति वर्ष होगा। उक्त राशि में 16 का गुणक लगाने पर मुआवजा 9,76,000/- रुपये बनता है। उक्त आंकड़े में पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ने पर, दावेदारों को देय कुल मुआवजा 10,51,000/- रुपये होता है।

केस संख्या 346-डीएफटी

149. इस मामले में मृतक श्रीमती साक्षी उर्फ राकेश रानी 25 वर्षीय गृहिणी थी जो अग्नि त्रासदी में अपनी मृत्यु के समय खाना पकाने की कक्षाएं लेती थी। उनके पति और बेटे बॉबी ने आयोग के समक्ष मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये की राशि का दावा किया था। आयोग के समक्ष साक्ष्य में उसकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य उपलब्धियों को दर्शाने वाले दस्तावेज शामिल थे। आयोग ने उक्त साक्ष्य के आधार पर, मृतक की आय 2,100/- रुपये प्रति माह मानी है और निर्भरता की हानि को 40,800/- रुपये प्रति वर्ष मानते हुए उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की है। आयोग ने 18 का गुणक लागू किया है और 7,34,400/- रुपये की राशि प्रदान की है। हमारी राय में मृतक द्वारा परिवार को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 45,000/- रुपये प्रति वर्ष माना जाना चाहिए, जिसमें खाना पकाने की कक्षाओं से अर्जित आय के लिए 16,800/- रुपये प्रति वर्ष की राशि जोड़ी जा सकती है। का कुल नुकसान इसलिए, निर्भरता रु. 61,800/- प्रति वर्ष होगी। 18 के गुणक को लागू करने पर दावेदारों को देय मुआवजे की राशि 11,12,400/- रुपये होगी। पारंपरिक राशि में रु. 75,000/- जोड़ने पर यह आंकड़ा रु. 11,87,400/- हो जाएगा।

मामला संख्या: 351-डीएफटी

150. इस दावा याचिका में कहा गया है कि मृतिका श्रीमती निर्मला उर्फ रानी 34 वर्षीय गृहिणी थी जो अग्निकांड में मृत्यु के समय सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दे रही थी। उनके पति और बेटे मोहिंदर कुमार द्वारा 60,00,000/- रुपये का दावा किया गया था। आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चला कि मृतक भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र के अनुसार कटिंग और टेलरिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा धारक था। आयोग ने अपने सामने रखी गई सामग्री के आधार पर, मृतक की आय उसके व्यवसाय से 2,100/- रुपये प्रति माह मानी थी और निर्भरता की कुल हानि 40,800/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की थी। 17 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने मुआवजे के लिए 6,94,000/- रुपये की राशि प्रदान की और इसे दोनों दावेदारों के बीच बांटने का निर्देश दिया। हमारी राय में, जबकि मृतक द्वारा अपने सिलाई कार्य से अर्जित आय को उसके व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती के बाद रु. 1,400/- प्रति माह या रु. 16,800/- प्रति वर्ष माना जा सकता है, सेवाओं का मूल्य परिवार को प्रदान की गई राशि का मूल्यांकन 45,000/- रुपये किया जा सकता है। इससे मल्टीप्लिकैंड 61,800/- रुपये हो जाएगा। 17 के गुणक को लागू करने पर, दावेदारों को देय मुआवजे की राशि 10,50,600/- रुपये होगी। पारंपरिक राशि में 75,000/- रुपये जोड़ने पर कुल राशि 11,25,600/- रुपये हो जाएगी, जिसे दावेदारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

केस संख्या 486-डीएफटी:

151. इस मामले में मृतक श्रीमती तुलसी देवी, एक गृहिणी थी, जिसकी उम्र अग्नि त्रासदी में मृत्यु के समय लगभग 19 वर्ष थी और वह घरेलू नौकर के रूप में काम कर रही थी। आयोग ने मृतक की आय 18,000/- रुपये प्रति वर्ष मानी है, उसमें से व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की है, इस प्रकार निर्धारित राशि को परिवार को प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य में जोड़कर रुपये की राशि प्रदान की है। दावेदारों को 6,122,000/- रु. मृतक की सेवाओं का मूल्य 45,000/- रुपये और उसके व्यक्तिगत खर्चों में 1/3 की कटौती के बाद शुद्ध आय 12,000/- रुपये लेने पर, गुणक 57,000/- रुपये आता है। उक्त राशि में 17 का गुणक लगाने

पर, मुआवजे की राशि 9,69,000/- रुपये हो जाती है, जिसमें पारंपरिक शुल्क के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ दिए जाते हैं, जिससे दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 10,44,000/-रुपये हो जाती है।

152. इसलिए, इस श्रेणी में देय राशि के संबंध में अंतिम तस्वीर को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commission (In Rs.)	Annual loss of dependency after deducting 1/3rd thereof (In Rs.)	Value Services rendered to the family @ Rs.45,000 p.a.	Multiplier Applied	Revised amount of compensation held payable (5+6×7) (In Rs.)	Conventional figure (In Rs.)	Total Amount (8+9) (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14-DFT	Mrs. Asha Rani, 32 years	469200	3600	45000	17	826200	75000	901200
2	109-DFT	Mrs. Rekha Rani, 29 years	867000	24174	45000	18	1245132	75000	1320132
3	124-DFT	Mrs. Renu Bala 31 years	693600	—	45000	17	765000	75000	840000
4	138-DFT	Mrs. Sushma Gupta, 34 years	612000	12000	45000	17	969000	75000	1044000
5	152-DFT	Mrs. Kiran Pal Grover, 41 years	378000	1200	45000	15	693000	75000	768000
6	160-DFT	Mrs. Manju Bala, 31 years	640000	16000	45000	16	976000	75000	1051000
7	346-DFT	Mrs. Sakshi *alias* Rakesh Rani, 25 years	734400	16800	45000	18	1112400	75000	1187400
8	351-DFT	Mrs. Nirmla *alias*, Rani, 34 yeas	694000	16800	45000	17	1050600	75000	1125600
9	486-DFT	Mrs. Tulsi Devi, 19 years	612000	12000	45000	17	969000	75000	1044000
						Total			**9281332**

<u>श्रेणी 5 मामले:-</u>

153. इस श्रेणी में विभिन्न आयु वर्ग के 39 वयस्क पुरुषों से संबंधित दावे शामिल हैं जिन्होंने आग की घटना में अपनी जान गंवा दी। जांच आयोग ने **सुसम्मा मामले** (सुप्रा), **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और **मैलेट बनाम मैक.मोनागल**[33] में अंग्रेजी फैसलों पर भरोसा किया है, **डेविस बनाम टेलर**[34], **डेविस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड**[35] और **चेयरमैन, एपीएसआरटीसी बनाम शफिया खातून का मामला** (सुप्रा), में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसले भी। **भगवान दास बनाम मो. अरेफ का मामला** (सुप्रा) और **एपीएसटीआरसी बनाम जी.रामनैया के मामले** (सुप्रा) में देखा गया कि मृत्यु के मामलों में मुआवजे का निर्धारण करने के लिए गुणक विधि कानूनी रूप

[33] 1970 एसी 166.

[34] 1974 एसी 207

[35] (1942) एसी (प्रिवी काउंसिल) 601

से अच्छी तरह से स्थापित है और न केवल 'निष्पक्ष' मुआवजा बल्कि पुरस्कारों की निश्चितता भी सुनिश्चित करती है। इस पद्धति से विचलन को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और बहुत असाधारण मामलों में ही उचित ठहराया जा सकता है। आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों में निर्धारित कानूनी स्थिति, हमारी राय में, अपरिहार्य है और इस निर्णय में हमारे द्वारा किसी भी अतिरिक्त या किसी भी अतिरिक्त चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य[36],** मामले में फैसला सुनाया है।, इस विषय पर केस कानून की समीक्षा पर, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामलों में मुआवजे के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को बहाल किया । निर्णय स्पष्ट रूप से मुआवजे के निर्धारण, भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि, जीवन-यापन के खर्चों में कटौती, गुणक का चयन और मुआवजे की गणना आदि के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को दोहराता है। अन्य श्रेणियों में आने वाले मामलों से निपटने के दौरान, हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। उक्त निर्णय का एक संदर्भ जहां तक कि यह भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करता है। हमें केवल यह जोड़ने की जरूरत है कि **सुसम्मा थॉमस** (सुप्रा) और ऊपर उल्लिखित अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई कानूनी स्थिति दृढ़ता से स्थापित है और वास्तव में **सरला वर्मा के मामले** (सुप्रा) में उनके आधिपत्य द्वारा इसे दोहराया गया है।

154. आयोग ने श्रेणी 5 के मामलों में 61,200/- रुपये से 16,11,000/- रुपये के बीच मुआवजा दिया है।

155. हम इनमें से हर एक मामले की सिलसिलेवार बारीकी से जांच करने का प्रस्ताव करते हैं।

केस नंबर 8-डीएफटी

156. गुरदीप सिंह की मृत्यु से उत्पन्न इस मामले में, आयोग ने मृतक की आय 3,000/- रुपये मानी है और 13 का गुणक लागू किया है। आयोग को दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मृतक की मां द्वारा 70,00,000/- रुपये का भुगतान। हालाँकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के समय मृतक की उम्र लगभग 19 वर्ष थी। वह सतलुज पब्लिक स्कूल में स्कूल वैन चालक के रूप में कार्यरत था। इसलिए, उसके द्वारा अर्जित की जा रही राशि को आने वाले वर्षों में बेहतर अनुभव के साथ अर्जित करने में सक्षम राशि की अधिकतम राशि नहीं कहा जा सकता है। यह सामान्य ज्ञान है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान एक ड्राइवर अपने अनुभव और अच्छे आचरण के आधार पर प्रति माह 6,000/- रुपये तक कमा सकता है। मृतक गुरदीप सिंह ने अभी अपना करियर शुरू ही किया था. इसलिए, रु. 3,000/- का वेतन आने वाले समय में उसने जो कमाया होगा उसका वास्तविक सूचकांक नहीं कहा जा सकता। इसमें सबसे बढ़िया तथ्य यह है कि एक गृहिणी जो केवल परिवार को सेवाएं प्रदान करती है, उसे प्रति वर्ष 45,000/- रुपये तक का योगदान दिया जाता है। एक वयस्क पुरुष जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और ड्राइवर के रूप में लाभप्रद रूप से नियोजित है, वह उस राशि से अधिक कमा सकता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यहां तक कि जब आग लगने की घटना के दिन मृतक की आय 3,000/- रुपये प्रति माह बताई गई थी, तब भी हम उसकी आय 4,500/- रुपये प्रति माह मानने के इच्छुक हैं। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काटकर परिवार के लिए योगदान रु. 3,000/- प्रति माह या रु. 36,000/- प्रति वर्ष होगा। उस आंकड़े में 13 का गुणक लगाने पर मुआवजे की राशि 4,68,000/- रुपये बनती है। हमें अन्य श्रेणियों में आने वाले मामलों में हमारे द्वारा दिए जाने वाले रु. 75,000/- के पारंपरिक आंकड़े को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार, हम इस मामले में दावेदारों को रु. 75,000/- की पारंपरिक राशि प्रदान करते हैं, जिससे दावेदारों को देय कुल राशि रु. 5,43,000/- हो जाएगी।

केस नंबर 9-डीएफटी और 12-डीएफटी

157. मृतक रविंदर कुमार और अश्वनी कुमार भाई थे। आयोग ने इन दोनों मामलों में दावेदारों को प्रत्येक मामले में 3,90,000/- रुपये की राशि दी है, जिसे मृतक के माता-पिता के बीच समान रूप से बांटा

[36] (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट केस 121

जाएगा। ऐसा करते समय, आयोग ने दोनों भाइयों की आय 10,500/- रुपये ली, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती की और 5 का गुणक लागू किया।

158. मृतक पीड़ितों के पिता रोशन लाल ने अपनी गवाही में कहा कि उनके बेटे हर महीने 30,000/- रुपये कमाते थे, जिस पर आयोग ने विश्वास नहीं किया क्योंकि उसके अनुसार, डबवाली जैसे छोटे शहर में व्यवसाय नहीं हो सकता था। , उस तरह का रिटर्न प्राप्त करें। यह सच है कि मृतक के पिता के बयान के अलावा, उनके बेटों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय से उनकी वास्तविक आय को स्थापित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है, फिर भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों लड़के थे फोटोग्राफी व्यवसाय में लगे हुए हैं, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि उनकी आय आयोग द्वारा निर्धारित 10,500/- रुपये के बजाय 12,000/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह क्यों न ली जाए। व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा घटाकर, परिवार के लिए शुद्ध योगदान रु. 8,000/- प्रति माह या रु. 96,000/- प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति होगा। माता-पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा चुना गया 5 का गुणक, हमारी राय में, उपयुक्त है, जिसके अनुसार प्रत्येक मामले में माता-पिता को देय राशि रु. 4,80,000/- होगी। उक्त आंकड़े के अलावा हम पारंपरिक शुल्क के लिए 75,000/- रुपये का अवॉर्ड देते हैं, जिससे इन दोनों मामलों में से प्रत्येक में मुआवजे की कुल राशि 5,55,000/- रुपये हो जाती है, जिसे माता-पिता के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

केस नंबर 10-डीएफटी

159. यह मामला कैमरामैन के पद पर कार्यरत बलबीर सिंह की मौत से जुड़ा है। आयोग ने मृतक की आय 3,000/- रुपये प्रति माह मानी है, जबकि पीड़िता की मां के अनुसार उसकी आय 4,000/- या 5,000/- रुपये प्रति माह बताई गई है। हमारी राय में, मृतक की आय 4,000/- रुपये प्रति माह मानी जा सकती थी, ऐसी स्थिति में परिवार पर निर्भरता का शुद्ध नुकसान 2,667/- रुपये प्रति माह या 32,000/- रुपये प्रति माह होगा। वार्षिक. आयोग द्वारा चुने गए 17 के गुणक को उक्त आंकड़े पर लागू करने पर, मुआवजे के रूप में देय राशि 5,44,000/- रुपये होगी। पारंपरिक आंकड़े में 75,000/- रुपये जोड़ने पर, इस मामले में दावेदारों को देय कुल राशि 6,19,000/- रुपये होगी।

160. चूंकि मृतक अपने पीछे अपनी मां और एक नाबालिग बेटी छोड़ गया है, इसलिए उक्त राशि में से 2,00,000/- रुपये की राशि मां को दी जाएगी, जबकि शेष राशि बेटी के जन्म तक सावधि जमा रसीद में जमा की जाएगी। बहुमत प्राप्त करता है. हालाँकि, सावधि जमा से अर्जित ब्याज आय को नाबालिग द्वारा अपनी दादी, अभिभावक के माध्यम से समय-समय पर अपने पालन-पोषण और शिक्षा आदि पर खर्च करने के लिए निकाला जा सकता है।

केस नंबर 11-डीएफटी

161. यह मामला किसी की मृत्यु से उत्पन्न हुआ है अशोक गिल की उम्र 26 वर्ष थी जो अग्नि त्रासदी में अपनी मृत्यु के समय एक संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। दावेदार उनकी विधवा और एक नाबालिग बेटी हैं। आयोग ने दावेदारों द्वारा दिए गए कथन को स्वीकार कर लिया है कि मृतक स्कूली बच्चों को संगीत सिखाकर प्रति दिन 150 रुपये कमा रहा था। मृतक की आय रूपये 4,500/- प्रति माह अथवा रूपये 54,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है। आयोग ने उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि में से एक तिहाई की कटौती करते हुए, निर्भरता की हानि रु. 36,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की है। दावेदारों की उम्र को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 18 के गुणक को सही ढंग से लागू किया है और दावेदारों को 6,48,000/- रुपये का अवॉर्ड दिया है। हमारी राय में उक्त राशि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, सिवाय इसके कि दावेदार आयोग द्वारा दी गई राशि के अलावा पारंपरिक आंकड़े के रूप में 75,000/- रुपये की राशि के हकदार होंगे। इस प्रकार इस मामले में दावेदारों को देय कुल राशि रु. 7,23,000/- होगी।

केस नंबर 13-डीएफटी

162. यह दावा घटना के दिन लगभग 31 साल के भागीरथ की मौत से जुड़ा है, जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उनकी विधवा श्रीमती उमा देवी और नाबालिग बेटे बलदेव ने आयोग के समक्ष मुआवजे के रूप में 70,00,000 रुपये का दावा किया। हालाँकि, आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सिरसा के

कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक का सकल वेतन 3,134/- रुपये प्रति माह निर्धारित किया है। उक्त राशि का 1/3 हिस्सा घटाकर, परिवार को निर्भरता की हानि रु. 25,027/- प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। आयोग ने 4,26,224/- रुपये का अवॉर्ड देने के लिए 17 का गुणक लागू किया है, हमारी राय में यह राशि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जानी चाहिए कि मृतक पुलिस विभाग में स्थायी नौकरी कर रहा था और उसकी नौकरी में और ऊपर जाने की संभावना थी । पुलिस विभाग. सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए सिद्धांतों को लागू करते हुए, मृतक की आय 4,701/- रुपये प्रति माह मानी जा सकती है। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा घटाकर, निर्भरता की शुद्ध हानि रु. 3,134/- प्रति माह या रु. के रूप में ली जा सकती है। 37,608/- प्रति वर्ष। आयोग द्वारा चुने गए 17 के गुणक को लागू करने पर, दावेदारों को देय मुआवजा 6,39,336/- रुपये बनता है। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ने पर दावेदारों को देय कुल राशि 7,14,336/- रुपये हो जाएगी।

केस नंबर 15-डीएफटी

163. यह दावा श्री अशोक वढेरा की मृत्यु से उत्पन्न हुआ है, जो आग त्रासदी में अपनी मृत्यु के समय एक समाचार एजेंसी चलाने वाले प्रेस रिपोर्टर थे। उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे और बेटी ने आयोग के समक्ष 70,00,000/- रुपये का दावा किया। आयोग ने मृतक की आय 6,000/- रुपये प्रति माह और निर्भरता की हानि 4,000/- रुपये प्रति माह या 48,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। 17 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने इस मामले में मुआवजे के लिए 8,16,000/- रुपये का अवॉर्ड दिया है और निर्देश दिया है कि उक्त राशि में से रुपये की राशि। श्रीमती उषा वढेरा को 3,16,000/- रुपये का भुगतान किया जाए, जबकि मृतक द्वारा छोड़े गए उनके बेटे और बेटी को 2,50,000/- रुपये का भुगतान किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की आय 5,000/- रुपये से 7,000/- रुपये प्रति माह के बीच बताई गई है। इसलिए आयोग ने निर्भरता के नुकसान का निर्धारण करते समय माध्य आंकड़ा सही लिया है। हमें उक्त निर्धारण या आयोग द्वारा चुने गए गुणक में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। दावेदारों को देय कुल राशि 8,91,000/- रुपये तक ले जाने के लिए हमें पारंपरिक राशि में 75,000/- रुपये जोड़ने की आवश्यकता है । उक्त राशि में से रु. 3,50,000/- की राशि मृतक की विधवा को दी जाएगी, जबकि शेष राशि मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी के नाम पर सावधि जमा में जमा की जा सकती है। वे बहुमत प्राप्त कर लेते हैं। उक्त आय से अर्जित ब्याज को बच्चों की मां/अभिभावक द्वारा बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए निकाला जा सकता है।

केस नंबर 16-डीएफटी

164. यह मामला राधेश्याम शास्त्री की मृत्यु से उत्पन्न हुआ है, जो घटना के समय 36 वर्ष के थे और अपनी आजीविका कमाने के लिए धार्मिक और पूजा समारोहों में लगे हुए थे। आयोग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक ऐसी पूजा और अन्य समारोहों से प्रति माह 15,000 रुपये कमाता था। हालाँकि, आयोग ने मृतक की आय 7,500/- रुपये प्रति माह मानी है, उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 राशि की कटौती की है और परिवार के लिए निर्भरता की हानि 5,000/- रुपये प्रति माह मानी है। या रु. 60,000/- प्रति वर्ष। 15 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने इस मामले में दावेदार को 9,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की है, जिसमें हम पारंपरिक आंकड़े के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ते हैं, जिससे मुआवजे की कुल राशि 9,75,000/- रुपये हो जाती है।. हमारी राय में, इस मामले में कोई अन्य परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

केस नंबर 18-डीएफटी

165. यह मामला 40 साल के रविंदर कुमार की मौत से जुड़ा है, जो अपनी मौत के समय एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। दावेदार उनकी पत्नी और दो बेटे और एक बेटी हैं। आयोग के समक्ष 70,00,000/- रूपये का दावा किया गया। आयोग ने अंततः केवल 1,16,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। आयोग ने नोट किया है कि मृतक ने आयुर्वेद रतन परीक्षा उत्तीर्ण की थी और Ex.P232/18-DFT के रूप में चिह्नित प्रमाण पत्र के अनुसार 1976 से एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर था। आयोग ने यह भी कहा कि मृतक एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रेस संवाददाता के रूप में कार्यरत था। हालाँकि, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुआवजे के भुगतान का दावा किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था और तदनुसार वर्ष 1995-96 के लिए उपायुक्त, सिरसा द्वारा निर्धारित मासिक वेतन लिया गया और मृतक की मासिक कमाई निर्धारित की गई।

प्रति वर्ष रु. 1,322/- या रु. 15,864/- के रूप में। व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि में से एक तिहाई की कटौती करते हुए, आयोग ने निर्भरता की हानि को रु. 10,576/- प्रति वर्ष माना है। हमारी राय में आयोग इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि मृतक कई वर्षों से एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर था और उस क्षमता में चिकित्सा अभ्यास करने के लिए योग्य था। मृतक द्वारा छोड़ी गई विधवा के बयान में उल्लिखित किसी विशिष्ट आंकड़े की अनुपस्थिति को इस बात के लिए निर्णायक नहीं माना जा सकता है कि मृतक उस पेशे में लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया था। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि मृतक की आय 4,500/- रुपये प्रति माह मानी जा सकती है। व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती करने पर, निर्भरता का शुद्ध नुकसान रु. 36,000/- प्रति वर्ष होगा। उक्त आंकड़े में 15 का गुणक लगाने पर, दावेदार 5,40,000/- रुपये की राशि के हकदार होंगे। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि में रु.75,000/- का इजाफा होगा दावेदारों को देय कुल राशि रु. 6,15,000/- है।

केस नंबर 19-डीएफटी

166. यह मामला अग्नि त्रासदी की तारीख पर 43 वर्ष की आयु के ओम प्रकाश मेहता की मृत्यु से उत्पन्न होता है। उनकी पत्नी और दो बेटों ने मुआवजे के लिए 70,00,000/- रुपये का दावा किया और यह दिखाने के लिए सबूत पेश किए कि मृतक कृषि भूमि से प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये की कमाई कर रहा था और कमीशन एजेंट का व्यवसाय चला रहा था। मेसर्स मेहता ब्रदर्स का नाम, जिससे वह रुपये कमा रहा था। 2,00,000/- प्रति वर्ष। **हरियाणा राज्य और अन्य वी. जसबीर कौर और अन्य**[37], में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए , आयोग ने माना कि कृषि भूमि के संदर्भ में परिवार को आय का कोई नुकसान नहीं हुआ था। मृतक के स्वामित्व और खेती। आयोग ने यह भी माना है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतक ओम प्रकाश मेहता की मृत्यु के बाद, परिवार ने उनके पक्ष में परिवर्तित भूमि की देखभाल के लिए किसी को नियुक्त किया था। जहां तक आयोग एजेंसी से होने वाली आय का संबंध है, आयोग ने मृतक की आय 36,490/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती करते हुए, निर्भरता का शुद्ध नुकसान रु. 24,327/- प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। 13 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने दावेदारों को 3,16,251/- रुपये की राशि प्रदान की है, जिसे तीनों दावेदारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

167. केवल दो पहलू हैं जिन्हें हम इस मामले में उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं, एक उस योगदान के धन मूल्य से संबंधित है जो मृतक कृषि भूमि की खेती और उसी से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए कर रहा था और दूसरा पारंपरिक राशि के भुगतान के संबंध में । रु. 75,000/- का. यह सच हो सकता है कि दावेदारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि ओम प्रकाश मेहता की मृत्यु के बाद कृषि भूमि का प्रबंधन करने के लिए उनके द्वारा किसी को नियुक्त किया गया है, लेकिन ऐसी किसी वैकल्पिक व्यवस्था की अनुपस्थिति यह नहीं सुझा सकती है कि मृतक कुछ भी योगदान नहीं दे रहा था। भूमि की खेती और उससे होने वाली आय की ओर। हमारी राय में, मृतक द्वारा अपने पास रखी भूमि की खेती के मामले में किए गए योगदान का मौद्रिक समतुल्य रु. 1,000/- प्रति माह या रु. 12,000/- प्रति वर्ष से कम नहीं हो सकता है, जो राशि जोड़ी जा सकती है कमीशन एजेंसी व्यवसाय के संदर्भ में निर्भरता की वार्षिक हानि जो मृतक अपने जीवनकाल के दौरान कर रहा था। इस प्रकार देखा जाए तो निर्भरता का वार्षिक नुकसान रु. 36,327/- होगा। उक्त आंकड़े में 13 का गुणक लगाने पर, दावेदार 4,72,251 रुपये की राशि के हकदार होंगे। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ने पर दावेदारों को देय कुल राशि 5,47,251 रुपये हो जाएगी।

केस नंबर 20-डीएफटी

168. इस मामले में दावा, देस राज की मृत्यु से उत्पन्न हुआ, जो घटना के समय 68 वर्षीय पेंशनभोगी था। उनकी विधवा राज रानी और बेटे पलविंदर ने आयोग के समक्ष मुआवजे के रूप में 50,00,000/- रुपये का दावा किया, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पेंशनभोगी केवल 4,000/- रुपये प्रति माह की पेंशन ले रहा था और उसे शुद्ध नुकसान हुआ। उनके व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती के बाद निर्भरता रु. 32,000/- प्रति वर्ष होगी। 5 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने दोनों दावेदारों को समान हिस्से में 1,60,000/- रुपये

[37] III (2003) दुर्घटना और मुआवजा मामले 90

की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। यह दिखाने के लिए किसी सामग्री के अभाव में कि मृतक को किसी अन्य स्रोत से कोई अतिरिक्त आय थी, हम आयोग के इस विचार को स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि मृतक, पेंशनभोगी के रूप में, केवल रु. 4,000/- कमाता था और वह निर्भरता का शुद्ध घाटा रु. 32,000/- प्रति वर्ष था। हालाँकि, आयोग ने दावेदारों को रु. 75,000/- का पारंपरिक आंकड़ा नहीं दिया है, जिसे नकारने का हमें कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार, हम आयोग द्वारा दी गई रु. 1,60,000/- की राशि को बढ़ाकर रु. 2,35,000/- कर देते हैं, जिसका भुगतान दोनों दावेदारों को समान शेयरों में किया जाएगा।

दावा संख्या 22-डीएफटी

169. इस मामले में, मृतक सुरिंदर कुमार 37 साल का था और बैंक कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था। आयोग के समक्ष दावेदार मृतक की विधवा, बेटी, बेटा और पिता थे। आयोग के समक्ष पेश किए गए सबूतों से यह साबित करने का प्रयास किया गया कि कमीशन एजेंट रुपये की राशि के अलावा प्रति वर्ष 30,000/- रुपये से 40,000/- रुपये के बीच कमा रहा था। ट्यूशन कार्य से 5,000/- प्रति माह। हालाँकि, वन मैन कमीशन को ट्यूशन कार्य से आय के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी, आयोग ने दावेदारों द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया है कि मृतक आयोग एजेंसी से 32,314.90 रुपये की कमाई कर रहा था। वर्ष 1995 में। उस आय को आधार बनाते हुए, आयोग ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती की और परिवार को निर्भरता का शुद्ध नुकसान 21,550/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने वर्ष 1995 में आयोग एजेंसी से मृतक द्वारा अर्जित की गई राशि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, दावेदारों के इस दावे को नजरअंदाज कर दिया है कि आय 30,000/- रुपये से 40,000/- रुपये प्रति वर्ष के बीच थी । इसलिए, औसतन, मृतक की आय 32,314.90 रुपये प्रति वर्ष के बजाय 35,000/- रुपये प्रति वर्ष मानी जा सकती थी, जैसा कि आयोग द्वारा किया गया था। उस राशि में, हम ट्यूशन कार्य से होने वाली आय के लिए 15,000/- रुपये की राशि जोड़ने के इच्छुक हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक एक शैक्षणिक रूप से योग्य युवक था, जिसके लिए कमीशन एजेंसी के काम से पर्याप्त अतिरिक्त समय मिल सकता था। अपनी आय की पूर्ति के लिए ट्यूशन प्रदान करने पर खर्च किया। इसलिए, मृतक की सकल वार्षिक आय 50,000/- रुपये मानी जा सकती है। उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काटने पर निर्भरता का शुद्ध नुकसान रु. 33,300/- होगा। आयोग द्वारा चुने गए 16 के गुणक को लागू करने पर, दावेदारों को देय राशि 5,32,800 रुपये हो जाती है। उस राशि में, हमें पारंपरिक राशि में 75,000/- रुपये जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे मुआवजा 6,07,800/- रुपये हो जाएगा, जिसे हम दावेदारों को प्रदान करेंगे।

केस नंबर 23-डीएफटी

170. यह मामला 46 साल के रमेश चुघ की मृत्यु से उत्पन्न हुआ, जो पेशे से कृषक थे और आग की घटना के दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों में से एक थे। आयोग के समक्ष दावेदारों में मृतक की विधवा और उसके दो बच्चे शामिल थे। मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये की राशि के भुगतान के दावे को इस आधार पर समर्थित करने की मांग की गई थी कि मृतक की मृत्यु के कारण परिवार को उसके स्वामित्व वाली 29 एकड़ खेती योग्य भूमि से अर्जित पूरी आय से वंचित कर दिया गया था। गांव लोहगढ़, तहसील डबवाली में। हालाँकि, आयोग ने सबूतों पर चर्चा की है और **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जसबीर कौर और अन्य**[38] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि का स्रोत परिवार के लिए आय उपलब्ध रहती है क्योंकि मृतक के पास मौजूद ज़मीन-जायदाद उपलब्ध रहती है और दावेदारों के पक्ष में परिवर्तित होती रहती है। हालाँकि, उक्त भूमि के प्रबंधन और खेती के लिए मृतक द्वारा किए गए योगदान का मूल्यांकन किया जा सकता है और उचित राशि प्रदान की जा सकती है क्योंकि परिवार को वह काम करने के लिए किसी और को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया था जो मृतक अपने जीवनकाल के दौरान कर रहा था। तदनुसार, आयोग ने मृतक का योगदान 7,000/- रुपये प्रति माह माना है, उसमें से एक तिहाई राशि उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट ली है और 7,28,000/- रुपये का मुआवजा देने के लिए आवेदन किया है। 13 का गुणक। हमारे विचार से, आयोग ने दोनों मामलों में गलती की है। मृतक का अंशदान 7,000/- रुपये प्रति माह लिया जाएगा तथा उक्त

[38] III (2003) दुर्घटना और मुआवजा मामले 90 (एससी)

राशि में से 1/3 हिस्सा भी काटा जाएगा। सबसे पहले, यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि परिवार वास्तव में एक बिहारी लाल की सगाई को छोड़कर प्रति माह 7,000/- रुपये खर्च कर रहा था, जो एक स्नातक था, जिसका अगस्त 2003 में निधन हो गया था। जो भी हो, सगाई इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि और उसकी खेती का स्वामित्व दृढ़ता से स्थापित था, भूमि की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति को असंभव और अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है। हमारी राय में, मृतक का योगदान, जिसके लिए अब मृतक जो कर रहा था, उसे करने के लिए किसी और की नियुक्ति की आवश्यकता होगी, जिसका मूल्यांकन 5,000/- रुपये प्रति माह किया जा सकता है। इसलिए, मृतक की मृत्यु के कारण शुद्ध हानि रु. 60,000/- प्रति वर्ष हो सकती है और इससे अधिक नहीं। उक्त आंकड़े में 13 का गुणक लगाने पर मुआवजे की राशि 7,80,000/- रुपये होगी। उस राशि में 75,000/- रुपये का पारंपरिक आंकड़ा जोड़ा जाना चाहिए, जिससे मुआवजे की कुल राशि 8,55,000/- रुपये हो जाएगी, जो दावेदारों को समान अनुपात में भुगतान की जाएगी।

केस नंबर 24-डीएफटी

171. यह मामला 26 वर्षीय व्यवसायी संजय क्षात्रा की मौत से उत्पन्न हुआ, जो आग की घटना के पीड़ितों में से एक थे। उनकी नाबालिग बेटी सिम्मी क्षात्रा ने मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये की राशि का दावा किया था। घटना में दावेदार ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था। दावा इस दावे पर आगे बढ़ा कि मृतक अपने रेडीमेड कपड़ों के व्यवसाय से प्रति वर्ष 1,50,000/- रुपये कमा रहा था। हालाँकि, आयोग ने मृतक की मासिक आय 8,000/- रुपये मानी है, उसमें से 1/3 हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट लिया है और निर्भरता की वार्षिक हानि 64,000/- रुपये निर्धारित की है। 18 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने 11,52,000/- रुपये की राशि प्रदान की है, जिसमें हमें इसके अलावा कोई गलती नहीं मिल सकती है, हमें कुल राशि लेते हुए पारंपरिक आंकड़े के रूप में उक्त राशि में 75,000/- रुपये जोड़ने की आवश्यकता है। दावेदार को रु.12,27,000/ देय।

केस नंबर 25-डीएफटी

172. यह मामला 60 साल के वकील और डीएवी स्कूल की कार्यकारी समिति के सदस्य निरंजन दास बंसल की मृत्यु से उत्पन्न हुआ। दावेदार उनकी विधवा और दो बेटे हैं। मृतक को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था और आयोग के समक्ष दिए गए बयानों के अनुसार, वह अपनी वकालत से प्रति माह 12,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक कमाता था। आयोग ने मृतक की आय 12,500/- रुपये प्रति माह मानी है और उसके व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती के बाद निर्भरता की हानि का आकलन 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष किया है। उस राशि के लिए, आयोग ने मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए 5 का गुणक लागू किया है और दावेदारों को 5,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। हमारी राय में, यह अवॉर्ड उचित है और इसमें पारंपरिक राशि में 75,000/- रुपये की राशि जोड़ने के अलावा किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, कुल राशि बढ़कर 5,75,000/- रुपये हो जाएगी, जिसमें से 3,00,000/- रुपये की राशि मृतक की विधवा को दी जाएगी, जबकि शेष दोनों बेटों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी।

केस नंबर 26-डीएफटी

173. यह दावा केमिस्ट के रूप में काम करने वाले 30 साल के संजय ग्रोवर की मौत से जुड़ा है, जिनकी भी आग की घटना में जान चली गई थी। उनकी विधवा और दो बेटों द्वारा किया गया दावा 70,00,000/- रुपये की सीमा तक था, इस आधार पर कि मृतक अपने मेडिकल स्टोर व्यवसाय से प्रति माह लगभग 10,000/- से 12,000/- रुपये कमा रहा था। मृतक स्नातक था और बताया जाता है कि वह सामाजिक और पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लेता था। हालाँकि, आयोग ने मृतक की आय 9,000/- रुपये मानी है, उक्त राशि में से 1/3 हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट लिया है और निर्भरता की हानि 72,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। 17 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने 12,24,000/- रुपये का अवॉर्ड दिया है, जिसमें से 3,24,000/- रुपये विधवा को दिए जाने थे, जबकि शेष राशि बेटों के बीच समान रूप से वितरित की जानी थी। आयोग द्वारा दी गई राशि में कुछ भी गलत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि पारंपरिक आंकड़े में 75,000/- रुपये की राशि जोड़नी है, जो कुल राशि लेती है मुआवज़ा 12,99,000/- रुपये, पूर्णांकित 13,00,000/- रुपये।

उक्त राशि में से 5,00,000/- रुपये की राशि विधवा को भुगतान की जाएगी और शेष राशि अन्य दो दावेदारों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी।

केस नंबर 27-डीएफटी

174. यह मामला 25 साल के गुरदास सिंह की मौत से जुड़ा है, जो एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। एक सदस्यीय जांच आयोग ने मृतक की आय 3,000/- रुपये और परिवार की कुल आय 2,000/- रुपये प्रति माह या 24,000/- रुपये प्रति वर्ष मानी है। हमारी राय में, यह राशि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कमतर प्रतीत होती है कि मृतक एक स्थायी नौकरी कर रहा था और भविष्य में पुलिस बल में वृद्धि की संभावना थी। **सरला वर्मा के मामले** (सुप्रा) में निर्णय के आलोक में भविष्य की संभावनाओं में 50% जोड़ने पर आयोग द्वारा निर्धारित आय 4,500/- रुपये हो जाएगी। अपने व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती करके, परिवार पर निर्भरता का नुकसान रु. 3,000/- प्रति माह या रु. 36,000/- प्रति वर्ष होगा। आयोग द्वारा चुने गए 18 के गुणक को लागू करने पर, दावेदारों को देय कुल राशि 6,48,000/- रुपये हो जाती है। पारंपरिक शुल्कों में रु. 75,000/- जोड़ने पर यह आंकड़ा रु. 7,23,000/- हो जाएगा।

केस नंबर 28-डीएफटी

175. यह दावा मास्टर वीनस सेठी और सुरिंदर कुमार के माता-पिता ने किया था, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, जिन्होंने आग की घटना में अपनी जान गंवा दी थी। दावेदारों के अनुसार, मृतक डबवाली में करियाना की दुकान चलाता था और प्रति माह 20,000 रुपये से 30,000 रुपये कमाता था। तथापि, आयोग ने उस कथन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है और मृतक की मासिक आय 10,000/- रुपये निर्धारित की है, उक्त राशि में से 1/3 की कटौती की है और निर्भरता की हानि 80,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। तत्पश्चात् आयोग ने मुआवजे के रूप में 13,60,000/- रुपये की राशि प्रदान करने के लिए 17 का गुणक लागू किया है। हमारी राय में, आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि में किसी भी वृद्धि के लिए कोई जगह नहीं है। हमें बस इतना करना है कि उस राशि में पारंपरिक आंकड़े के रूप में 75,000/- रुपये की राशि जोड़ी जाए, जिससे कुल राशि 14,35,000/- रुपये हो जाएगी, जिसमें से प्रत्येक को 2,50,000/- रुपये की राशि मृतक के माता-पिता को दी जाएगी, जबकि शेष राशि उसके नाबालिग बेटे वीनस सेठी के नाम पर सावधि जमा में निवेश की जाएगी जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। हालांकि, निवेश पर मिलने वाले ब्याज को नाबालिग के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए अभिभावकों द्वारा वापस लिया जा सकता है।

केस नंबर 29-डीएफटी

176. इस मामले में दावा मृतक की बेटी द्वारा किया गया था, जो घटना में मारे गए परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य था। दावेदार के मृतक पिता अशोक कुमार सिक्का डबवाली स्थित भारतीय स्टेट बैंक में ग्रामीण विकास अधिकारी सह शाखा प्रबंधक थे। वह अपनी पत्नी और दावेदार की बहन के साथ इस समारोह में शामिल हो रहे थे। दावा इस आधार पर आगे बढ़ा कि मृतक अपनी मृत्यु के समय, बैंक से वेतन के रूप में प्रति माह 13,424 रुपये कमा रहा था। आयोग ने उक्त राशि में से एक तिहाई की कटौती की और निर्भरता की हानि 8,950 रुपये प्रति माह या 1,07,400 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की। तत्पश्चात् आयोग ने 16,11,000/- रुपये की राशि प्रदान करने के लिए 15 का गुणक लागू किया है। परम्परागत आंकड़े के लिए 75,000/- रुपये की राशि जोड़ने से न्याय की प्राप्ति होती है क्योंकि आयोग द्वारा चुने गए गुणक या गुणक में कुछ भी गलत नहीं है। पारंपरिक राशि के लिए 75,000/- रुपये की राशि जोड़ने से दावेदार को देय मुआवजे की कुल राशि 16,86,000/- रुपये हो जाएगी।

केस नंबर 30-डीएफटी

177. जगविंदर सिंह की मौत से उपजे इस मामले में मृतक घटना के समय टेंट हाउस के कारोबार में लगा हुआ था. आयोग ने मृतक की आय केवल 3,000 रुपये प्रति माह और निर्भरता की हानि 24,000 रुपये प्रति वर्ष ली थी। हमारी राय में, यह राशि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कम है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के अनुसार, मृतक टेंट हाउस व्यवसाय में लगा हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दुर्भाग्यपूर्ण समारोह के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए आयोजन स्थल पर था। हमारे विचार

से मृतक की आय 4,500/- रुपये प्रति माह मानी जा सकती है। व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काटने पर, परिवार पर निर्भरता का नुकसान 3,000 रुपये प्रति माह या 36,000 रुपये प्रति वर्ष होगा। आयोग द्वारा चुने गए 13 गुणक को लागू करने पर दावेदारों को देय कुल राशि 4,68,000/- रुपये हो जाएगी। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के लिए 75,000 रुपये की राशि जोड़ने पर, दावेदारों को देय कुल मुआवजा 5,43,000 रुपये हो जाएगा।

केस नंबर 31-डीएफटी

178. इस मामले में दावा रवि भटेजा की बेटी सलोनी भटेजा ने किया था, जो एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले एक योग्य डॉक्टर थे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गांव लांबी, जिला मुक्तसर (पंजाब) में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। मृतक की उम्र 42 वर्ष थी और उसकी मृत्यु के समय उसे 6,742 रुपये प्रति माह मिलते थे और वह आयकर दाता था। उन्होंने अपनी मृत्यु के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान 62,250/- रुपये की वार्षिक आय अर्जित की थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि मृतक निजी प्रैक्टिस से 7,000 रुपये से 8,000 रुपये कमा रहा था। तथापि, आयोग ने यह स्वीकार करने से इंकार कर दिया है कि मृतक की निजी प्रैक्टिस से कोई आय थी और उसने मृतक की आय 6,742/- रुपये प्रति माह ली थी, उसके व्यक्तिगत खर्चों में से एक तिहाई की कटौती की और निर्भरता की शुद्ध हानि को 4,500/- रुपये प्रति माह या 54,000/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया। 15 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने 8,10,000/- रुपये की राशि प्रदान की है।. ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है कि मृतक एक स्थायी सरकारी नौकरी पर था और सेवा में आगे बढ़ने की संभावनाएं थीं। सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करना कि घटना के समय सकल आय में वेतन आय का 30% जोड़ना पूरी तरह से उचित होगा। इस प्रकार, मृतक की सकल मासिक आय 8,756/- रुपये प्रति माह होगी। उक्त राशि में से एक तिहाई राशि को काटने पर परिवार को निर्भरता का निवल नुकसान 5,843 रुपये प्रति माह या 70,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। 15 के गुणक को लागू करने पर, दावेदार को देय मुआवजे की कुल राशि 10,51,800 रुपये हो जाएगी। उस राशि में, हम दावाकर्ता को देय मुआवजे की कुल राशि को 11,26,800 रुपये तक ले जाने के लिए पारंपरिक आंकड़े के रूप में 75,000 रुपये की राशि जोड़ते हैं।

केस नंबर 32-डीएफटी

179. इस मामले में, मृतक सुखबीर सिंह एक 31 वर्षीय ठेकेदार था, जिसने अपने माता-पिता को मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये के भुगतान के लिए आयोग के समक्ष दावा करने के लिए छोड़ दिया था। आयोग के समक्ष पेश किए गए सबूतों के अनुसार, मृतक स्नातक था और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ समारोह में गया था, जहां सभी की जलकर मौत हो गई। रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के अनुसार, मृतक एक शराब ठेकेदार होने के साथ-साथ एक प्रॉपर्टी डीलर भी था, जो प्रति माह 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच कमाता था। तथापि, आयोग ने उस कथन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है और मृतक की आय उसके पिता के साथ संयुक्त रूप से 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक ले ली है। उस आय में मृतकों का हिस्सा 6,000/- रुपये प्रति माह या 72,000/- रुपये प्रति वर्ष लिया गया है। उक्त राशि के 1/3 भाग की कटौती से निर्भरता की हानि 48,000/- रुपये प्रति वर्ष तक कम हो गई है। 5 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने दावेदारों को 2,40,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। आयोग ने हमारी राय में मृतक की आय का आकलन कम आंकड़े पर किया है। खंडन में किसी भी सबूत के अभाव में, मृतक की आय 12,000 रुपये प्रति माह मानी जा सकती है, यदि अधिक नहीं। इसलिए, निर्भरता की निवल हानि को रु.8,000/- प्रति माह या रु.96,000/- प्रति वर्ष पर लिया जा सकता है। 5 के गुणक को लागू करने पर, माता-पिता को देय राशि 4,80,000 रुपये होगी। इसमें हम पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये की राशि जोड़ते हैं ताकि दावेदारों को देय कुल राशि को समान अनुपात में 5,55,000/- रुपये तक ले जाया जा सके।

केस नंबर 33-डीएफटी

180. यह मामला 27 साल के राधेश्याम की मौत से जुड़ा है। आयोग ने घटना की तारीख को मृतक की आय 8,100 रुपये प्रति माह ली है और व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काटने के बाद, परिवार के लिए निर्भरता की हानि 64,800 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। 5 के गुणक को लागू करते हुए,

आयोग ने 3,24,000/- रुपये की राशि प्रदान की थी। हमारी राय में, मृतक की आय 9,000 रुपये प्रति माह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ली जा सकती है कि मृतक एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक था। तदनुसार हम मृतक की आय 9,000/- रुपये लेते हैं, व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसी का 1/3 हिस्सा काटते हैं और परिवार के लिए निर्भरता की हानि 72,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करते हैं। 5 के गुणक को लागू करने पर, दावेदारों को देय कुल राशि 3,60,000/- रुपये हो जाएगी। पारंपरिक राशि में 75,000/- रुपये की वृद्धि से मुआवजे की राशि 4,35,000/- रुपये हो जाएगी।

केस नंबर 34-डीएफटी

181. यह दावा 63 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डबवाली के अध्यक्ष गुरदेव सिंह शांत की मृत्यु से उत्पन्न हुआ। यह दावा उनकी पत्नी सुरजीत कौर ने मुआवजे के रूप में 70,00,000 रुपये के भुगतान के लिए किया था। दावेदारों ने कहा था कि मृतक अपने भाई की आभूषण की दुकान से प्रति माह 10,000 रुपये कमा रहा था। तथापि, आयोग ने आय को 5,100/- रुपये प्रति माह मान लिया है, निर्भरता की हानि को निर्धारित करने के लिए 1/3 की कटौती की है ताकि निर्भरता की हानि को 3,400/- रुपये प्रति माह या 48,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया जा सके। 5 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने मृतक की विधवा और बेटे इकबाल सिंह को समान शेयरों में 2,04,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। मृतक की आय का आकलन, हमारी राय में, इस मामले में निष्पक्ष और उचित नहीं रहा है। आयोग को मृतक की आय 9,000 रुपये प्रति माह आंकी जानी चाहिए थी और उस आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए था। तदनुसार, हम इस मामले में उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती के बाद 6,000 रुपये प्रति माह पर निर्भरता के नुकसान का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार, निर्भरता की वाषक हानि 72,000/- रुपये होगी। 5 के गुणक को लागू करते हुए, हम दावेदारों को 3,60,000/- रुपये की राशि प्रदान करते हैं। परम्परागत आंकड़े में 75,000/- रुपये की वृद्धि से दावेदारों को देय मुआवजे की राशि 4,35,000/- रुपये हो जाएगी, जिसमें से 3,00,000/- रुपये की राशि मृतक की विधवा को दी जाएगी, जबकि शेष राशि का भुगतान उसके पुत्र इकबाल सिंह को किया जाएगा।

केस नंबर 35-डीएफटी

182. इस दावा याचिका में मृतक पवन कुमार 40 साल का बैंक कर्मचारी था। यह दावा उनकी पत्नी और पुत्री ने 70,00,000/- रुपये की राशि के लिए किया था। आयोग ने मृतक की आय 7685.39 रुपये प्रति माह ली है, उक्त राशि में से 1/3 की कटौती की है और निर्भरता की हानि 5,124/- रुपये प्रति माह या 61,488/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। 15 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने 9,22,320/- रुपये का आदेश दिया है, जिससे यह 9,22,500/- रुपये हो गया है, जिसके साथ हमें कोई गलती नहीं मिलती है, इसके अलावा, हम उस राशि में पारंपरिक आंकड़े के रूप में 75,000/- रुपये की राशि जोड़ते हैं, जिससे दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 9,97,500/- रुपये हो जाती है। राशि का भुगतान दोनों दावेदारों को समान शेयरों में किया जाएगा।

केस नंबर 36-डीएफटी

183. राजबीर सिंह की मृत्यु से उत्पन्न मामले में, आयोग ने मृतक की आय 1,530/- रुपये मानी थी और परिवार को निर्भरता की हानि 12,240 रुपये निर्धारित की थी। /- प्रतिवर्ष। 5 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने दावेदारों को 61,200/- रुपये की मामूली राशि प्रदान की थी। आयोग ने इस प्रक्रिया में मृतक की मां द्वारा दिए गए बयान पर अविश्वास किया है कि वह एक ठेकेदार के रूप में काम करता था और प्रति माह 15,000/- रुपये से 20,000/- रुपये कमाता था। इसके बजाय आयोग ने दावेदारों को देय मुआवजे का निर्धारण करते समय घटना की तारीख के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत देय न्यूनतम मजदूरी पर भरोसा करने का विकल्प चुना है। हमारी राय में आयोग का ऐसा करना उचित नहीं था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य निर्णायक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत किसी साक्ष्य के अभाव में, यह उस राशि का संकेत दे सकता है जो वह कमा रहा था। मृतक ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वह समारोह में आमंत्रित था। इसलिए, इन परिस्थितियों की समग्रता में, हमारा विचार है कि मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति माह मानी जा सकती है, जो गवाह के रूप में पेश हुई उसकी मां द्वारा बताए गए आंकड़े से कम है। उक्त राशि में से 1/3 घटाने पर, परिवार को निर्भरता का शुद्ध नुकसान रु. 10,000/- या रु. 1,20,000/- प्रति वर्ष होगा। 5 के गुणक

को लागू करने पर, दावेदारों को देय मुआवजे की राशि 6,00,000/- रुपये होगी। पारंपरिक राशि में रु. 75,000/- जोड़ने पर कुल राशि रु. 6,75,000/- हो जाएगी।

केस संख्या 37-डीएफटी

184. नरेश कुमार की मृत्यु से उत्पन्न इस मामले में, आयोग ने मृतक की आय 6,000/- रुपये मानी है और निर्भरता की हानि 4,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित की है। आयोग ने तब 11 का गुणक लागू किया था और दावेदारों को 5,28,000/- रुपये की राशि प्रदान की थी। आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार मृतक की आय 5,000/- रुपये से 7,000/- रुपये प्रति माह के बीच थी। इसलिए, आयोग ने मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय एक औसत आंकड़ा लिया है। इस दृष्टिकोण में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है कि इस न्यायालय से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। हमें बस इतना कहना है कि 75,000/- रुपये उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के रूप में जोड़े जाएंगे, जिससे मुआवजे की राशि 6,03,000/- रुपये हो जाएगी।

केस नंबर 73-डीएफटी

185. इस दावे में, मृतक मनफूल चंद अपनी मृत्यु के समय सरकारी सेवा में एक विज्ञान शिक्षक थे। उनकी मां जमुना बाई ने मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये के भुगतान के लिए दावा दायर किया था। दावेदार के अनुसार, मृतक को स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार 5,000/- रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। वह एक प्रशिक्षित शिक्षक थे और उस समारोह में गये थे जिसमें उनका बेटा और बेटी भी शामिल हो रहे थे। आयोग ने मृतक की आय 4,800/- रुपये प्रति माह मानते हुए मां को 1,92,000/- रुपये का मुआवजा दिया है। इस प्रक्रिया में, आयोग ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि मृतक के पास सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांतों पर भविष्य में उच्च आय की संभावनाएं थीं। इसलिए, हम उसकी सकल मासिक आय में वेतन आय का 50% जोड़ते हैं, जिससे मृतक की कुल मासिक आय 7,200/- रुपये प्रति माह हो जाती है। उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए राशि का 1/3 हिस्सा घटाकर, निर्भरता का शुद्ध नुकसान रु. 4,800/- प्रति माह या रु. 57,600/- प्रति वर्ष होगा। 5 का गुणक लगाने पर मुआवजे की राशि 2,88,000/- रुपये बनेगी। उस राशि में, हम पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ते हैं, जिससे दावेदार को देय मुआवजे की कुल राशि 3,63,000/- रुपये हो जाती है।

केस नंबर 343- **डीएफटी**

186. यह केस शलभ जुनेजा की मौत से सामने आया है. आयोग ने मृतक की मासिक आय रु. 2,352/- मानी है, उक्त राशि का 1/3 डी घटाया है, और निर्भरता की हानि रु. 18,816/- निर्धारित की है। 13 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने 2,44,608/- रुपये की राशि प्रदान की है। इस मामले में, मृतक अपनी मृत्यु के समय डबवाली के सेंट जोसेफ स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत था और प्रति माह 2,300/- रुपये वेतन कमा रहा था। वह बी.एससी., बी.एड. थे। वह अपने भतीजे विवेक, जो डीएवी स्कूल का छात्र था, के साथ उस दुर्घटनास्थल पर था। मामले में दावेदार, जो मृतक का बड़ा भाई है, अपने पीछे बचा एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी था। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिवार को निर्भरता का नुकसान वास्तव में 18,816/- रुपये प्रति माह होगा। 13 का गुणक लगाने पर मुआवजे की राशि 2,44,608/- रुपये बनती है। दावेदार को देय कुल राशि 3,19,608/- रुपये करने के लिए हमें पारंपरिक राशि में केवल 75,000/- रुपये जोड़ने की आवश्यकता है।

केस नंबर 344-डीएफटी

187. सुरेश कुमार सेठी (33) आग लगने की घटना में अपनी मौत की तारीख को निजी रोजगार में थे। माता-पिता ने मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये के भुगतान के लिए दावा किया। उनके अनुसार, मृतक स्नातक था और 2,000 रुपये के मासिक वेतन पर एक दुकान पर काम कर रहा था। आयोग ने स्वीकार किया है कि उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का 1/3 भाग काटकर, निर्भरता की हानि 16,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई है और 5 का गुणक लागू करके मुआवजे के रूप में 80,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार निर्धारित राशि उचित और उचित प्रतीत नहीं होती है और यह उचित मुआवजे की तुलना में मामूली प्रकृति में अधिक है, जिसके लिए मृतक के माता-पिता हकदार थे। रिकॉर्ड में यह साबित हो गया है

कि मृतक स्नातक था। 2,000/- रुपये प्रति माह की मामूली राशि पर एक दुकान में उनका रोजगार, इसलिए, जीवन में केवल एक अस्थायी विशेषता थी जो अधिक राशि अर्जित करने की उनकी वास्तविक क्षमता का सूचकांक नहीं था। जैसा कि पहले देखा गया है, हमने एक गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य भी 45,000/- रुपये प्रति वर्ष लिया है। हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि हमें उस राशि को एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों नहीं अपनाना चाहिए जो बूढ़े माता-पिता के लिए एकमात्र जीवन समर्थन था। वह न केवल अपने माता-पिता की सेवा कर रहा था, बल्कि आय को पूरा करने के लिए प्रति माह 2,000 रुपये कमा रहा था, जिससे निर्भरता की हानि 45,000 रुपये + 1,6000 रुपये = 61,000 रुपये हो जाती है। 5 के गुणक को लागू करने पर मुआवजे की राशि 3,05,000/- रुपये हो जाएगी। इस आंकड़े में हम पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये जोड़ते हैं जिससे कुल राशि 3,80,000/- रुपये हो जाती है।

कांड संख्या 345-डीएफटी

188. इस मामले में मृतक 35 वर्षीय राकेश कुमार था. उनके माता-पिता ने आग की घटना में उनकी मृत्यु के मुआवजे के लिए 70,00,000/- रुपये का दावा किया। दावेदार के अनुसार, मृतक मैसर्स गुप्ता ऑटो स्टोर, डबवाली के नाम और शैली में अपने मोबाइल ऑयल व्यवसाय से प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये से 1,50,000/- रुपये कमा रहा था। वह एक आयकर निर्धारिती भी थे और अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करते थे। आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान कर भुगतान के लिए एक कर चालान भी पेश किया गया। आयोग ने उस संस्करण को स्वीकार कर लिया है और मृतक की आय 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष मानी है। उसमें से 1/3 की कटौती करने पर निर्भरता का नुकसान 67,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित हुआ। 5 के गुणक को लागू करने पर, मुआवजे की राशि माता-पिता के बीच समान रूप से विभाजित होने के लिए 3,35,000/- रुपये हो गई। हमारी राय में, इस राशि को उपयुक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर तब जब मृतक न केवल व्यवसाय में लाभकारी रूप से कार्यरत था, बल्कि उससे अच्छी खासी रकम भी कमा रहा था। मृतक की आय 1,00,000/- रूपये के स्थान पर 1,25,000/- रूपये प्रतिवर्ष मानी जा सकेगी। उक्त राशि का 1/3 हिस्सा घटाने पर, निर्भरता का शुद्ध नुकसान रु. 83,334/- प्रति वर्ष होगा। आयोग द्वारा चुने गए गुणक को लागू करने पर मुआवजे की राशि 4,16,670/- रुपये होगी। इसमें, हम पारंपरिक आंकड़े में 75,000/- रुपये जोड़ते हैं, जिससे दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 4,91,670/- हो जाती है, जिसे पूर्णांकित रूप से 4,92,000/- रुपये कर दिया जाता है।

केस नंबर 362-डीएफटी

189. इस मामले में मृतक भीम सैन उम्र 33 वर्ष तेल मिल का कारोबार करता था। उनके पिता और विधवा ने आयोग के समक्ष दावा याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मृतक ज्योति ऑयल मिल्स, डबवाली में भागीदार था और प्रति वर्ष 40,000/- रुपये से 50,000/- रुपये तक कमाता था। आयोग ने मृतक की आय 45,000/- रूपये प्रति वर्ष मानी है तथा एक तिहाई कटौती के बाद निर्भरता की हानि 30,000/- रूपये प्रति वर्ष मानी है। 17 के गुणक को लागू करते हुए, दावेदारों को 5,10,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें हमें कोई गलती नहीं मिल सकती है, सिवाय इसके कि आयोग को पारंपरिक आंकड़े के लिए 75,000/- रुपये की राशि भी प्रदान करनी चाहिए थी। जिसके द्वारा हम देय मुआवजे की राशि 5,85,000/- रुपये लेते हुए अवॉर्ड देते हैं। उक्त राशि में से विधवा को 4,00,000/- रुपये की राशि प्राप्त होगी , जबकि शेष राशि मृतक के पिता को दी जाएगी।

कांड संख्या 366-डीएफटी

190. इस मामले में मृतक रवि कुमार उम्र 34 वर्ष व्यवसाय करता था. मुआवजे के भुगतान का दावा उनके भाई, उनकी पत्नी और उनकी भतीजी ने किया था। आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से पता चला कि मृतक डबवाली में मैसर्स रवि ट्रेडिंग कंपनी, मंडी डबवाली के नाम और शैली में एक कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहा था और 40,000/- रुपये से 50,000/- रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रहा था। आयोग ने यह भी नोट किया है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए मेसर्स रवि ट्रेडिंग कंपनी की आय 41,170/- रुपये आंकी गई थी। उक्त राशि का 1/3 हिस्सा घटाकर, निर्भरता की हानि रुपये पर गणना की गई है। 27,447/-, पूर्णांकित रु. 27,450/-। 16 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने रुपये का अवॉर्ड दिया है। 4,39,200/- और इसे दावेदारों

के बीच बांटने का निर्देश दिया, जिसमें हमें कोई गलती नहीं मिली। हम दावेदारों को देय कुल राशि रु. 5,14,200/- करने के लिए उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के लिए केवल रु. 75,000/- जोड़ते हैं, जिसे दावेदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है।

केस नंबर 368-डीएफटी

191. यह मामला 44 साल के ईंट-भट्ठा मालिक अशोक कुमार की मौत से जुड़ा है. उनकी विधवा, बेटी और उनके बेटे द्वारा मुआवजे के रूप में 70,00,000/- रुपये की राशि का दावा किया गया था। आयोग के समक्ष पेश किए गए सबूतों से पता चला कि मृतक एक आयकर निर्धारिती था और वर्ष 1994-95 के लिए उसकी आय 1,59,600/- रुपये आंकी गई थी। आयोग ने प्रति वर्ष परिवार के लिए निर्भरता के नुकसान का निर्धारण करते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1,06,400/- रुपये की कटौती की। 13 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने मुआवजे के रूप में 13,84,000/- रुपये की राशि प्रदान की। हमारी राय में, इस मामले में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि हम पारंपरिक आंकड़े में 75,000/- रुपये जोड़ दें, जिससे दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 14,58,200/- रुपये हो जाएगी।

केस नंबर 373-डीएफटी

192. इस मामले में मृतक किशोरी लाल की उम्र 67 साल थी. वह एक आयकर व्यवसायी थे, जो अपने पीछे मामले में दावेदार तीन बेटे छोड़ गये। आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि मृतक प्रति वर्ष 50,000/- रुपये की आय अर्जित कर रहा था। उक्त राशि में से एक तिहाई की कटौती करते हुए, आयोग ने निर्भरता की हानि को रु. 33,334/- प्रति वर्ष के हिसाब से लिया है और रु. 1,70,000/- की राशि देने के लिए उसमें 5 का गुणक लागू किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दावेदारों द्वारा बताई गई मृतक की आय को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उस पर एक उचित गुणक लागू किया गया है, हमें इस मामले में किसी भी वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि हम इसमें 75,000/- रुपये जोड़ दें। आयोग द्वारा दी गई राशि का पारंपरिक आंकड़ा, जो दावेदारों को देय कुल राशि रु. 2,45,000/- को तीनों दावेदारों के बीच समान रूप से साझा करने के लिए ले जाता है।

केस नंबर 377-डीएफटी

193. यह मामला सुतंतर सिंह भट्टी नाम के 60 वर्षीय पेंशनभोगी की मौत से संबंधित है, जिनकी आग लगने की घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी और दो बेटों द्वारा 70,00,000/- रुपये की राशि के भुगतान के लिए दावा किया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि मृतक को प्रति वर्ष 38,400/- रुपये की पेंशन मिल रही थी, जिसमें से आयोग ने उक्त राशि का 1/3 हिस्सा काट लिया और निर्भरता की हानि को 25,600/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया। 5 का गुणक लागू करते हुए, आयोग ने 1,28,000/- रुपये का अवॉर्ड दिया है। हमें पारंपरिक राशि के रूप में 75,000/- रुपये की राशि जोड़ने के अलावा उक्त राशि को बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखता है। इस प्रकार, दावेदारों को देय कुल मुआवजा 2,03,000/- रुपये होगा, जिसमें से 75% मृतक की विधवा को भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष 25% बेटों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

केस नंबर 472-डीएफटी

194. सतकरतार सिंह की मृत्यु से उत्पन्न इस मामले में, आयोग ने मृतक की आय 2,712/- रुपये ली है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 कटौती की है और निर्भरता की हानि रुपये निर्धारित की है। 21,768/-. दावेदार की उम्र को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 8 का गुणक चुना है और 1,75,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। दावेदार मृतक के माता-पिता हैं जो उपरोक्त वेतन पर निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। आयोग ने ऐसा करते हुए पिता द्वारा दी गई बात पर अविश्वास किया है कि मृतक ट्यूशन के काम से प्रति माह 12,000 रुपये भी कमाता था। मृतक एक प्रशिक्षित शिक्षक था, इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है और जांच के दौरान चिह्नित प्रमाणपत्रों द्वारा इसे मजबूती से स्थापित किया गया है। इसलिए, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि मृतक छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता था और अपनी आय बढ़ाता था। किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, हम यह मानने को इच्छुक हैं कि वेतन के रूप में प्रति माह रु. 2,712/- से अधिक, मृतक ट्यूशन से प्रति माह

कम से कम रु. 3,300/- भी कमाता था, जिससे उसकी कुल आय रु. 6,000/-. उक्त राशि का 1/3 हिस्सा घटाने पर, निर्भरता का नुकसान रु. 4,000/- या रु. 48,000/- प्रति वर्ष होगा। उस आंकड़े में 8 का गुणक लगाने पर दावेदारों को देय राशि रु. 3,84,000/- हो जाएगी। रु. 75,000/- के पारंपरिक आंकड़े को जोड़ने पर मुआवजे की राशि रु. 3,84,000/- + रु. 75,000/- = रु. 4,59,000/- हो जाएगी।

केस संख्या 490-डीएफटी

195. यह मामला श्री धर्म सिंह की मृत्यु से उत्पन्न हुआ। आयोग ने मृतक की आय 2,100/- रुपये प्रति माह आंकी है और परिवार को निर्भरता की हानि 16,800/- रुपये निर्धारित की है। 8 के गुणक को लागू करते हुए, आयोग ने मृतक की माँ को 1,35,000/- रुपये की राशि प्रदान की है, जो आयोग के समक्ष अपने बयान के समय 60 वर्ष की थी।

196. इस मामले में, मृतक 23 साल का एक युवा लड़का था और किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक मैट्रिक पास था और उसने सिरसा से कृषि डी-फार्मा में दो साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया था। वह एक सक्षम व्यक्ति थे और समय आने पर अपना करियर अच्छी तरह से शुरू कर सकते थे। आयोग ने उनके लिए एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन लागू किया है और उन्हें केवल 2,200/- रुपये की आय का श्रेय दिया है। हमें वह राशि निम्नतर प्रतीत होती है। जिस व्यावसायिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए मृतक ने अपना लाभकारी रोजगार प्राप्त किया था, वह केवल समय की बात थी। हमारी राय में, मुआवजे के अवॉर्ड के प्रयोजनों के लिए मृतक की अनुमानित आय रु. 4,200/- को लिया जा सकता है। उक्त राशि में से 1/3 घटाने पर, निर्भरता का नुकसान रु. 2,800/- प्रति माह या रु. 33,600/- प्रति वर्ष होगा। उक्त आंकड़े में 8 का गुणक लगाने पर, दावेदार को देय राशि रु. 2,68,800/- हो जाएगी। उस आंकड़े में पारंपरिक राशि के रूप में रु.75,000/- जोड़ने पर दावेदार को देय कुल राशि रु.3,43,800/- हो जाएगी।

केस नंबर 492-डीएफटी

197. इस मामले में, दावा मृतक सोमनाथ कंबोज के बेटों द्वारा किया गया था, जो 40 साल के थे और हरियाणा सिविल सर्विसेज में सेवारत थे और डबवाली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे। आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चला कि मृतक एक उच्च योग्य अधिकारी था और उसे प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए चुना गया था। अपनी मृत्यु की तिथि पर वह प्रति माह 9,668/- रुपये का वेतन प्राप्त कर रहे थे। आयोग ने उक्त राशि में से 1/3 हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट लिया है और परिवार पर निर्भरता की हानि रु. 77,344/- प्रति वर्ष मान ली है। इसके बाद इसने 11,60,000/- रुपये की राशि देने के लिए 15 का गुणक लागू किया है। हमारी राय में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस राशि को उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है कि मृतक राज्य सरकार में स्थायी नौकरी कर रहा था और इसमें और वृद्धि की संभावना थी। सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांतों पर, मृतक की वेतन आय के 30% के बराबर राशि को मृतक की सकल आय में जोड़ा जा सकता है, जिससे मृतक की सकल मासिक आय 12,568 रुपये हो जाएगी। - प्रति माह या रु. 1,50,816/- प्रति वर्ष. उक्त राशि में से 1/3 घटाने पर, निर्भरता का नुकसान 1,00,544/- रुपये प्रति वर्ष होगा। 15 का गुणक लगाने पर मुआवजे की कुल राशि 15,08,160/- रुपये होगी। उस आंकड़े में, हम 75,000/- रुपये जोड़ते हैं, जिससे दावेदारों को देय मुआवजे की कुल राशि 15,83,160/- रुपये हो जाती है।

198. ऊपर चर्चा किए गए मामलों में दावेदारों को देय मुआवजे की राशि को अब संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: -

Sr. No.	Case No.	Name & Age of the Deceased	Amount awarded by the Commiss-ion (in Rs.)	Annual Income at the time of death (in Rs.)	Future prospects (in Rs.)	Annual loss of dependency {5+6-1/3rd towards personal expenses} (in Rs.)	Revised amount of compen-sation payable {7× multiplier applied} (in Rs.)	Conventional figure (in Rs.)	Total Amount {8+9} (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8-DFT	Gurdeep Singh, 19 years	312000	54000	0	36000	468000	75000	543000
2	9-DFT	Ravinder Kumar, 20 years	390000	144000	0	96000	480000	75000	555000
3	12-DFT	Ashwani Kumar, 29 years	390000	144000	0	96000	480000	75000	555000
4	10-DFT	Balbir Singh, 24 years	408000	48000	0	32000	544000	75000	619000
5	11-DFT	Ashok Gill, 26 years	648000	54000	0	36000	648000	75000	723000
6	13-DFT	Bhagirath, 32 years	426300	37608	18804	37608	639336	75000	714336
7	15-DFT	Ashok Wadhera, 32 years	816000	72000	0	48000	816000	75000	891000
8	16-DFT	Radhey Shyam Shastri, 36 years	900000	90000	0	60000	900000	75000	975000
9	18-DFT	Ravinder Kumar 40 years	160000	54000	0	36000	540000	75000	615000
10	19-DFT	Om Parkash Mehta, 43 years	316251	36490	0	36327 (24327+ 12000)	472251	75000	547251
11	20-DFT	Des Raj, 68 years	160000	48000	0	32000	160000	75000	235000
12	22-DFT	Surinder Kumar, 39 years	345000	50000	0	33300	532800	75000	607800
13	23-DFT	Ramesh Chugh, 46 years	728000	60000 (Contri-bution)	0	60000 (Contri-bution)	780000	75000	855000
14	24-DFT	Sanjay Kwatra, 26 years	1152000	96000	0	64000	1152000	75000	1227000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	25-DFT	Niranjan Dass Bansal, 60 years	500000	150000	0	100000	500000	75000	575000
16	26-DFT	Sanjay Grover. 30 years	1224000	108000	0	72000	1224000	75000	1300,000 (rounded off)
17	27-DFT	Gurdas Singh. 25 years	432000	36000	18000	36000	648000	75000	723000
18	28-DFT	Surinder Kumar. 30 years	1360000	120000	0	80000	1360000	75000	1435000
19	29-DFT	Ashok Kumar Sikka, 43 years	1611000	161088	0	107400 (Rounded off)	1611000	75000	1686000
20	30-DFT	Jagwinder Singh. 21 years	362000	54000	0	36000	468000	75000	543000
21	31-DFT	Ravi Bhateja. 40 years	810000	80904	24276	70120	1051800	75000	1126800
22	32-DFT	Sukhbir Singh. 31 years	240000	144000	0	96000	480000	75000	555000
23	33-DFT	Radhey Sham. 27 years	324000	108000	0	72000	360000	75000	435000
24	34-DFT	Gurdev Singh Shant. 63 years	204000	108000	0	72000	360000	75000	435000
25	35-DFT	Pawan Kumar Sharma. 40 years	922500	92232 (Rounded off)	0	61488	922500 (Rounded off)	75000	997500
26	36-DFT	Rajbir Singh. 25 years	61200	180000	0	120000	600000	75000	675000
27	37-DFT	Naresh Kumar. 25 years	528000	72000	0	48000	528000	75000	603000
28	73-DFT	Manphool Chand. 35 years	192000	57600	28800	57600	288000	75000	363000
29	343-DFT	Shalbh Juneja. 26 years	245000	28224	0	18816	244608	75000	319608
30	344-DFT	Suresh Kumar. Sethi. 33 years	80000	24000	0	61000 (45000+ 16000)	305000	75000	380000
31	345-DFT	Rakesh Kumar. 33 years	335000	125000	0	83334	416670	75000	492000 (Rounded off)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	362-DFT	Bhim Sain. 33 years	510000	45000	0	30000	510000	75000	585000
33	366-DFT	Ravi Kumar. 34 years	439200	41170	0	27450 (Rounded off)	439200	75000	514200
34	368-DFT	Ashok Kumar. 44 years	1384000	159600	0	106400	1384000 (Rounded off)	75000	1458200
35	373-DFT	Kishori Lal. 67 years	170000	50000	0	33334	170000 (Rounded off)	75000	245000
36	377-DFT	Sutanter Singh Bhatti. 60 years	128000	38400	0	25600	128000	75000	203000
37	472-DFT	Satkartar Singh. 26 years	175000	72000 (Rounded off)	0	48000	384000	75000	459000
38	490-DFT	Dharam Singh. 23 years	135000	50400	0	33600	268800	75000	343800
39	492-DFT	Som Nath Kamboj. 40 years	1160000	116016	34800	100544	1508160	75000	1583160
								TOTAL	**27697655**

श्रेणी 6

199. इस श्रेणी के मामलों में आग की घटना में घायल लोगों द्वारा दायर 88 दावा याचिकाएं आती हैं। आयोग ने इन मामलों को उनकी विकलांगता की सीमा के आधार पर अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया है और तदनुसार मुआवजा दिया है। इनमें से पहले समूह में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें पीड़ितों को 1% से 10% के बीच जलने की चोटों के कारण विकलांगता का सामना करना पड़ा। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की तालिका "ए" में ऐसे 29 मामले गिनाए गए हैं। दूसरे समूह में ऐसे मामले शामिल हैं जहां रिपोर्ट की गई विकलांगता 11% से 20% के बीच है, जिसे रिपोर्ट की तालिका "बी" में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, रिपोर्ट की तालिका "सी" उन मामलों की गणना करती है जहां विकलांगता 21% से 30% के बीच है, जबकि तालिका "डी" उन मामलों की गणना करती है जिनमें रिपोर्ट की गई विकलांगता 31% से 40% के बीच है। तालिकाएँ "ई", "एफ", "जी", "एच", "आई" और "जे" इसी तरह 41% से 50%, 51% से 60%, इत्यादि के बीच विकलांगता वाले मामलों की गणना करती हैं। तालिका "के" 9 मामलों की गणना करने वाली तालिकाओं में से अंतिम है जिसमें विकलांगता का प्रतिशत 100% बताया गया है।

200. जांच आयोग ने, संबंधित दावों से निपटते समय, "जलने की चोटें", "जलने के आघात" और उनके उपचार से संबंधित कुछ पाठ्य पुस्तकों और लेखों का उल्लेख किया है। इसमें कई न्यायिक घोषणाओं का भी उल्लेख किया गया है जो चोट के मामलों में मुआवजा देते समय न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को निर्धारित करती हैं। हालांकि हमें चोट के मामलों में मूल्यांकन और मुआवजे के अवॉर्ड को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की पहचान करने और लागू करने में आयोग की ओर से कोई त्रुटि या गलत दिशा नहीं दिखती है, हम इस विषय पर कुछ निर्णयों का संक्षेप में उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए कर सकते हैं कि कार्य और प्रक्रिया चोट के मामलों में मुआवज़े का आकलन करना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है और ऐसे दावों के निर्णय की प्रक्रिया में कुछ मात्रा में अटकलें और अनुमान अंतर्निहित हैं।

201. वार्ड्स बनाम जेम्स[39] में, लॉर्ड डेनिंग ने व्यक्तिगत चोट के लिए मुआवजे के अवॉर्ड को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से निपटते समय तीन अलग-अलग मामलों की पहचान की, जिन्हें ऐसे किसी भी अभ्यास को करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसने कहा:-

> "**सबसे पहले, पहुंच**: गंभीर चोट के मामले में, जहां शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है या मस्तिष्क नष्ट हो गया है। पैसे में उचित मुआवजे का आकलन करना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि अवॉर्ड मूल रूप से एक पारंपरिक आंकड़ा होना चाहिए, अनुभव से या से प्राप्त किया गया तुलनीय मामलों में पुरस्कार.
>
> **दूसरे, एकरूपता:** पुरस्कारों में कुछ हद तक एकरूपता होनी चाहिए ताकि समान मामलों में समान निर्णय दिए जा सकें; अन्यथा समुदाय में बहुत असंतोष होगा और न्याय प्रशासन की बहुत आलोचना होगी।
>
> **तीसरा, पूर्वानुमेयता**: पार्टियों को कुछ हद तक सटीकता के साथ किसी विशेष मामले में दी जाने वाली राशि का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से मामलों को शांतिपूर्वक निपटाया जा सकता है और उन्हें अदालत में नहीं लाया जा सकता है, जो कि सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है। अच्छा"।

आगे कहा गया:

> "यद्यपि आप इतने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उसके 'खोए हुए वर्ष' के लिए ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, तथापि, आप उसकी छोटी अवधि के दौरान, यानी उसके जीवित रहने के अपेक्षित वर्षों के दौरान, उसके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आप उसकी भरपाई कर सकते हैं उस दौरान उसकी कमाई का नुकसान, और इलाज, देखभाल और उपस्थिति की लागत का नुकसान हुआ। लेकिन आप उसे एक असहाय अशक्त बना दिए जाने की भरपाई कैसे कर सकते हैं? मस्तिष्क की चोट के कारण, वह अपने बाकी दिनों के लिए बेहोश हो सकता है , या, पीठ की चोट के कारण, अपने बिस्तर से उठने में असमर्थ हो। उसने वह सब कुछ खो दिया है जो जीवन को सार्थक बनाता है। पैसा उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर भी न्यायाधीशों और जूरी को अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा और उसे वह देना होगा जो वे सोचते हैं उचित है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें यह लगभग अघुलनशील लगता है। उनसे अगणनीय गणना करने के लिए कहा जा रहा है। यह आंकड़ा अधिकांश भाग के लिए एक पारंपरिक राशि है। न्यायाधीशों ने पैटर्न तैयार किया है और वे इसे परिवर्तनों के अनुरूप रखते हैं पैसे का मूल्य"।

202. थॉमस बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड,[40] का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहां स्कार्मन, एलजे ने कहा:-

> "...इस तरह के मामले में क्षति का सबसे बड़ा तत्व दर्द, पीड़ा और स्वस्थ और गतिशील अंगों से जुड़े सामान्य सुख और सुविधा की हानि है। अदालत बस इतनी ही राशि दे सकती है वादी को कुछ भौतिक संपत्ति प्राप्त करने या एक ऐसी जीवन शैली विकसित करने में सक्षम बनाएगा जो कुछ हद तक उसकी भयानक विकलांगता की भरपाई करेगी"।

203. एच.वेस्ट एंड सन लिमिटेड बनाम शेफर्ड[41] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए पद्धति और दृष्टिकोण में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया कि अवॉर्ड उचित हों, संयम के साथ मूल्यांकन किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तुलनीय चोटों की भरपाई तुलनीय पुरस्कारों द्वारा की जाती है।

---

[39] (1965) आई ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 563

[40] 1977 एसीजे 222 (सीए. इंग्लैंड)

[41] 1958-65 एसीजे 504 (एचएल, इंग्लैंड)

204. फाउलर बनाम ग्रेस[42] में, ऐसी स्थिति से बचने के लिए धन के संदर्भ में मूल्यांकन की आवश्यकता के बावजूद मौद्रिक मुआवजे के आकलन में कठिनाई पर जोर दिया गया था, जहां कानून निष्फल हो गया और कोई भी उपाय देने में असमर्थ हो गया। न्यायालय ने कहा:

> "यदि किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि, सुनने या सूंघने की शक्ति या एक अंग खो देता है, तो इस तरह के अभाव का मूल्य बाजार मूल्य के संदर्भ में आंका नहीं जा सकता है क्योंकि दुर्घटना में खोई गई व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई बाजार मूल्य नहीं है, और धन के संदर्भ में इसके समतुल्य को व्यक्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है। फिर भी धन के संदर्भ में मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि, अन्यथा कानून निष्फल हो जाएगा और कोई भी उपाय देने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि सटीकता और निश्चितता अक्सर अप्राप्य थी , निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।यद्यपि निस्संदेह व्यक्तिगत चोट के मामलों में क्षति का आकलन करने में कठिनाइयाँ और अनिश्चितताएँ हैं, लेकिन उस तथ्य को परिस्थितियों में जितना संभव हो सके आकलन करने से नहीं रोका जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

205. उसी प्रभाव में लॉर्ड मॉरिस द्वारा की गई टिप्पणियाँ हैं **पेरी बनाम क्लीवर**[43] जहां न्यायालय ने कहा:

> "दर्द और शारीरिक परिणामों के लिए पैसे से क्षतिपूर्ति करना हमेशा मुश्किल होता है लेकिन यह माना जाता है कि मौद्रिक मूल्यांकन करने के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया तैयार नहीं की जा सकती है"।

206. घर वापस, सुप्रीम कोर्ट की घोषणाओं ने चोट के मामलों में मुआवजे का आकलन करने में अपनाए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित किया है और मोटे तौर पर दो अलग-अलग शीर्षकों के तहत देय क्षति को वर्गीकृत किया है, अर्थात् आर्थिक क्षति और गैर-आर्थिक क्षति। दोनों के बीच अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने **आरडी हट्टंगडी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य**[44] मामले में निम्नलिखित शब्दों में बताया था: -

> "मोटे तौर पर, किसी दुर्घटना के पीड़ित को देय मुआवजे की राशि तय करते समय, नुकसान का आकलन आर्थिक क्षति और विशेष क्षति के रूप में अलग-अलग किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षति वे हैं जो पीड़ित ने वास्तव में किए हैं और जिनकी गणना करने में सक्षम हैं पैसे के संदर्भ में; जबकि गैर-आर्थिक क्षति वे हैं जो अंकगणितीय गणनाओं द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक क्षति में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैं: (i) चिकित्सा देखभाल; (ii) कमाई की हानि मुकदमे की तारीख तक लाभ का; (iii) अन्य भौतिक हानि। जहां तक गैर आर्थिक क्षति का सवाल है, इसमें शामिल हो सकते हैं (i) मानसिक और शारीरिक आघात, दर्द और पीड़ा के लिए क्षति जो पहले ही झेली जा चुकी है या भविष्य में भुगतने की संभावना है ; (ii) जीवन की सुविधाओं के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति, जिसमें कई प्रकार के मामले शामिल हो सकते हैं, यानी, चोट के कारण दावेदार चलने, दौड़ने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है; (iii) उम्मीद के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति जीवन की, यानी चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु कम हो जाती है; (iv) जीवन में असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा, हताशा और मानसिक तनाव"।

207. नुकसान की गणना करने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने **सुसम्मा थॉमस के मामले** (सुप्रा) में भी पहचाना था, जहां कोर्ट ने कहा था कि नुकसान की गणना आवश्यक रूप से परिकल्पना के दायरे में रहती है, जिसमें अंकगणित एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा स्वामी है . समग्र चित्र ही मायने रखता है। उनके आधिपत्य के अनुसार, अवॉर्ड की राशि मामूली नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून

---

[42] (1970) 114 सोल जो 1993

[43] 1969 एसीजे 363 (एचएल इंग्लैंड)

[44] 1995 एसीजे (सुप्रीम कोर्ट)366.

स्वतंत्र समाज में जीवन और अंग को उदार पैमाने पर महत्व देता है। **कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निर्मला देवी**[45] में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इसी आशय का है ।

208. आइए, उपरोक्त घोषणाओं के आलोक में, अब रिपोर्ट की तालिका "ए" में प्रदर्शित 29 मामलों के पहले समूह पर विचार करें, जिसमें पीड़ितों द्वारा झेली गई विकलांगता का प्रतिशत 1% से 10% के बीच है। रिपोर्ट में मौजूद तालिका "ए" में पीड़ित का विवरण और उसके जलने का प्रतिशत और साथ ही प्रत्येक मामले में जांच किए गए डॉक्टरों द्वारा रिपोर्ट की गई विकलांगता का प्रतिशत दिया गया है। जलने के प्रतिशत और प्रत्येक पीड़ित द्वारा झेली गई विकलांगता के प्रतिशत पर बारीकी से नजर डालने से पता चलेगा कि श्रीमती सुरिंदरपाल कौर उर्फ शिंदर पाल कौर द्वारा दायर दावा याचिका संख्या 426-डीएफटी को छोड़कर, जहां किसी के जलने या विकलांगता की सूचना नहीं है, अन्य सभी में तालिका "ए" में दिए गए मामलों में, रिपोर्ट की गई विकलांगता पीड़ित द्वारा झेले गए जलने की सीमा के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए, दावा याचिका संख्या 379-डीएफटी में 2% जलने पर विकलांगता 3% है। दावा याचिका संख्या 389- डीएफटी में एक विपरीत स्थिति पाई जाती है जहां जलने का प्रतिशत 10% है लेकिन विकलांगता केवल 2% है। दावा याचिका संख्या 420-डीएफटी में महक दावेदार के मामले में जलने का प्रतिशत 35% बताया गया था लेकिन विकलांगता केवल 6% थी। ऐसा कहने के बाद, हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि तालिका "ए" में सूचीबद्ध 29 में से 9 मामलों में, जलने की चोटों की सीमा और विकलांगता का प्रतिशत बिल्कुल समान है। शेष में यह जलने के प्रतिशत से या तो अधिक या कम होता है। तालिका "बी" में सूचीबद्ध मामलों में भी स्थिति समान है, जहां विकलांगता 11% से 20% के बीच है। जलने की सीमा और विकलांगता कमोबेश तुलनीय हैं, हालांकि सभी मामलों में नहीं। यह तालिका "सी" में भी कुछ अपवादों के साथ सच है, जिसमें 21% से 30% के बीच विकलांगता के मामलों की गणना की गई है। तालिका "डी" में, जलने के प्रतिशत और विकलांगता के प्रतिशत के बीच असमानता अधिक प्रमुख हो जाती है। उदाहरण के लिए, विनोद बंसल द्वारा दायर दावा याचिका संख्या 355-डीएफटी में 25% जलने से 36% विकलांगता हो जाती है। इसी प्रकार श्रीमती शशि बाला द्वारा दायर दावा याचिका संख्या 432-डीएफटी में भी 11% जलने से 40% विकलांगता हो जाती है। संजय मिधा द्वारा दायर दावा याचिका संख्या 435-डीएफटी में एक विपरीत स्थिति देखी गई है, जहां 65% जलने से केवल 35% विकलांगता हुई है।

209. उपरोक्त स्थिति से कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि हालांकि जलन और विकलांगता साथ-साथ चलती हैं, जरूरी नहीं कि एक दूसरे के समानुपाती हो। जलने की सीमा और पीड़ितों द्वारा झेली गई विकलांगता की सीमा के बीच कोई निश्चित सह-संबंध स्पष्ट नहीं है। कम जलने के कारण कभी-कभी अधिक विकलांगता होती है। इसका विपरीत भी कई मामलों में देखा गया है जहां जलने के उच्च प्रतिशत के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम विकलांगता हुई है। इसलिए, जलने और विकलांगता दोनों के संदर्भ में मुआवजे की गणना के लिए कोई मानदंड या फॉर्मूला अपनाना संभव नहीं होगा। ऐसे किसी भी प्रयास से असामान्य और कभी-कभी बेतुके परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, उचित कदम यही प्रतीत होता है कि मुआवजे के अवॉर्ड के लिए विकलांगता की सीमा को एकमात्र आधार बनाया जाए, भले ही पीड़ित को कितनी भी जलन हुई हो, सिवाय असाधारण मामलों में जहां विकलांगता कम हो सकती है लेकिन गैर-आर्थिक क्षति हो सकती है। युवा लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की संभावनाओं जैसी सुविधाओं के नुकसान के कारण अवॉर्ड दिया जाता है। उस अपवाद के अधीन, हम पीड़ितों द्वारा जली हुई चोटों के कारण हुई विकलांगता की सीमा के आधार पर देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

210. वन मैन कमीशन ने तालिका "ए" में आने वाले मामलों में, जहां विकलांगता 1% से 10% के बीच है, एक समान आधार पर मुआवजे के रूप में 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। ऐसा करते समय, उसने **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन प्राप्त किया है, जहां कोर्ट ने कहा था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उन मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया था, जहां जलने की घटनाएं 10% से कम थीं, लेकिन रुपये के भुगतान पर विचार किया गया था। ऐसे प्रत्येक पीड़ित के पक्ष में .2,00,000/- उचित और उचित होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा दिए गए फैसले, दोनों ने मुआवजे के अवॉर्ड के आधार के रूप में जलने की सीमा को लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाती

[45] 1980 एसीजे 55 (एससी)

हो कि पीड़ितों को जलने की चोटों के कारण कितनी विकलांगता का सामना करना पड़ा। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, दो प्रश्न दहलीज पर उठते हैं, अर्थात्: -

i) क्या रिपोर्ट की तालिका "ए" में आने वाले 28 मामलों में 2,00,000/- रुपये का अवॉर्ड उन मामलों में उचित और उचित मुआवजा है जहां पीड़ितों को 1% से 10% विकलांगता (जला नहीं) का सामना करना पड़ा है; और

ii) यदि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में दी गई राशि से अधिक राशि दी जानी है, तो दोनों घटनाओं को अलग करने वाली समय अवधि को ध्यान में रखते हुए, वह राशि क्या होनी चाहिए।

211. जैसा कि पहले देखा गया है, रिपोर्ट की तालिका "ए" में सूचीबद्ध मामलों में, जलने के प्रतिशत की तुलना में विकलांगता की सीमा कम है, केवल एक मामले को छोड़कर जहां 2% जलने के कारण 3% विकलांगता हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि दावा याचिका संख्या 420-डीएफटी में जहां विकलांगता केवल 6% है, वहीं जलने की दर 35% है। इसलिए, हम यह मानना उचित मानते हैं कि यदि विकलांगता की सीमा मुआवजे के अवॉर्ड का आधार है, तो राशि जलने के तुलनीय प्रतिशत के लिए **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में दी गई राशि से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि 1% से 10% के बीच जलने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की तुलना में 1% से 10% के बीच विकलांगता के लिए मुआवजे की अधिक राशि देय होनी चाहिए।

212. हमारा यह भी विचार है कि 10% विकलांगता झेलने वाले पीड़ित को उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करना, जिस दर पर केवल 1% विकलांगता झेलने वाले पीड़ित को मुआवजा देना भी उचित और उचित नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में 1% से 10% के बीच जलने की सीमा के संदर्भ में पीड़ितों के वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया है, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि पीड़ितों को अवॉर्ड में असमानता को कम करने के लिए अधिक बारीकी से वर्गीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो राशि. हमारी राय में, उचित कदम तालिका "ए" में पीड़ितों को दो समूहों में वर्गीकृत करना होगा, एक जिन्हें 1% से 5% के बीच चोटें लगी हैं और दूसरे में वे पीड़ित शामिल हैं जिन्हें 6% से 10% के बीच चोटें लगी हैं।

213. दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अर्थात. ऊपर उल्लिखित दो श्रेणियों में पीड़ितों को देय मुआवजे की उचित राशि क्या है, हमारा विचार है कि परिस्थितियों की समग्रता, साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका समर्थन लेना चाहिए। **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में 1% से 5% विकलांगता से पीड़ित पीड़ितों को 3,00,000/- रुपये का अवॉर्ड दिया जाना न्याय के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। हमारे द्वारा प्रदान की गई उच्च राशि न केवल जलने की सीमा और परिणामी विकलांगता के बीच गुणात्मक अंतर का ध्यान रखेगी, बल्कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) और जिस घटना से हम चिंतित हैं, के बीच समय के अंतर का भी ध्यान रखेगी।

214. जहां तक दूसरी श्रेणी में आने वाले पीड़ितों, अर्थात् 6% से 10% के बीच विकलांगता का सामना करने वाले पीड़ितों का संबंध है, उनमें से प्रत्येक को 4,00,000/- रुपये की राशि का अवॉर्ड देना हमारी राय में उचित और न्यायसंगत होगा। इस राशि में सदमे, दर्द और पीड़ा के लिए भुगतान शामिल होगा जो पीड़ितों ने झेला है या जीवन भर झेलना पड़ सकता है।

215. दूसरा मद जिसके तहत पीड़ितों को राशि प्रदान की गई है वह विवाह की संभावनाओं के नुकसान के कारण है। आयोग ने इस उद्देश्य के लिए **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सहारा लिया है, जहां शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा जलने की चोटों की सीमा से संबंधित था। तदनुसार, दिया गया मुआवजा 3 रुपये के बीच था। अविवाहित युवा लड़कियों के मामले में 00,000/- से 10,00,000/- रुपये और अविवाहित युवा लड़कों के मामले में 3,00,000/- से 5,00,000/- रुपये तक। गौरतलब है कि 1% से 10% जले पीड़ितों के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुआवजे के तौर पर कोई राशि नहीं दी थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने ऐसे पीड़ितों को 2,00,000/- रुपये की समेकित राशि की अनुग्रह राशि प्रदान की थी। हमने उस राशि को उन मामलों में 3,00,000/- रुपये तक बढ़ा दिया है जहां विकलांगता 1% से 5% के बीच है और उन मामलों में 4,00,000/- रुपये तक बढ़ा दी है जहां विकलांगता 6% से 10% के बीच है। हमारा मानना है कि अविवाहित लड़कियों और लड़कों के मामले में प्रत्येक विकलांगता

उनकी शादी की संभावनाओं को भी प्रभावित करती है। कठिनाई केवल उस खाते पर देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने में उत्पन्न होती है। शादी की संभावनाओं के नुकसान के कारण **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में दी गई राशि से संकेत लेते हुए, हमारी राय है कि मुआवजे की राशि उन मामलों में 2,00,000/- रुपये के आधार आंकड़े से शुरू हो सकती है। लड़कियों में विकलांगता का प्रतिशत 1% से 5% के बीच था और 5% अधिक विकलांगता के प्रत्येक स्लैब में 50,000/- रुपये की वृद्धि हुई। इसका मतलब यह होगा कि 1% से 5% के बीच विकलांगता का सामना करने वाली युवा लड़कियों से जुड़े मामलों की पहली श्रेणी के लिए मुआवजे की कुल राशि विकलांगता के लिए 3,00,000/- रुपये होगी, इसके अलावा नुकसान के लिए 2,00,000/- रुपये होंगे। विवाह की संभावनाओं की कुल राशि रु. 5,00,000/- हो गई। उस श्रेणी के लड़कों के लिए शादी की संभावनाओं के नुकसान की भरपाई 1% से 5% के पहले स्लैब के ऊपर 5% के प्रत्येक स्लैब के लिए 50,000/- रुपये अतिरिक्त राशि के साथ 1,00,000/- रुपये के अवॉर्ड से की जा सकती है।

216. हमारी राय में, उपरोक्त पद्धति को अपनाने से पूरी प्रक्रिया एक समान, पारदर्शी और पूर्वानुमानित हो जाएगी, साथ ही मुआवजा देने के मामले में किसी भी भेदभाव या अनुचित व्यवहार की संभावना भी कम हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे मामलों में जहां दावेदार विवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, विवाह की संभावनाओं के लिए मुआवजे की राशि देय नहीं होगी। उपरोक्त मानदंडों को लागू करते हुए, पीड़ितों को देय मुआवजे के संबंध में अंतिम तस्वीर इस प्रकार होगी:-

Sr. No.	Case No.	Name of Injured	Extent of disability (in %age)	Amount of non-pecuniary/ disability compensation (in Rs.)	Amount of compensation for loss of marriage prospects (in Rs.)	Total Amount (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
			UNMARRIED GIRLS			
1	379-DFT	Ramandeep	3	300000	200000	500000
2	450-DFT	Pooja *alias* Shweta	4	300000	200000	500000
3	444-DFT	Anju Rani	4	300000	200000	500000
4	415-DFT	Prabhleen Kaur *alias* Heena	4	300000	200000	500000
5	384-DFT	Pooja Parihar	5	300000	200000	500000
6	420-DFT	Mehak	6	400000	250000	650000
7	425-DFT	Manju	6	400000	250000	650000
10	386-DFT	Neha *alias* Nikita	8	400000	250000	650000
11	453-DFT	Simmi Monga	9	400000	250000	650000
12	434-DFT	Saniya	11	400000	250000	650000
13	429-DFT	Gunjan Kamra	12	500000	300000	800000
14	381-DFT	Rekha Rani	17	500000	300000	800000
15	421-DFT	Bhavik	24	600000	350000	950000
16	393-DFT	Pooja	26	700000	400000	1100000
17	411-DFT	Gagan Monga	37	800000	450000	1250000
18	439-DFT	Sakshi	38.5	1000000	550000	1550000
19	394-DFT	Varsha *alias* Anjli	38.5	1000000	550000	1550000
20	441-DFT	Saloni Bhateja	40	1000000	550000	1550000
21	454-DFT	Chanda Rani	45	1000000	550000	1550000
22	383-DFT	Anmol Parihar	45	1100000	600000	1700000
23	437-DFT	Rinku Sethi	60	1100000	600000	1700000
24	458-DFT	Partima	68.5	1400000	750000	2150000
25	436-DFT	Neha Midha	100	1600000	850000	2450000
26	431-DFT	Gagandeep Butter	100	2200000	1150000	3350000
				2200000	1150000	3350000

1	2	3	4	5	6	7
27	410-DFT	Seema Rani	100	2200000	1150000	3350000
28	402-DFT	Sarabjit Kaur	100	2200000	1150000	3350000
29	396-DFT	Suman Kaushal	100	2200000	1150000	3350000
30	392-DFT	Geeta Rani	100	2200000	1150000	3350000
			UNMARRIED BOYS			
1	451-DFT	Abhishek	1	300000	100000	400000
2	457-DFT	Harsimranjit Singh	2	300000	100000	400000
3	418-DFT	Rajinder Kumar	2	300000	100000	400000
4	389-DFT	Dikshant	2	300000	100000	400000
5	475-DFT	Rakesh Kumar	2.5	300000	100000	400000
6	438-DFT	Sumit	3	300000	100000	400000
7	422-DFT	Lalit Kumar	3	300000	100000	400000
8	390-DFT	Deepak	3	300000	100000	400000
9	452-DFT	Gaurav	4	300000	100000	400000
10	445-DFT	Akash	6	400000	150000	550000
11	380-DFT	Pankaj Mehta	10	400000	150000	550000
12	446-DFT	David	13.5	500000	200000	700000
13	417-DFT	Rahul Grover	15	500000	200000	700000
14	459-DFT	Pawan Kumar	17	600000	250000	850000
15	378-DFT	N	300000	1000000	700000	
16	403-DFT	S	350000	1150000	800000	
17	428-DFT	R	350000	1150000	800000	
18	385-DFT	S	350000	1150000	800000	
19	395-DFT	V	450000	1450000	1000000	
20	404-DFT	A	550000	1750000	1200000	
21	433-DFT	S	600000	1900000	1300000	
22	419-DFT	R	850000	2650000	1800000	
23	412-DFT	P	850000	2650000	1800000	
24	398-DFT	A	850000	2650000	1800000	
25	442-DFT	I	900000	2800000	1900000	
26	424-DFT	N	900000	2800000	1900000	
27	387-DFT	V	950000	2950000	2000000	
28	456-DFT	B	1000000	3100000	2100000	
29	399-DFT	U	1050000	3250000	2200000	
				MEN		
1	426-DFT	S a	0	150000	150000	

1	2	3	4	5	6	7
3	474-DFT	Poonam Rani	7	400000	0	400000
4	449-DFT	Kiran	7	400000	0	400000
5	460-DFT	Veena Rani	8	400000	0	400000
6	406-DFT	Savita Angi	15	500000	0	500000
7	448-DFT	Alka	17.5	600000	0	600000
8	408-DFT	Seema	28	800000	0	800000
9	447-DFT	Sushma Rani	32.5	900000	0	900000
10	432-DFT	Shashi Bala	40	1000000	0	1000000
11	416-DFT	Kamlesh Rani	40	1000000	0	1000000
12	443-DFT	Rajni	50	1200000	0	1200000
13	391-DFT	Mitu Bala	50	1200000	0	1200000
14	382-DFT	Anju Rani	50	1200000	0	1200000
15	427-DFT	Savita Sharma	52	1300000	0	1300000
16	455-DFT	Madhu Bala	52	1300000	0	1300000
17	413-DFT	Veena Rani	70	1600000	0	1600000
18	440-DFT	Neera Jagga	100	2200000	0	2200000
19	400-DFT	Saroj Rani	100	2200000	0	2200000

1	2	3	4	5	6	7
			MARRIED MEN			
1	430-DFT	Mukesh Kamra	8	400000	0	400000
2	388-DFT	Bir Singh	8	400000	0	400000
3	477-DFT	Anil Kumar	22	700000	0	700000
4	356-DFT	Ramesh Sachdeva	30	800000	0	800000
5	435-DFT	Sanjay Midha	30.5	900000	0	900000
6	414-DFT	Jai Muni Goel	35	900000	0	900000
7	401-DFT	Keshav Sharma	35	900000	0	900000
8	355-DFT	Vinod Bansal	36	1000000	0	1000000
9	397-DFT	Nazir Singh	50	1200000	0	1200000
10	409-DFT	Girdhari Lal	70	1600000	0	1600000
				Total		**112400000**

पुन: प्रश्न संख्या 6

217. इस प्रश्न से निपटने के दौरान तीन अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला दावेदारों के पक्ष में दी गई राशि पर ब्याज के भुगतान से संबंधित है। क्या कोई ब्याज देने योग्य है, और यदि हां, तो इस पहलू से निपटने के दौरान निर्धारण के लिए किस तारीख से और किस दर पर भुगतान किया जाएगा। दूसरा पहलू उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में अपनाई जाने वाली वसूली के तरीके से संबंधित है। तीसरा पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या घायल पीड़ित भविष्य में राज्य के खर्च पर इलाज के लिए निर्देश के हकदार हैं।

218. ब्याज के अवार्ड के सवाल पर आते हुए, स्कूल की ओर से श्री राजीव आत्मा राम द्वारा यह तर्क दिया गया कि वन मैन कमीशन ने दावेदारों के पक्ष में कोई ब्याज नहीं दिया था, इस पहलू को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में भी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्होंने दावों की जांच की थी, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया था।

विद्वान वकील के अनुसार, इसका तात्पर्य यह है कि ब्याज का अवॉर्ड दावेदारों द्वारा भुगते गए नुकसान के मुआवजे के अवॉर्ड का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं था।

219. दावेदारों की ओर से, यह तर्क दिया गया कि चूंकि मुआवजे की राशि मोटर वाहन अधिनियम , 1988 के तहत किए गए दावों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर दी जा रही थी, इसलिए कोई कारण नहीं था कि दावेदारों को इसे अस्वीकार कर दिया जाए, खासकर जब धारा अधिनियम की धारा 171 ट्रिब्यूनल को ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जो दावा करने की तारीख से पहले नहीं हो, जो ट्रिब्यूनल द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, ब्याज देने का अधिकार देता है। यह तर्क दिया गया कि **एमएस गरेवाल के मामले (**सुप्रा) में ब्याज दिया गया था और सभी मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों में निश्चित रूप से दिया गया है।

220. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 171 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी दावे की अनुमति होने पर ब्याज देने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तथापि, ब्याज की दर और वह तारीख जिससे यह देय है, अधिकरण के विवेकाधीन है, बशर्ते कि ब्याज देने की तारीख दावा करने की तारीख से पहले नहीं हो सकती है। जैसा कि हमने इस फैसले के पहले भाग में देखा है, मृत्यु और चोट के मामलों में दावेदारों को मुआवजे का अवॉर्ड मोटर वाहन अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू व्यापक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है। मृत्यु के मामलों में मुआवजे के निर्धारण की गुणक विधि और चोट के मामलों में हमारे द्वारा निर्धारित किए गए व्यापक सिद्धांत उक्त अधिनियम के तहत लागू और निर्धारित किए गए सिद्धांतों से अलग नहीं हैं। ऐसी स्थिति होने के नाते, कोई कारण नहीं है कि दावेदारों को ब्याज देने से इनकार किया जाना चाहिए, खासकर जब राशि का दावा करने और प्राप्त करने का अधिकार उस तारीख से संबंधित है जिस दिन घटना हुई थी और उस तारीख तक ब्याज दिया गया था जिस तारीख को मुआवजे के भुगतान के लिए दावा दायर किया गया था। इसके अलावा ब्याज देने से यह सुनिश्चित होता है कि दावेदार इस तरह के विलंब के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से मुआवजा देकर अपने दावों के निर्धारण में देरी के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हों। प्रतिवादियों द्वारा किसी भी न्यायिक सिद्धांत का हवाला नहीं दिया गया है, जिस पर ब्याज देने को इस तरह के मामले में अनुचित कहा जा सकता है। वास्तव में **एमएस गरेवाल के मामले** (सुप्रा) में भी न्यायालय ने दावेदारों के पक्ष में 6% की दर से ब्याज दिया था। तथ्य यह है कि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में कोई ब्याज नहीं दिया गया था, हमारी राय में, इसे कानून की घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब सवाल यह है कि क्या ब्याज देय था और यदि हां, तो किस तारीख से और किस दर पर उनके लॉर्डशिप के समक्ष निर्धारण के लिए आग्रह नहीं किया गया था। यदि **लता वाधवा के मामले** (सुप्रा) में फैसला ब्याज के सवाल पर चुप है, तो इसे वर्तमान मामले में दावेदारों को ब्याज से वंचित करने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

221. यह हमें इस प्रश्न पर लाता है कि ब्याज दर क्या होनी चाहिए और किस तारीख से होनी चाहिए। जहां तक ब्याज दिए जाने की तारीख का सवाल है, हमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 171 के प्रावधानों के खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं दिखता , भले ही उस प्रावधान का मौजूदा मामले में कोई सीधा आवेदन न हो। हमारी राय में एक व्यक्ति आयोग के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से ही ब्याज देना उचित और उचित होगा। जिस दर पर दावेदारों को उक्त ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, उसमें कोई गंभीर कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हालाँकि ऐसे निर्णय भी हैं जिनमें ब्याज दर 12% प्रति वर्ष तक ऊँची रही है, जैसे **कौशल्या देवी बनाम करण अरोड़ा एवं अन्य**[46] और **ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम श्री लक्ष्मण अय्यर और अन्य**[47], के मामले में। हमारा विचार है कि दावा याचिका दायर करने की तारीख से 6% की दर से साधारण ब्याज न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

222. अगला प्रश्न भुगतान करने में चूक की स्थिति में उत्तरदाताओं के खिलाफ दी गई राशि की वसूली के तरीके से संबंधित है। यह याद किया जा सकता है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई कुल राशि में से, 45% राज्य सरकार द्वारा देय है, जिसमें से 15% उसकी अपनी देनदारी है, जबकि शेष 30% दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और समिति, नगर निगम, डबवाली की देनदारी है। राज्य को बोर्ड और नगरपालिका समिति, डबवाली से इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता दी। हमारे द्वारा निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि का भुगतान

---

[46] एआईआर 2007 एससी 1912

[47] 2003(4) आरसीआर (सिविल) 764

करने के लिए राज्य सरकार को जारी किया गया एक निर्देश, हमारी राय में, पर्याप्त होगा क्योंकि उक्त निर्देश का उल्लंघन स्वयं इस न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही का विषय हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई राशि का 55% उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 9 द्वारा देय है। जबकि भुगतान करने के निर्देश की अवज्ञा के लिए कार्यवाही की अनुमति उक्त उत्तरदाताओं के खिलाफ उक्त निर्देश को लागू करने के लिए भी दी जा सकती है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उन कार्यवाहियों के अलावा, उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 9 से वसूली योग्य राशि जुर्माने और/या भू-राजस्व के बकाया दोनों के रूप में वसूली योग्य होगी। उस समय के भीतर राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में जो हम ऐसे भुगतान के लिए दे रहे हैं या हमारे आदेश के संदर्भ में देय सटीक राशि के विवाद की स्थिति में, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत, डबवाली, प्रश्न का निर्धारण करने और भुगतान को निर्देशित करने के लिए सक्षम होगा, जो निर्देश/आदेश उक्त उत्तरदाताओं से निर्धारित राशि की वसूली के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा जुर्माना और/या भू-राजस्व के बकाया के रूप में एक प्रमाण पत्र के समान होगा।

223. यह हमें केवल दूसरे पहलू के साथ छोड़ता है अर्थात क्या घायल पीड़ितों के लाभ के लिए राज्य के खर्च पर इलाज के निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें बस इतना ही कहना है कि इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.12.1996, 24.09.2001 और 18.02.2002 के माध्यम से इस तरह के उपचार का निर्देश दिया था। आवश्यकतानुसार घायलों को उपचार उपलब्ध कराया गया है । हमें बस इतना कहना है कि यदि हरियाणा में सरकारी अस्पताल पीड़ितों को अपेक्षित उपचार प्रदान करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, तो निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा सरकार की संतुष्टि पर राज्य सरकार की लागत पर कि ऐसा उपचार राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में प्रदान नहीं किया जा सकता, ऐसा उपचार या तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ में या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, अस्पताल में प्रदान किया जा सकता है।

224. निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें यह बताना होगा कि जब इन मामलों की सुनवाई अंतिम चरण में थी, तब आवेदक विनोद कुमार ने अपनी पत्नी और बेटी, श्रीमती आशा, उम्र 28 वर्ष और गंगा उर्फ कुंजन रानी, उम्र लगभग साढ़े तीन वर्ष की मृत्यु के कारण मुआवजे का दावा करते हुए 2009 का सिविल विविध संख्या 1011 दायर किया था और 2009 का सिविल विविध क्रमांक 16045 आवेदक श्रीमती विजय अरोड़ा की पत्नी अनिल अरोड़ा ने अपने पति विजय कुमार और बेटों छह साल के अंकित और सात साल के अर्चित की मृत्यु के कारण मुआवजे का दावा कर रही हैं। सुश्री अंजू अरोड़ा, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि इन दावों पर इस स्तर पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है और मुआवजे का दावा करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए। हमें ऐसा करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। आयोग के समक्ष कार्यवाही लगभग छह वर्षों तक लंबित रही। हालाँकि, वन मैन कमीशन के समक्ष आवेदकों द्वारा कोई दावा याचिका दायर नहीं की गई थी। आवेदकों ने अपनी विफलता के लिए स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हालाँकि, हम इस स्तर पर वर्तमान कार्यवाही के लिए स्पष्टीकरण या दावे की जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जो केवल उन मामलों तक ही सीमित है जो वन मैन कमीशन के समक्ष दायर किए गए थे और जिनमें दावेदारों द्वारा उनके संबंधित दावों का प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे । क्या आवेदक इस विशिष्ट समय पर दावे रख सकते हैं या नहीं और यदि हां, तो क्या दावे का आधार बनने वाले आरोप किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित हैं और यदि हां, तो मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी जा सकती है , कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न हैं जिन पर हम इन कार्यवाही में इस स्तर पर विचार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि आवेदक ऐसी राहत के लिए कानून में स्वीकार्य उचित कार्यवाही दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो उन्हें देय हो सकती है, लेकिन रखरखाव और सीमाओं सहित सभी अपवादों के अधीन होगी।

225. परिणाम में हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

इस निर्णय के मुख्य भाग में संदर्भित प्रत्येक मामले में निर्धारित राशि दावेदारों के पक्ष में वन मैन आयोग के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दी जाती है।

2) प्रत्येक दावेदार को देय कुल राशि में से, हरियाणा राज्य हमारे द्वारा निपटाए गए प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे की कुल राशि का 45% भुगतान करेगा, साथ ही प्रत्येक राशि का 15% दक्षिण हरियाणा

बिजली वितरण निगम और नगर पालिका, डबवाली से वसूल करने की स्वतंत्रता होगी। राशि का शेष 55% का उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 9 द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान किया जाएगा।

3) दावेदारों के बीच मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का बंटवारा उसी अनुपात में होगा जैसा कि वन मैन कमीशन द्वारा अनुशंसित है, केवल इस निर्णय के मुख्य भाग में हमारे द्वारा बताए गए संशोधनों और/या आगे के निर्देशों के अधीन होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन मामलों में हमने नाबालिग दावेदारों के नाम पर मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया है, उन्हें पहले से ही वयस्क होने की स्थिति में दावेदारों को वितरित किया जाएगा।

4) हमारे द्वारा दी गई राशि ब्याज सहित उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त पैरा 2 में दर्शाए गए अनुपात में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), डबवाली के पास आज से 4 महीने की अवधि के भीतर दावेदारों के बीच वितरण के लिए जमा की जाएगी। ऐसा न करने पर देय मूल राशि पर हमारे द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर 4 महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 6% से बढ़ाकर 10% प्रति वर्ष कर दी जाएगी।

5) भुगतान करने में उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में, दावेदार न केवल इस न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, बल्कि बकाया राशि की वसूली के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), डबवाली से भी संपर्क कर सकते हैं।

6) अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), डबवाली, ऐसी किसी भी स्थिति में, अवैतनिक शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करेगा जैसे कि वह जुर्माना और/या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य थी। वह बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित कलेक्टर को प्रमाण पत्र और निर्देश जारी करने में सक्षम होगा।

7) घायल पीड़ितों को जलने से लगी चोट का उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यदि यह हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, तो निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा सरकार की संतुष्टि पर कि ऐसा उपचार आवश्यक है लेकिन राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में प्रदान नहीं किया जा सकता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इसकी व्यवस्था की जाएगी।

8) आवश्यकता पड़ने पर याचिकाकर्ताओं को किसी भी स्तर पर इस आदेश के बारे में और स्पष्टीकरण मांगने की स्वतंत्रता दी जाती है।

9) 2009 के सिविल विविध क्रमांक 1011 और 16045 को आवेदकों को, दावों की रखरखाव और परिसीम आदि अपवादों के अधीन है, मुआवजे और/या अन्य राहतों की राशि के भुगतान के लिए उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया जाता है,

10) आयोग की स्थापना में शुरू से अंत तक आने वाली लागत हरियाणा राज्य द्वारा वहन की जाएगी।

11) पक्ष इस न्यायालय में और वन मैन आयोग के समक्ष कार्यवाही में अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा